Page No.1

# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५ ] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८७वां दिवस [ संख्या ५३



बुधवार, १३ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

### नगरपालिका पाली का बजट

१५१४. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( क ) स्वायत्त शासन विभाग से नगरपालिका, पाली का १९५९–६० का बजट कब स्वीकृत हुआ है ?

( ख ) नगरपालिका, पाली के सभापति ने १९५९–६० का बजट स्वायत्त शासन विभाग में स्वीकृति के लिये कब भेजा ?

( ग ) क्या उस बजट में से वार्ड नम्बर ६ व अन्य वार्डों में खर्चा किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस किस वार्ड में कितना कितना ?

( घ ) क्या जिन कामों के लिये धन राशि खर्च की जा रही है उनके टेन्डर मांगे गये हैं।

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग** ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : ( क ) अभी तक नहीं हुआ।

( ख ) अभी तक नहीं आया है

( ग ) प्रश्न नहीं उठता।

( घ ) यह भी प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह बजट आना कब चाहिये था ? अमूमन किस तारीख तक आ जाना चाहिये था ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अप्रेल में आता है बजट।

**श्री मूलचन्द डागा** : १९५९ का खर्चा तो फर्स्ट अप्रेल से शुरु कर दिया। अभी बजट आया ही नहीं।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : पिछले साल जैसा किया गया था वैसा ही इस साल करेंगे।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : On what date the Municipality is supposed to prepare the Budget and get it sanctioned for the ensuing year ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : They should send in the month of April.

**श्री पी० के० चौधरी** : How do they incur their expenditure from April.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : Only those expenditures which are essential and which are likely to be sanctioned, and they are sanctioned in anticipation of the approval.

**श्री पी० के० चौधरी** : Do you consider it very irregular that they prepare their budgets in April instead of preparing them in the month of February.

**मंत्री, स्वायत शासन विभाग : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)** : वह बजट तो जल्दी ही तैयार करके भेजना चाहिये। अप्रेल में मन्जूर करना चाहिये। मन्जूर कर देंगे उसको। फिर रूटीन का एक्सपेन्डीचर होता ही रहता है। तनख्वाह बंटती रहती है, ठहरती थोड़ी है। नया खर्चा होता तो बजट सैंक्सन होने पर ही होता है।

**गांव छतरगंज में सहकारी कृषि समिति**

१५१५. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा-डॉ बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

(1) Is the Government aware that the proprietors of lands in village Chattarganj, Tehsil Kishanganj, Kota District have formed a Co-operative Farming Society ?

(2) Is it a fact that they have applied to the Tehsildar through the Collector that the lands be mutated in the name of the society and the Tehsildar has remarked that the application should have come through the Co-operative Department ?

(3) Is it a fact that the President, Shri Narayan Singh presented another application to the Assistant Registrar. Kota for favour of forwarding it to the Tehsildar in February, 1959 and the application is still lying there ?

**उपमंत्री, कृषि विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई)** : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) यह सत्य है कि श्री नारायण सिंह चौधरी ने फरवरी, १६५६ में एक प्रार्थना पत्र सहायक रजिस्ट्रार, कोटा को प्रस्तुत किया परन्तु यह सत्य नहीं है कि यह प्रार्थनापत्र अभी तक सहायक रजिस्ट्रार कोटा के कार्यालय में ही पड़ा हुआ है।

**डा॰ बहादुर सिंह (धौलपुर)** : क्या यह समिति सेवा सहकारी अधार पर संगठित है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इसमें

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

तो कोआँपरेटिव फॉर्मिंग सोसायटी लिखा है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या यह सही है कि इस समिति में १७ सदस्य हैं और उनके पास १६ हज़ार बीघा से ज्यादा ज़मीन है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सप्लीमेन्टरी के बारे में कहूंगा कि फॉर्मिंग फिगर्स के बारे में आप जानकारी चाहेंगे तो मैं कह सकूंगा, औरों के बारे में आपको अलग से सवाल पूछना होगा।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Has the Co-operative Society applied directly to the Tehsildar to get the land transferred in the name of the society ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : No.

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या श्री नारायण सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह मुझे मालूम नहीं है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या ज़मीन की सीमा पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का विचार सरकार रखती है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इसका अभी निश्चित नहीं कह सकता।

**डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफीसरों को फ्री रेजिडेन्सियल एकोमोडेशन।**

**१५१६. श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर-श्री अनोपसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डी.एम.एच.ओ. हैड क्वाटर्स पर फ्री रेज़ीडेन्शियल एकोमोडेशन सिर्फ डी० एम० एच० ओ० को ही दी है। उनके बंगले चाहे डिस्पेन्सरी में नहीं भी हों व उनकी ड्यूटी ज्यादातर टूर करने की है। यदि हां, तो उनको फ्री रेजीडिन्शियल अकोमोजेशन देने के कारण है?

(२) क्या यह भी सही है कि डिस्पेन्सरी में जो डॉक्टर रहते हैं वे फ्री एकोमोडेशन नहीं मिलने के कारण एक्स्ट्रा टाइम में बीमारों को नहीं देखते हैं और न वे डिस्पेन्सरी के इन्डोर पेशेन्ट्स को ही देखते हैं ?

(३) ज़िला जालोर के डी० एम० एच० ओ० हैड क्वार्टर पर कितने डॉक्टरों के रेजीडेंशियल क्वार्टर्स हैं और उनमें किन किन डॉक्टरों को रेजीडेन्शियल क्वार्टर फ्री दिया गया है और किस किस डॉक्टर को अलावा टाइम ड्यूटी लगाई गई है ?

**मंत्री, स्वास्थ्य विभाग** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) जी हां। डी० एम० एच०ओ० टूर करने के अतिरिक्त प्रशासन का कार्य करते हैं। तथा आकस्मिक आवश्यकता पर अस्पताल में किसी भी समय बुलाये जाते हैं। अपने हैडक्वार्टर पर वही एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सबसे बड़ा अधिकारी है तथा वहां स्पेशियलिस्ट उपलब्ध नहीं होते हैं अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें फ्री रेज़ीडेन्शियल एकोमोडेशन प्रदान की है।

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

(२) जी नहीं, डिस्पेन्सरी के इन्चार्ज डॉक्टरों को अगर उस स्थान पर सरकारी क्वार्टर उपलब्ध है तो फ्री दिया जाता है।

(३) जिला जालोर के डी० एम० एच० ओ० हैडक्वार्टर पर डॉक्टरों के २ रेज़ीडेन्शियल क्वार्टर हैं जिनमें से एक डी० एम० एच० ओ० को फ्री दिया गया है। दूसरे क्वार्टर में रहने वाले डॉक्टर किराया देते हैं। अलावा डी० एम० एच० ओ० के सभी डॉक्टर क्रमानुसार अलावा टाइम ड्यूटी देते हैं। डी० एम० एच० ओ० को आकस्मिक आवश्यकता में बुलाया जाता है।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर मकानात को अलॉट करने का अधिकार क्लेक्टर को है या अन्य किसी को ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जनरली क्लेक्टर ही अलॉट करता है।

**श्री मूलचन्द डागा** : तो क्लेक्टर किस तरह अपना डिस्क्रेशन यूज़ करते हैं ? क्या कोई इसके लिये नियम हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसके स्कोप में तो यह सवाल नहीं आता। पर मेरी जानकारी ऐसी है कि रूल्स बने हुए हैं।

**एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग पूर्व व पश्चिम के अधीन मोहर्रिरों का फिक्सेशन**

१५१७. **श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर सिटी ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, सिंचाई विभाग, जयपुर के आधीन एग्ज़ीक्यूटिव इन्ज़ीनियर, सिंचाई विभाग पूर्व व पश्चिम खण्ड के मुहर्रिरों का अभी तक फिक्सेशन हुआ या नहीं ?

(ख) यदि फिक्सेशन हो गया है तो क्या उन्हें मिलने वाला एरियर दे दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक दे दिया जावेगा ?

**मंत्री, सिंचाई विभाग** (श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) पूर्वी व पश्चिमी खण्डों के अनुक्रम में ६ व २० मोहर्रिरों के फिक्सेशन हो चुके हैं और ६ व २ मोहर्रिरों के फिक्सेशन विचाराधीन हैं।

(ख) जिनका फिक्सेशन हो गया है उन्हें एरियर दे दिया गया है। अन्य लोगों को फिक्सेशन होने पर शीघ्र ही दे दिया जावेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : उन बीस का फिक्सेशन कब हुआ ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : डेट तो मेरे पास नहीं है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** ( छबड़ा ) : जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ उनका नहीं होने का क्या कारण है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : ए० जी० का ऑब्जेक्शन आ गया है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : कब तक हो जावेगा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जल्दी हो जावेगा।

**नागोर में गुसाइयों की समाधि पर कब्जा।**

**१५१८. श्री मंगलसिंह** ( रानीवाड़ा ): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि नागोर नगरपालिका ने गुसाइयों की समाधि पर मुसलमानों का कब्जा करा दिया है ?

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग** ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : जी नहीं।

**प्रश्न संख्या १५१६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलपतसिंह।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या १५२०**

श्री श्रीराम बासोतिया।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

**नगरपालिका जयगंज की सीमा में मकानों का अत्यधिक किराया**

**१५२१ श्री गोकुलचन्द जाटव** (लक्ष्मणगढ़ ) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि नगरपालिका, जयगंज खेरली ( अलवर ) की सीमा में मकान मालिक किरायेदारों से अत्यधिक किराया वसूल करते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार वहां रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट को लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

(३) क्या नगरपालिका जयगंज खेरली की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी सरकार को मिला है ?

**मन्त्री, गृह विभाग** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : फरवरी सन् १६५६ में नगर पालिका जयगंज खेरली ( जिला अलवर ) ने सरकार के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें सूचित किया गया कि जयगंज खेरली में मकान मालिकों ने मकानों के किराये बढ़ा दिये हैं और मनमाना किराया वसूल करते हैं। अतः रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट १६५० वहां पर लागू किया जावे। इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है और उसके आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : इसे सारे राजस्थान में ही क्यों नहीं लागू कर देते हैं ? इसकी सभी जगह जरूरत है। पापूलेशन बढ़ रही है और मकानों के किराये भी बढ़ रहे हैं, छोटे मोटे देहातों में भी उससे फायदा होगा। फिर इससे नुकसान क्या होने वाला है।

**श्री रामशोकिर व्यास** : मोस्टली यह अर्बन एरिया के लिये है।

# Page No.6



**श्री दयाकृष्ण विजय** ( छबड़ा ) : टाउन्स में भी किराया बढ़ गया है और वहां भी लोगों को दिक्कत रहती है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : शहरों में जहां जहां दिक्कत आती है वहां बढ़ाते ही हैं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): इसके कन्ट्रोल का जहां तक सवाल है उसे सभी जगह क्यों नहीं लागू कर देते ! जहां जरूरत होगी लोग इससे फायदा ले लेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी वहां ऐसे ही पड़ा रहेगा, सभी जगह लागू करने में हर्ज क्या है । नहीं करने में सरकार को फायदा भी क्या है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : सरकार के फायदे नुक्सान का सवाल नहीं है । जैसी जरूरत जहां होती है आबादी की संख्या काफी होती है और वहां जब मकानों का किराया बढ़ता है तो लागू करना जरूरी होता है । पर छोटे छोटे गांवों में, देहातों में लागू करने से तो लोगों की तकलीफ का बायस ही होगा यह ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कन्ट्रोल का जहां तक सवाल है, हर जगह कर देने से सभी इससे काम ले सकते हैं जहां जरूरत हो । जहां तक इस कानून का सवाल है आम लोगों को इससे सुविधा मिल सकती है । लगाने में क्या दिक्कत है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मोस्टली इसकी अर्बन एरिया को जरूरत होती है । रूरल एरिया में लगाने से तो लोगों को उल्टी तकलीफ होगी ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह एक सिद्धान्त है कि जहां डिमान्ड अधिक है और सप्लाई कम है वहां किराया अधिक लिया जावेगा । तो इस मामले में जहां तक कन्ट्रोल का सवाल है, सभी जगह पर समान रूप से क्यों नहीं लागू करते हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जहां जहां इसकी डिमान्ड होती है वहां हम लगा ही देते हैं फिर रह क्या जाता है । देहातों में लगाने से लोगों की तकलीफ का ही यह बायस होगा ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जामसर एक गांव है पर वहां किराया एक छोटे से छोटे मकान का २५–३०) रुपया होता है । तो सारी जगह लागू कर देने से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं । जहां अधिक मकान मिलते हैं वहां लोगों को क्या दिक्कत होगी । हमारे ध्यान से तो वहां कोई तकलीफ नहीं बढ़ेगी ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : सब जगह लगाने की जरूरत नहीं । मैं ऐसा ही मानता हूं । सारे राजस्थान में लागू किये जाने का मतलब यह होगा कि छोटे मोटे गांव में भी लागू हो जावेगा और इससे खामख्वाह में अनपढ़ लोगों के लिये हैरानी के सिवाय और कुछ नहीं होगा ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : वहां जरूरत नहीं होगी तो इसका उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी । पर जहां वास्तव में ही लोगों को दिक्कत है कानून वहां लागू हो जावे तो उनको लाभ हो सकता है । तो कानून का लाभ तो सबको मिलना चाहिये ।

( कोई उत्तर नहीं दिया गया )

# Page No.7



## ग्राम पंचायत, बदनोर के सरपंच के खिलाफ शिकायत

१५२२. **श्री जयसिंह राणावत** (आसिन्द): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) ग्राम बदनोर, तहसील आसिन्द की ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ कितनी शिकायतों के कागज़ात तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, उदयपुर द्वारा मार्फत चीफ पंचायत ऑफिसर के, आपके सचिवालय में पेंडिंग हैं और कब से ?

(ख) आपके यहां इन कागज़ों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या इन्हीं सरपंच महोदय को पहले आपके यहां से बर्खास्त किया जा चुका है ?

(घ) क्या इन पर भारी रकम के गबन और १८२ के केस भी चल रहे हैं ?

**मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (क) एक केस जिसमें १२ आरोप हैं जो दिनांक २१–८–५८ से विचाराधीन है ।

(ख) सरपंच के विरुद्ध आरोप वर्णित कर राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ की धारा १७(४) के अन्तर्गत पृथक करने हेतु नोटिस ता० १६–१–५६ को दिया गया तथा आरोपों के सम्बन्ध में अन्तिम बार ता० २७–४–५६ को सरपंच को उपस्थित होकर सफाई प्रस्तुत करने का मौका दिया गया ।

(ग) जी नहीं । पूर्व में पंचायत की सत्ता समाप्त की गई थी जिसमें श्री लक्ष्मीनारायण भी सरपंच थे ।

(घ) जी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री जयसिंह राणावत** : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी विश्वस्त है और होम डिपार्टमेन्ट को मालूम है कि ६००० रुपये के गबन का केस लगाया और इस विभाग के परिचित नहीं होने से जो सरकारी पक्ष की ओर से गबन का केस चल रहा है उसमें गवाहियों को बिगाड़ा जा रहा है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : हमारे पास जो चार्जेज़ हैं उसमें गबन की बात नहीं है ।

**श्री जयसिंह राणावत** : वह तो गबन का केस है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह तो सरपंच के बारे में आपने पूछा । सहकारी समिति के बारे में नहीं पूछा है ।

**श्री जयसिंह राणावत** : गबन का केस सहकारी समिति का ही है ।

**श्री अध्यक्ष** : आपने तो, जो पंचायतों द्वारा जांच हुई उसके बारे में आरोप लगाये हैं ।

**श्री जयसिंह राणावत**: विभाग से मुअत्तिल नहीं होने से गवाहियां बिगाड़ी जा रही हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : किसी सरपंच को मुअत्तिल करने का कानून ही नहीं है ।

# Page No.8



**श्री अध्यक्ष :** श्री सोहनलाल भटनागर.

### सिविल लाइन्स, जयपुर के पास रेल्वे का ओवर ब्रिज

**१५२३. श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में सिविल लाइन्स के पास नेशनल हाईवे पर रेल्वे के ओवर ब्रिज के निर्माण पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(२) इसमें से भारत सरकार का कितना हुआ व राजस्थान सरकार का कितना हुआ ?

**उपमन्त्री ,शिक्षा विभाग** ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : (१) राजस्थान सरकार का फरवरी १६५६ तक ६, ४५ ३३३ रुपया खर्चा हुआ।

(२) सिर्फ रेलवे लाइन के ऊपर पुल रेलवे विभाग द्वारा बनाया गया है जिनके खर्चे की जानकारी नहीं है।

**प्रश्न संख्या १५२४**

**श्री अध्यक्ष :** श्री सूरजमल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

### बजाज नगर हरिजन बस्ती (गांधीनगर)

**१५२५. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर-सु०): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि बजाज नगर (गांधीनगर) हरिजन बस्ती में एक फाउन्डेशन स्टोन गृह मन्त्री, राजस्थान सरकार ने लगाया था ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कुछ लोगों ने वहां गैर कानूनी रूप से पक्का कन्स्ट्रक्शन कर लिया है और एक मकान बना रहे हैं ?

(ग) क्या पक्का कन्स्ट्रक्शन उस ज़मीन को खरीद कर बनाया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की कार्यवाही किस तरह हुई ?

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग** ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं।

(घ) हरिजनों ने बिना आज्ञा एक महादेवजी का मन्दिर बना लिया । म्युनिसिपैलिटी ने मन्दिर को तोड़ने का नोटिस ज़ारी कर दिया है ।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** आपने (क) का उत्तर क्या दिया ? कंन्स्ट्रक्शन हुआ वह अनऑथोराइज्ड है या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** जी हां।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : महादेव जी के मन्दिर में महादेवजी की मूर्ति की स्थापना कर दी ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : महादेव जी की मूर्ति नहीं होती।

(हंसी)

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : वहां पर महादेव जी की पिन्ड स्थापित कर दी या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह मेरे पास सूचना नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेरसिटी) : फाउन्डेशन स्टोन किस बात का रखा गया था ?

**श्री अध्यक्ष** : हरिजन बस्ती का।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : बस्ती का रखा गया था।

**श्री मुरलीधर व्यास** : फिर हरिजन बस्ती वहां पर बसाई गई या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : वहां बसी हुई है।

**श्री मूलचन्द डागा** : जब वहां पर बस्ती बसी हुई है तो फिर फाउन्डेशन स्टोन किस बात का रखा गया ?

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : वह महादेव जी पुराने हैं या नये हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई**: वह तो आदि-देव हैं।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : मेरा मतलब है कि मन्दिर पुराना है या नया ?

**मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग**(श्रीबद्री-प्रसाद गुप्ता) : नया बनाया गया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या यह सत्य है कि वहां शिवलिंग पुराना था उस पर नये मन्दिर का निर्माण हुआ ?

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या यह सही है कि जो शिलान्यास का पत्थर था उसको तीन दिनों तक कुछ लोगों ने अपने घर पर रखा और फिर बाद में लगा दिया ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अभी स्थिति यह है कि वह दीवार में जड़ा हुआ है।

**प्रश्न संख्या १५२६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

**तहसील पंचायत, बड़ोद के सेक्रेटरी के जिम्मे बकाया रकम**

१५२७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर-श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत, बड़ोद, ज़िला कोटा के भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री रामगोपाल कानूनगो की तरफ लगभग ४,०००) रुपया सरकार के लेने निकलते हैं ?

# Page No.10



य )

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि की वसूली के लिए पंचायत उच्चाधिकारियों ने भी आज्ञा दी थी ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ऑडिट पार्टी ने भी हिसाब की जांच के बाद यह लिखा था कि यह रकम वसूल होनी चाहिए ?

(घ) यदि हां, तो यह रकम कब से बकाया है और पंचायत उच्चाधिकारियों ने व ऑडिट पार्टी ने किस किस तारीख को वसूली के सम्बन्ध में लिखा था तथा अब तक वसूल न होने का क्या कारण है ?

**मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (क) जी नहीं, सरकार की कोई रकम बकाया होना विभाग की जानकारी में नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

**प्रश्न संख्या १५२८**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मनरूपराम ।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल ।

## तहसील सराड़ा के सब-इन्स्पेक्टर की शिकायत

१५२६. श्री देवीलाल ( सराड़ा ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा के सब-इन्स्पेटर ने सेमारी के कुछ लोगों से मारपीट की और ग्राम लेमड में एक आदिवासी को बेकसूर पीटा गया ?

(ख) उक्त सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कितनी शिकायतें जेर तजवीज़ हैं ?

**मन्त्र, गृह विमाग** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) ग्राम सेमारी के कुछव्यक्तिगण को सब-इन्स्पेक्टर द्वारा मारपीट करने की दो शिकायतें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उदयपुर को प्राप्त हुई । जांच करने पर सब इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे वे गलत प्रमाणित हुए उपरोक्त दो के अतिरिक्त एक शिकायत जो केवल आदिवासी ग्राम लेमड से रिश्वत मांगने व मारपीट करने की भी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास आई सब-इन्स्पेटर के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच के लिए आज्ञा दे दी गई है ।

(ख) सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध एक विभागीय जांच हो रही है ।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : जांच किसने की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : डिप्टी एस० पी० ने ।

**श्री देवीलाल** : उस समय डिप्टी एस० पी० रिटायर होने वाले थे और लोग उससे जांच नहीं करना चाहते थे तो भी उन्हीं के द्वारा जांच कराई गई और उन्होंने ठीक तरह से कार्यवाही नहीं की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कार्यवाही तो

( श्री रामकिशोर व्यास )

ठीक तरह से ही की लेकिन वह प्रमाणित नहीं हुई ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): प्रमाणित नहीं हुई या झूठी पाई गई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : नतीजा दोनों का एक ही है।

**श्री मूलचंद डागा** : जब प्रमाणित नहीं हुआ तो फिर १८२ की कार्यवाही करनी चाहिए ताकी झूठी शिकायत करने वालों की फिर आगे हिम्मत न बढ़े ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अगर कोई एस० पी० के पास शिकायत करता है तो १८२ का केस नहीं बनता ।

**श्री देवीलाल** : अध्यक्ष महोदय, शिकायत बिल्कुल ठीक थी और उस समय मैं मौजूद था । मैंने ऊपर रहकर उसकी इन्क्वायरी कराई है और ८० रुपये उस व्यक्ति से लिये गये हैं । उन्होंने कार्यवाही नहीं की है, यह बिल्कुल गलत है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप कौनसी शिकायत के लिए कह रहे हैं ?

**श्री देवीलाल** : मैं केवला के लिए कह रहा हूं ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो इन्क्वायरी हो रही है । पहले वाली शिकायत थी वह प्रमाणित नहीं हुई और केवला वाला केस चल रहा ।

**श्री देवीलाल** : अभी इन्स्पेक्टर कहां रखा गया है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : अभी इन्स्पेक्टर कहां रखा गया है इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : वह इन्क्वायरी कब तक खत्म हो जायेगी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जब तक एवीडेन्सेज़ नहीं पूरी हो जायेंगी ।

**श्री देवीलाल** : क्या वे लिए हुए रुपये वापिस दिलाये जायेंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अगर लॉ कहेगा तो ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अनोपसिंह ।

## ग्राम गांगवा की पंचायत के सरपंच का चुनाव

१५३०. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील परबतसर के ग्राम गांगवा की पंचायत के सरपंच का चुनाव २६-६-५८ को मिसकन्डक्ट के कारण अवैध घोषित कर दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सरपंच ने पंचायत का चार्ज दे दिया है ? यदि नहीं तो इतने लम्बे अर्से तक चार्ज न देने का क्या कारण है ?

( श्री अनोपसिंह )

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

**मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (क) जी हां। दिनांक २६–६–५८ को अवैध घोषित किया गया था।

(ख) जी नहीं। गांव में न मिलने से चार्ज नहीं दिलाया जा सका।

(ग) जी नहीं।

**श्री अनोपसिंह** : जो चुनाव था वह अवैध क्यों घोषित किया गया ? किस बेसिस पर अवैध घोषित किया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह तो शायद गांव का रेज़ीडेन्स का झगड़ा था। इलेक्शन पिटीशन कलेक्टर के यहां दायर हुई थी इसलिए उन्होंने यह कहा कि वह ६ महीने से गांव में रहने वाला नहीं था।

**श्री अनोपसिंह** : तो फिर वह पहले सरपंच कैसे थे जब कि उस जगह के रहने वाले नहीं हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह मैं नहीं कह सकता। वह तो कलेक्टर के यहां पिटीशन दायर हुई और यह एतराज़ हुआ कि वह वहां का रेज़ीडेन्ट नहीं है। इसलिए उसको अवैध घोषित कर दिया।

**श्री अनोपसिंह** : क्या यह सही है कि चुनाव हुआ था उस दिन बैलेट बाक्स को कुएं में डलवा दिया और इसी तरह की गड़बड़ी कर दी कि वहां आगे चुनाव नहीं हो सकते ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं यह नहीं कह सकता कि गड़बड़ी क्या की, यह तो अगल सवाल है। जो अवैध घोषित कर दिया उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है।

**श्री अनोपसिंह** : पर अवैध किस लिए घोषित किया यह जानकारी तो आपको होगी ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह यहां का रेज़ीडेन्ट नहीं था और रेज़ीडेन्ट के लिए वहां पर ६ महीने रहना ज़रूरी है इसलिए इस बिना के ऊपर अवैध घोषित किया है।

**श्री अनोपसिंह** : जब कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो उसने अपने पहले का चार्ज दे दिया दूसरे सरपंच के लिए ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैंने कहा कि फैसला होने के बाद वह कहीं गायब हो गया। उसने न तो स्वयं ही काम किया और न चार्ज ही दूसरे को दिया।

**प्रश्न संख्या १५३१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १५३२**

श्री धर्मपाल पंवार।

( श्री अध्यक्ष )

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोगजी भाई।

**किशनगढ़ से सेशन्स कोर्ट हटाने के सम्बन्ध में**

१५३३. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या किशनगढ़ से सेशन्स कोर्ट हटाये जाने के बारे में राजस्थान के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने रिकमण्ड किया था ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या फैसला किया ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) हां, उच्च न्यायालय ने, सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स जज के न्यायालय को, काम की कमी के कारण, सिविल जज़ के न्यायालय में परिवर्तित करने की सिफारिश की थी।

(२) यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : यह कब सिफारिश की थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप तारीख ही जानना चाहते हैं ?

**श्री मूलचन्द डागा** : जी हां।

**श्री रामकिशोर व्यास** : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** ( छबड़ा ) : क्या सरकार के पास ऐसे नियम हैं या प्रोसीजर बने हुए हैं जिनमें यह है कि सिफारिश होने के इतने दिनों बाद अमल में लायेंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कोई नियम नहीं है लेकिन मेरिट्स ऑफ दी केस के ऊपर डिपेन्ड करता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : वहां पर जब कि आवश्यकता नहीं है तो फिर सरकार क्यों इस प्रकार का फिजूल खर्चा तनख्वाह देकर करती है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने यह नहीं कहा है कि उसको रख रहे हैं या नहीं, लेकिन उस पर विचार कर रहे हैं।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : यह कब तक विचार रहेगा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जब तक फैसला नहीं हो।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या किशनगढ़ की जनता ने शिकायत वित्त मंत्री को की।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मुझे कोई शिकायत नहीं की।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या वहां कोई पेम्फलेटबाज़ी भी हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो आपको ही मालूम होगा।

**श्री मूलचन्द डागा :** जब कि मुकदमे इतने कम होने लगे हैं तो सरकार इसको रखने का इरादा रखती है या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** हाईकोर्ट जैसा फैसला करेगा वैसा होगा।

**श्री अध्यक्ष :** डॉ० बहादुरसिंह।

**धौलपुर के सदर तथा श्री केसर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल में डाक्टरों तथा नर्सों की कमी**

१५३४. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर के सदर तथा श्री केसर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल से सन् १६५७ से अब तक कितनी नर्सों का तथा डॉक्टरों का ट्रान्सफर हुआ है और उनके स्थानों की पूर्ति हेतु अब तक कितनी नर्सें और डॉक्टर भेजे गये हैं ?

(ख) उक्त दोनों हॉस्पिटलों में कितने नर्स और डॉक्टरों की कमी है ? क्या सरकार इस वर्ष इनकी पूर्ति करेगी ?

**मंत्री, स्वास्थ्य विभाग** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) धौलपुर के सदर तथा श्री केसर महारानी मेमोरियल अस्पताल से सन् १६५७ से अब तक ४ डॉक्टरों व ३ नर्सों का स्थानान्तरण हुआ है तथा उनके स्थानों की पूर्ति हेतु अब तक ३ डॉक्टर व २ नर्स भेज दी गई हैं।

(ख) दोनों अस्पतालों में मिलाकर निम्नलिखित स्टाफ की कमी है जो उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त होने पर पूरी कर दी जायेगी।

| | |
|---|---|
| द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर ( रिजर्वी लिस्ट ) | १ |
| प्रथम श्रेणी के डाक्टर | २ |
| स्टाफ नर्स | ३ |

**डॉ० बहादुरसिंह :** इसकी पूर्ति की क्या आप कोई तिथि निश्चित करेंगें कि जैसे २ नये नये डॉक्टर्स की आप भर्ती करेंगें, उनमें से क्या आप भेजेगें ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** जैसे जैसे डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको लगाते जा रहे हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : धौलपुर में नर्सें जाना पसन्द नहीं करती हैं, क्या यह बात सच है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** मुझे ऐसी पाली से शिकायत मिली है।

**डॉ० बहादुरसिंह :** क्या यह सही है कि वहां पर सिविल सर्जन क्लास १ की लेडी डॉक्टर का अभाव है ? उसकी पूर्ति करने का कब तक का विचार है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** वहां पर जो लेडी डॉक्टर थीं वह ट्रेनिंग के लिए गई थीं और दूसरी डॉक्टर एवेलेबल नहीं थी इसलिए मजबूरी थी।

## ज़िला टोंक में सड़कों का निर्माण

१५३५. श्री लालूराम टाटवाड़िया (टोंक-सु० ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ज़िला टोंक में अब तक कहां कहां व कितनी कितनी लम्बी सड़कें बनवाई गई है ?

(२) निवाई से बौंली, उनियारा से टोडा और झराणे से टोडा तक सड़कें कब तक बनवा दी जायेगी ?

(३) क्या टोंक से देवली तक डामर रोड इसी वर्ष के अन्त तक बनवा दी जावेगी ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा होगा ?

(४) क्या पीपलू से माधोराजपुरा तक सड़क बनवाने की सरकार की योजना है ? अगर हां, तो यह सड़क कब तक बनवा दी जावेगी ?

(५) क्या मालपुरा से दूदू और उनियारा से बरवाड़ा तक सड़क बनाने की योजना है ? अगर हां, तो यह सड़क कब तक बनवा दी जावेगी ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग** ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : (१) टोंक से मालपुरा २७ मील ५ फ०

| | |
|---|---|
| टोंक से उणियारा | १८ मील |
| उणियारा से सवाई माधोपुर | ११ मील |
| अप्रोच रोड मालपुरा से टाउन | आधा मील |
| मील ७५ टोडारायसिंह रोड | १ मील |
| टोडा से क्वार्टर बकारीज | १ मील |
| टोडा से रेलवे स्टेशन टार्ड रोड्स.... | १ मील |
| टार्ड टोंक देवली रोड | १५ मील |
| सांगानेर मालपुरा रोड | ८ मील |
| टोंक मालपुरा रोड | ६ मील |
| योग | ३२ मील |

(२) निवाई से बोंली तथा टोडा राय-सिंह से झराना तक की सड़कों का तृतीय योजना काल में पूर्ण होने की योजना है। बाकी उनियारा से टोडा तक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) कोई योजना नहीं है।

(५) मालपुरा से दूदू तक की योजना है। उणियारा से बरवाड़ा तक की कोई योजना नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## मुकन्दगढ़ नगरपालिका के चुनाव

१५३६. **श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पुछा गया ): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) वर्तमान मुकन्दगढ़ नगरपालिका का चुनाव किस तारीख को हुआ तथा चेयरमैन का किस तारीख को ?

(ख) चेयरमैन के चुनाव के लिए कौन कौन सी तारीखें निश्चित की गई थी और

( श्री भैरोंसिंह )

चुनाव किन किन कारणों से स्थगित करना पड़ा ?

(ग) सुरक्षित स्थानों के लिये किन किन को मनोनीत किया और कब ?

(घ) कलेक्टर ने इस मनोनयन के लिए किस तारीख को सिफारिश की थी ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) मुकन्दगढ़ नगरपालिका का सामान्य निर्वाचन २३. १२. ५८ को हुआ तथा चेयरमैन का चुनाव दिनांक १४. ३. ५६ को हुआ।

(ख) चेयरमैन के चुनाव की सिर्फ एक ही तारीख १४. ३. ५६ निश्चित की गई थी।

(ग) विज्ञप्ति संख्या डी. १५२६ एफ १ एल. एस. जी. (ए) ५६, दिनांक २५. २. ५६ द्वारा श्री नौरंगलाल तथा श्रीमती धन्नी देवी को मनोनीत किया गया।

(घ) दिनांक २०. १. ५६ को।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या यह सही है कि जो तारीख चुनावों की निश्चित की गई थी उसमें चुनाव स्थगित किये गये थे ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : मैंने उत्तर दे दिया है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : नगर पालिका के चुनावों के इतने दिन बाद में चेयरमैन का चुनाव होने का क्या मतलब था ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : मैंने हरएक स्टेज निवेदन कर दी और तारीख भी निवेदन कर दी थी। चुनाव होने के लिए २०. १. ५६ को कलेक्टर के पास नोमीनेशन के लिये आया है और २३ तारीख को चुनाव हुआ तो विचार विमर्श में इतना टाइम लग जाता है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : जो नोमीनेशन किया गया है वह किस बेसिस पर किया गया है ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** :कलेक्टर की सिफारिश पर।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : क्या यह सही है कि नगरपालिका के सारे सदस्यों ने जो कि निर्वाचित थे, उन्होंने दूसरे नामों की सिफारिश की थी और आपने दूसरे नाम का नोमीनेशन किया है ?

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : कलेक्टर की जो सिफारिश होती है उसके ऊपर नामज़दगी करते हैं। कोई भी व्यक्ति ८, ६, १० मिलकर यह कह दें कि इनको कर दिया जाय तो उससे हमारे पास पूरी सूचना उपलब्ध नहीं होती है यह आदमी क्वालिफाइड है, वह वोटर है या नहीं है, उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक पेनल भेजते हैं उसमें से हम नोमीनेशन करते हैं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : क्या यह

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सही है कि बहुत सी नगरपालिकाओं में कलेक्टर ने जो सिफारिश की थी उनको आपने नहीं माना है और यहां के लिए आप कहते हैं कि कलेक्टर जो सिफारिश करता है उसके अनुसार नॉमीनेशन करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : इसी के लिये आपने कहा है कि उसके आधार पर करते हैं।

**मंत्री स्वायत शासन विभाग** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कलेक्टर की सिफारिश पर वह किया गया है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आपने कहा कि कलेक्टर की सिफारिश के अनुसार होता है यहां के लिए तो लेकिन बाकी जो कुछ वह कहते हैं वह नहीं करते हैं, उसके क्या मायने हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : माननीय सदस्य ने जो कहा कि वहां के सदस्यों ने भेजा है तो उनके पास से हमारे पास कोई सूचना इस बात की प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : गत समय में जब ऐसा प्रश्न आया था तो उत्तर दिया गया था कि सदस्यों की राय का भी आप ख्याल रखते हैं फिर यहां क्यों ऐसा हुआ है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह आप गलत प्रिजम्पशन लगा रहे हैं। कोई जवाब नहीं दिया है। आप इस तरह का प्रिजम्पशन नहीं लगायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह बिल्कुल गलत बात है कि सारे सदस्य इस प्रकार से कहते हैं और कलेक्टर की सिफारिश आती है तो आप कलेक्टर की सिफारिश को महत्वपूर्ण मानते हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन है और गवर्नमेंट उसके अनुसार करती है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : कलेक्टर ने जब अपनी राय भेजी तो वह किस आधार पर थी ? नॉमीनेशन के लिए जो सिफारिश भेजी है वह किस आधार पर भेजी है ? वह आर्बीट्रेरिली भेजी है क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जो अच्छे केन्डीडेट्स होते हैं उनको देखकर जानकारी करके भेजते हैं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आप कहते हैं कि सदस्यों ने सिफारिश नहीं की लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि उन्होंने मेरे सामने पत्र लिखा है और ८ सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कलेक्टर को भेजा है, स्वायत्त-शासन विभाग में भेजा है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : आपके पास भेजा होगा। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। We are not concerned with what has been passed between the Collector and the Members.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : कलेक्टर गवर्नमेंट नहीं है क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : No. The Collector is not the Government. A

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

Collector is the servant of the Government.

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : The important question is how the Collector decides the name for the Municipalities. I will like to know the process.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** वह मैंने अर्ज कर दिया है।

**श्री पी० के० चौधरी :** क्या बताया ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री अबिदअली।

**श्री आबिदअली :** क्या यह सही है कि कलेक्टर लिस्ट एस. डी. ओ. से. मांगता है और चेयरमैन से मांगता है और पोलीटिक्ल पार्टीज़ से भी मांगता है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** मैंने यह कहा है कि कलेक्टर साहब ने किस से जानकारी की है वह मुझे जानकारी नहीं हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं उनसे जानकारी करते हैं और उनका नाम भेज देते हैं। डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है।

**श्री पी० के० चौधरी :** They have not prescribed any manner in the Rules.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** मैनर प्रेस्क्राइब्ड है उस हिसाब से कलेक्टर और गवर्नमेंट कन्सीडर करती हैं। There is a prescribed manner and there is no rule.

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या यह सही है कि वे जो ८ लोग चुने गये हैं वहां पर, वे जनसंघ के हैं और उन चुने हुये जनसंघ के ८ आदमियों की सिफारिश न मानकर केवल कांग्रेस पार्टी की सिफारिश मानी है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** इससे जनसंघ का कोई मतलब नहीं है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या ऐसे आदेश हैं कि जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी सिफारिश को मन्जूर करके शिड्यूल्ड कास्ट या दूसरे अन्य मेम्बर लिये जा सकते हैं ? क्या ऐसे नियम हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** न तो नियम बनाने का सवाल है और न नियम बनाने का प्रोविज़न है किसी कानून में।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : क्या ऐसा कहीं नहीं किया गया है कि कलेक्टर महोदय की सिफारिश करने के बाद में भी सरकार की तरफ से दूसरे नाम किये गये हैं ?

**श्री अध्यक्ष :** कानून बदल गया है। ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** अध्यक्ष महोदय, अभी भी नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं वे पुराने कानून के अनुसार होते हैं जब तक कि नया कानून लागू नहीं होता है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन है और उससे वह करती है तो उसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास :** क्या कलेक्टर के सामने राज्य सरकार की हिदायतों की पिक्चर नहीं हैं कि उसके पहले उसको इस

( श्री मुरलीधर व्यास )

तरह से करना चाहिए और उसके अनुसार यह करना चाहिए । ऐसी राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कलेक्टर को सूचना दी है क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** कलेक्टर भेजता है उसका मतलब यह है कि कलेक्टर एक पेनल भेजता है। कलेक्टर वहां जगह जगह आदमियों से बात करता है और पेनल देता है। वह एक दो नाम नहीं देता है, तीन नाम देता है। उसको जो ठीक नाम मालूम पड़ता है, वह सब के नाम भेज देता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि मेजोरिटी पार्टी होगी उसके जो चुने हुए मेम्बर्स हैं उनकी राय पर जरूर ध्यान देंगे ? क्या भैरोंसिंहजी के एक प्रश्न पर आपने यह कहा था ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** ध्यान तो बहुत सी बातों का रखते हैं लेकिन ऐसा कहा हो यह मुझे याद नहीं पड़ता है।

## अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, भरतपुर की अदालत में प्रथम श्रेणी के मामले

१५३७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भरतपुर में वर्तमान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट वहां कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या उक्त मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी के अधिकार प्राप्त हैं ?

(ग) यदि नहीं तो क्या यह सही है कि उक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रथम श्रेणी के मामले जाते हैं ?

(घ) यदि हां, तो इस तरह के मामलों की इस मजिस्ट्रेट की अदालत में क्या संख्या है ?

**मंत्री, गृह विभाग** (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) भरतपुर में वर्तमान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दिनांक ८. ११. ५८ से कार्य कर रहे हैं।

(ख) अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सा० को विधि एवं न्याय विभाग की विज्ञप्ति दिनांक १६ मार्च, १९५६ के आधीन प्रथम श्रेणी न्यायधीश के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं ।

(ग) अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

(घ) अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रथम श्रेणी के सुनवाई के मुकद्दमों की संख्या १. ४. ५६ को ७२ है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** अधिकार मिले उससे पहले के जो मुकद्दमे थे वे कितने दिन तक पेंडिंग रहे और उनका क्या हुआ ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** पेंडिंग रहे उनका फैसला हुआ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** इससे लिटिगेटर्स को कितनी तकलीफ हुई ? तो फर्स्ट क्लास के पॉवर्स पहले से देने चाहिए थे। अगर उनको नहीं थे तो दूसरे फर्स्ट

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

क़्लास के पावर्स वाले मजिस्ट्रेट के पास वह मामले जाने चाहिए थे ।

## जयपुर शहर में आग लगने की घटनाएं

१५३८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर-डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) :

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मार्च, १९५९ में कुल कितनी आग लगने की घटनाएं जयपुर शहर में कहां कहां हुई ?

(ख) प्रत्येक घटना में किस किस प्रकार का कितना कितना नुकसान हुआ,?

(ग) प्रत्येक में क्षतिग्रस्त लोगों को क्या क्या सहायता दी गई ?

(घ) सरकार उन घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है ?

**उप-मंत्री स्वायत्त शासन विभाग** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):(क) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में मार्च १९५९ में आगजनी की कुल २३ घटनाएं हुई । सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) नुक़सान का विवरण सूची में है ।

(ग) दमकल मशीनों से आग बुझाने, पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिये अस्पताल पहुंचाना तथा आवश्यकतानुसार पीड़ित लोगों को चाय व दूध भी वितरित किया जाता है ।

(घ) एक दमकल मशीन और खरीदी जा रही है, प्रति वर्ष फायर प्रिवेन्शन सप्ताह मनाया जाता है जिसमें आग लगने सम्बन्धी फ़िल्मों का प्रदर्शन तथा व्याख्यानों द्वारा पब्लिक को आग लगने सम्बन्धी मामलों पर सतर्क रहने के लिये समझाया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** :(आमेर सु०) : मौजूदा समय में कितनी दमकल मशीनें हैं ।

**डॉ० बहादुरसिंह** : यह जो सूची में दिया गया है कि आग लगने से ३० हजार का नुकसान हुआ है तो क्या इसकी जानकारी नहीं हुई कि किन कारणों से आग लगी है ? क्या यह सही है कि इन घटनाओं के अन्दर विरोधी कार्यवाही है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह नहीं कहा जा सकता कि विरोधी कार्यवाही है । यह पुलिस का काम है । आपने केवल यह सूचना मांगी है कि कितनी घटनाए हुई हैं वह मैंने निवेदन कर दिया है ।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या आपने इस संबंध में जानकारी की है कि स्टोर्स की कमी के कारण वहां पर आग लगाई है या दूसरे कारणों से लगी है ।

**श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** : केस दर्ज हो गया है ४३६ में । उसमें शायद कार्यवाही हो सकती हैं । हमारे यहां से कोई एन्कावायरी नहीं हो सकती है ।

# Page No.21



**श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि आग लगने के कारण क्या हैं, लोगों की लापरवाही से लगी या और किसी कारण से लगी ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह तो एक्सीडेन्ट है, आग लग जाती है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : आपने सूची में दिया है कि दुर्घटना की भी जांच की जाती है तो आखिर आग लगने का क्या कारण है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : दुर्घटना होने का कारण सरसरी तौर से डिपार्टमेन्ट मालूम कर लेता है। सबोटेज हुआ हो या और कोई कारण हो तो उसका पता लगाना तो पुलिस का काम है।

**श्री मूलचन्द डागा** : दुर्घटना का कारण ढूंढना चाहिये और उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिये।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग) : ये कारण लिस्ट में दे रखे हैं।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : क्या यह सही है कि जयपुर शहर में एक ही दमकल मशीन है जो सब जगह पहुंच नहीं सकती ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : एक ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं आग लगी हो और नहीं पहुंची हो। एक और खरीद रहे हैं।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : ढाणी बारोज में आग लगे एक महीना हो गया लेकिन कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

**एक माननीय सदस्य** : कहां पर ?

**श्री अध्यक्ष** : ढाणी बारोज में।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : गांवों का ताल्लुक रेवेन्यू विभाग से है, हमसे नहीं है।

## निवाई में पशुओं की चराई की दर

**१५३६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि निवाई को टोंक जिले में शामिल करने के पश्चात भी दो आने प्रति पशु चराई के रूप में वसूल करने की आज्ञा स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या इस प्रकार की कोई आज्ञा अन्य किन्हीं स्थानों के विषय में भी दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि निवाई पहले जयपुर जिले के अन्तर्गत था और उस समय चराई प्रति पशु १ रूपया वसूल होती थी ?

**उप-मंत्री, वन विभाग** (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता

(२) जी हां। १ रुपया १ आना प्रति पशु वसूल होती थी।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : अब कितनी वसूल होती है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अभी ससपेन्डेड है।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या और एरियाज को भी टोंक में शमिल करना चाहते हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैं आपका प्रश्न समझा नहीं।

**श्री पी० के० चौधरी** : Is the Government contemplating to transfer other areas to Tonk district in the same fashion ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : No Sir,

**श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सरकार उचित समझती है कि खानाबदोश्त लोगों से चराई ली जाय जब कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और सरकार की तरफ से उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जो लोग पशुओं को लेकर इधर उधर घूमते हैं उन्हीं को तो खानाबदोस्त कहा जाता है । उनके पास ज्यादा पशु होते हैं और वे उपयोग करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा ।

**श्री अनोपसिंह** ( बालोतरा ) : खानाबदोश्त लोग आज यहां हैं. और कल दूसरी जगह जायेंगे तो क्या दोनों ही स्थानों पर उनसे टैक्स लिया जायेगा ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोइ** : जी नहीं । एक ही जगह लिया जायगा । उनको रसीद साथ में रखनी चाहिये ।

**श्री रामकरणसिंह** : उनको जंगल में मुसीबत उठानी पड़ती है और सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिलती फिर भी उनसे टैक्स क्यों लिया जाता है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : पशु चरायेंगे तो उन्हें जंगल में ही रहना पड़ेगा । शहर में वे पशुओं को नहीं ला सकते । पशु चराने का उपयुक्त स्थान जंगल ही है और पशु चरायेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं कि कोई इतने दिनों तक एक स्थान पर नहीं रहेगा वह खानाबदोश्त माना जायगा ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : ६ महीने, १२ महीने भी रहें तो कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन एक जगह वे अधिक समय तक नहीं रहते हैं क्योंकि उनका धंधा ही ऐसा है कि जहां पानी, चारा वगैरह मिलता है वहां उनको जाना पड़ता है बाकी सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है । सरकार की ओर से पंचवर्षीय योजना में उनके लिये एक स्कीम भी है ।

### जिला बोर्ड के सदस्य को टी. ए.

१५४०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

क्या कारण है कि एक जिला बोर्ड के सदस्य को ६ आना प्रति माइल का टी. ए. मिलता है जब कि एक एम. एल. ए. को दो आने प्रति माइल ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग** (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अंतर्गत जिला बोर्ड के सदस्यों को ६ आने प्रति मील टी. ए. दिया जाता है ।

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

एम. एल. ए. को टी. ए. देने के नियम अलग हैं, चूंकि जिला बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है अत: टी. ए. की दरों में अब परिवर्तन करने का विचार स्थगित कर दिया है।

**श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या यह सही है कि ६ आना प्रति माइल खाली जयपुर जिला बोर्ड के सदस्यों को ही मिलता है, अन्य जिला बोर्ड के सदस्यों को नहीं ?

**मंत्री, स्वायत शासन विभाग** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : यह उत्तर जयपुर के लिये दिया गया है, बाहर के लिये नहीं मालूम होता है।

**श्री अर्जनदास** (अजमेर पश्चिम) : ६ आना पर माइल जयपुर में कब चालू हुआ ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जब से रूल्स बने।

**श्री अर्जनदास** : रूल्स कब बने ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने।

**श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या यह माना जाय कि ये रूल्स राजस्थान के सभी जिला बोर्ड्स के लिये लागू हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : सब जगह के लिये एक ही प्रकार के रूल्स हैं

**प्रागपुरा पंचायत की रकम का गबन**

१५४१. **श्री रामधन** ( दौसा ) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रागपुरा पंचायत की रकम के गबन का केस स्थानीय पुलिस में दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि चीफ पंचायत ऑफिसर ने भी उपरोक्त केस पुलिस में दिया है ?

(३) यदि हां, तो इतने दिन से पुलिस विभाग की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है ?

**मन्त्री, गृह विभाग** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) १६, १२, ५८ को सरपंच, प्रागपुरा ने थाना प्रागपुरा में एक रिपोर्ट पेश की भूतपूर्व सरपंच एवं खजांची, पंचायत के रु० ४०० ) या ५०० ) रु० नहीं सम्हला रहे हैं। उसी समय भूतपूर्व सरपंच व खजांची भी सरपंच को सम्हलाने के लिये रुपये लेकर पहुँचे किन्तु उसकी रसीद देने को कोई भी तैयार नहीं था। अतएव सारे कागज़ात चीफ पंचायत ऑफिसर के पास भेज दिये गये। कोई प्रकरण अंकित नहीं किया।

(२) जी नहीं, चीफ पंचायत ऑफिसर द्वारा स्थानीय पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**श्री रामकरण सिंह** ( कोटपुतली ) : क्या ये रुपये जो भूतपूर्व सरपंच के पास थे वे चीफ पंचायत ऑफिसर के पास भेज दिये गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

**श्री रामकरणसिंह** : इस प्रकार के रुपये भूतपूर्व सरपंच के पास मौजूद थे जिन्हें मौजूदा सरपंच ने नहीं लिये तो क्या उससे रुपये वसूल करने का कोई प्रोविज़न नहीं रहता ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जब नया सरपंच चुना गया तब पुराना सरपंच रुपये देने को तैयार था लेकिन नये ने रसीद नहीं दी इसलिये रुपये उन्हें नहीं दिये गये।

**श्री रामकरणसिंह** : जब एक सरपंच रुपये देने को तैयार है और दूसरा लेने को तैयार नहीं है तो रुपये उसी के पास रहेंगे या तहसील सरपंच या गवर्नमेंट उनको नहीं लेंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : गवर्नमेंट के लेने का सवाल नहीं है। एक पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो पुराने सरपंच को चार्ज देना होता है।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या पुराने सरपंच ने लिखित में दिया है कि वह रुपये देने को तैयार है और मौजूदा सरपंच ने भी लिखित में दिया है कि वह लेने को तैयार नहीं है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कुछ ऐसा ही हुआ था कि वह रुपये देने को तैयार था लेकिन रसीद देने को तैयार नहीं था इस लिये पंचायत ऑफिसर के पास भेज दिये। यह चीज़ लिखित है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।

**प्रश्न संख्या १५४२**

**श्री अध्यक्ष** : श्री पृथ्वीराज।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १५४३**

## कुशलगढ़ से उदयगढ व कुशलगढ़ से बांसवाडा की सड़कों का निर्माण

**१५४३. श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कुशलगढ़ से बांसवाड़ा की सड़कों का निर्माण कब से आरम्भ किया गया था और अब तक कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया ?

(ख) उक्त सड़कों का निर्माण अब तक कितना पूरा हुआ हैं और कितना कार्य बाकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कें ११ व १६ मील लम्बी हैं तथा इनके अभी पूरी नहीं होने का क्या कारण है ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माणविभाग** (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर बाद में दिया जायगा।

**एक माननीय सदस्य** : कब दिया जायगा ?

**श्री पुनमचन्द विश्नोई** : अगली टर्न पर दिया जायगा।

**प्रश्न संख्या १५१६**

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह

(अनुपस्थित)

## सेठ दुर्गाप्रसाद धर्मार्थ हॉस्पिटल, नवलगढ़

**१५२०. श्री श्रीराम बासोतिया** (नवलगढ़-श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या नवलगढ़ के सेठ दुर्गाप्रसाद मोर धर्मार्थ हास्पिटल के मालिकों की तरफ से गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल को सरकारी अधिकार में लेने के लिये दर्ख्वास्त आई है ?

(ख) क्या उक्त हॉस्पिटल को गवर्नमेंट अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

(ग) क्या नवलगढ़ में कोई योग्य डॉक्टर की नियुक्ति करने के मामले में गवर्नमेंट उदारतापूर्वक विचार करेगी ?

**मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जब तक मोर अस्पताल को लेने का सरकार निर्णय नहीं करेगी तब तक वहां योग्य डॉक्टर भेजने का प्रश्न नहीं उठाता।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : नवलगढ़ सब डिविज़नल हैड क्वार्टर है और इम्पोर्टेन्ट टाउन है, इस प्रश्न को कब तक सरकार विचाराधीन रखेगी ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : हमारे यहां हाल ही में दर्ख्वास्त आई है, निर्णय कर रहे हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : प्रश्न में उदारता पूर्वक विचार करने के बारे में कहा गया है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बहुत ज्यादा उदारता पूर्वक विचार किया जायगा।

**प्रश्न संख्या १५२४**

**श्री अध्यक्ष** : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १५२६**

श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १५२८**

श्री मनरूपराम परिहार।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १५३१**

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

# Page No.26



## ग्राम पंचायत ३५ बी० बी० तहसील पदमपुर में गबन

१५३२. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम पंचायत ३५ बी० बी० तहसील पदमपुर के प्रथम सरपंच ने पंचायत की धनराशि का गबन किया था ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का ?

(ख) उक्त सरपंच के खिलाफ डिवीज़नल-पंचायत ऑफीसर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कोई आक्षेप लगाये हैं ? यदि हां, तो क्या आक्षेप ले ?

(ग) क्या चीफ पंचायत ऑफीसर ने उक्त सरपंच के मामले को पुलिस के हवाले कर दिया था ? यदि हां, तो पुलिस जांच की रिपोर्ट अबतक क्यों नहीं आई ?

**मंत्री स्वायत शासन विभाग** (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : जी हां रकम गबन निश्चित नहीं।

**श्री मूलचन्द डागा** : आवाज़ सुनाई नहीं देती।

**श्री मदनसिंह** : थोड़ा जोर से बोलिये, सुनाई नहीं देता है। मंत्री स्वावत्त शासन विभाग

(ख) सरपंच द्वारा ६००० रुपये के करीब अनियमित रुप से अपने पास रखने, एवं आबादी भूमि विक्रय में २ रूपये प्रति प्रार्थना पत्र नक्शा फीस के वसूल करने तथा रोकड़ में जमा नहीं करने के आरोप लगाए थे।

(ग) जी नहीं, अलबता मामला पुलिस में देन हेतु ज़िला स्तर अधिकारी गंगानगर को अवश्य आदेश दिया गया था। लेकिन उसकी तामील अभी तक नहीं हुई है और तामील के लिए आदेश दिये गये हैं।

**श्री मोहरसिंह** (चूरू): ये आदेश कब दिये गये थे ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : १६-१२-५८ को।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : ग्राम पंचायतों में अक्सर गबन होता है, इसको मिटाने के लिए क्या सोचते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : माननीय सदस्यों को तामील देनी चाहिये कि वे गबन न करें।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर शहर): गबन की रकम कितनी है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : गबन की बात नहीं है। फीस का सवाल था, दो रुपये प्रति प्रार्थना पत्र पर लिये थे, वे जमा नहीं कराये। इसके बारे में इन्क्वायरी चल रही है।

**श्री नोहरसिंह** : यह इन्क्वायरी कब से कर रहे हैं, रिजल्ट कब निकलेगा ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : १६.१२.५८, को आदेश लिख दिये थे। इन्क्वायरी के बाद अगर कोई गबन होगा तो कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पृथ्वीराज।

# Page No.27



( श्री अध्यक्ष )

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

८. ५२. म० पू०

**राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट बिल, १६५७**

**श्री अध्यक्ष** : क्लॉज़ १४ । श्री श्रीभान सिंह ।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में...

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय परसों वक्तव्य देंगे ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : दो स्थगन प्रस्ताव थे । एक स्थगन प्रस्ताव है जिसमें राष्ट्रदूत का उल्लेख किया था बलात्कार की घटना को लेकर । उसके सम्बन्ध में उत्तर ऐसा है । राष्ट्रदूत में स्पष्ट ...

**श्री अध्यक्ष** : जी नहीं, अखबार की रिपोर्ट पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते । आप और तथ्य देते तो विचार कर सकते थे ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : तथ्यों का तो ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास हैं, जब कि पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हैं........

**श्री अध्यक्ष** : इस पर बहस नहीं होगी । इस पर व्यवस्था दे दी है कि अखबार की रिपोर्ट पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता । जैसा निवेदन किया था आप तथ्य देते तो पुनःविचार कर सकते थे ।

क्लॉज़ १४ का उत्तर देंगे, बहस का |.... वोट कर ले.... कोई अमेंडमेंट तो है नहीं ।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) : विथड्रॉ करने वाले हैं ।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : The Hon'ble Minister is inclined to delete.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग) : There is no question of deleting it. मैं कहूंगा कि १४ में जो प्रोविज़न है, इसमें मेम्बर्स की एसोशियेट करने की बात है । मैं समझता हूं कि एडवाइज़र की केपेसिटी में जिन आदमियों की एडवाइज़ लेने का अधिकार है, उस एडवाइज़ लेने के ऊपर प्रोवीज़न कर दिया है । ट्रस्ट के आदमी चाहें, जो रेगूलर मेम्बर हैं, तो वे ओपिनियन ले सकते हैं, राय ले सकते हैं । उसको लीगल शेप दे दी है । जब हम मानते हैं कि राय लेने का अधिकार है । आप यह मना नहीं कर सकते कि राय लेने का अधिकार नहीं है । ट्रस्ट किसी व्यक्ति की राय ले सकता है, किसी ओपिनियन की राय ले सकता है, इससे डिनाई नहीं कर सकते । तो इसे लीगल शेप देने की बात है । अब उसे राइट ऑफ वोट नहीं दिया है क्योंकि इससे बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन बदल जायगा । जो राइट मानते हैं उसे लीगल शेप दी है । मैं समझता हूं कि यह राइट रहना चाहिये और इसे कानून में प्रोवाइड कर दें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए ।

**श्री पी० के० चौधरी** : इसकी जरूरत नहीं है । यह नहीं रहे तो भी बुला कर राय ले सकते हैं । What is the object to appoint Associate Members ? एडवाइज़र

( श्री पी. के. चौधरी )

से ज्यादा स्टेटस उसको देते हैं, उसका मकसद क्या है ? What is the object ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : कोई मामला बोर्ड में डिस्कस होने का है और एक्सपर्ट को मेम्बर न बनावें और वह वालियन्टरीली आकर के इन्ट्रोड्यूस करे तो वह इन्ट्रोड्यूस हो जायगा। अब अगर उसको एसोशियेट मेम्बर बना देते हैं तो उसमें क्या नुकसान है। You don't give anything. वह कोई मांग नहीं करता है, उससे बोर्ड में कोई डिस्टरबेन्स नहीं होता है, उसको सिर्फ मीटिंग्स में शामिल होने का अधिकार दे दें तो क्या नुकसान होगा। मैं समझता हूं जैसा क्लॉज़ है, वैसा पास कर दें।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) : उसे मेम्बर मत बनाइये। उसे इन्वाइट कीजिये, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उसे मेम्बर के रूप में इन्वाइट करते हैं ....

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह रेगूलर मेम्बर नहीं है He will not have a right to vote. रेगूलर मेम्बर वे हैं जिनको वोट देने का अधिकार है। इसमें एसोशियेट मेम्बरर्स हैं, वे बहस में हिस्सा ले सकते हैं, वे अपनी राय दे सकते हैं लेकिन राइट ऑफ वोट नहीं हैं। इसलिए यह जिस तरह का क्लॉज है, वैसा ही पास कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बना।

खंड १५। श्री दयाकृष्ण विजय।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, खंड १५ के अन्दर कमेटीज के निर्माण के विषय में विधान किया गया है। खंड १४ जिस तरह पास किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो एसोशियेटेड मेम्बर होंगे, वे एसोशियेटेड मेम्बर किसी प्रकार ट्रस्ट के मेम्बर नहीं समझे जायेंगे, किसी भी कमेटी या किसी भी ट्रस्ट के कार्य के अन्दर उनकी एडवाइज़ ले सकते हैं लेकिन खंड १५ के अन्दर इस बात को देख कर आश्चर्य होता है कि जहां कमेटी बनाई जायेगी और उसमें जो मेम्बर होंगे, उनकी जो मीटिंग होगी और इनमें एसोशियेटेड मेम्बर को सलाह के लिए बुलाया जायगा, वे मेम्बर कहे गये हैं। इस तरह से जितने क्लॉज़ेज़ बनाये गये हैं, जिस ढंग से रखे गये हैं, ये सारे के सारे इस प्रकार के बड़े अव्यवस्थित से लगते हैं और ऐसा लगता है कि इसका रीकन्स्ट्रक्शन करना चाहिए। ऐसे मेम्बर जो किसी प्रकार रखे जायेंगे, उनके लिए खंड १४ में कहते हैं कि वे मेम्बर नहीं रहेंगे, और उन्हें एमेटी में अपॉइन्ट करेंगे तो वे मेम्बर रह सकते हैं, as a member of the trust ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत पड़ती है। इस दृष्टि से अमेंडमेंट मूव किया है और सारा क्लॉज़ व्यवस्थित ढंग से रखा है, यह क्लॉज़ अच्छी तरह से बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को आपत्ति नहीं होगी, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ :

"(1) The Trust may from time to time constitute committees consisting of not less than three persons, for the purpose of exercising such powers, discharging such duties and performing

( श्री पी. के. चौधरी )

such functions, as it may delegate to them.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for the trust from time to time, by a resolution adopted by not less than one half of the whole number of members, to appoint, as a member of a committee, any person who is neither a member nor a person associated with the trust under Section 14, who in the opinion of the trust possesses spealcial qualifications to serve on such a committee :

Provided that the number of persons so appointed shall not exceed one half of the total number of members of a committee.

(3) The provisions of this Act relating to duties, powers, liabilities, disqualifications and disabilities of members shall be applicable, so far as may be, to such persons.

(4) The Chairman of a Committee shall be appointed by the Trust from amongst the trustees."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी आदमी को ट्रस्ट के अन्दर बुलाना चाहें, किसी भी व्यक्ति को एसोशियेटेड मेम्बर बनाना चाहें, अगर कुछ डिसएबलिटीज़ या अयोग्यता उस आदमी के अन्दर है और वह अयोग्य व्यक्ति किसी प्रकार इन्ट्रेस्ट रखता है प्रोसीडिंग्स के अन्दर, ट्रस्ट के काम के अन्दर तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपॉइन्ट कर दें, स्पेशल क्वालिफिकेशन्स की वजह से, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से दुरुपयोग करेगा और जब तक प्रतिबन्ध नहीं रखा जायगा, जैसे आप किसी व्यक्ति को अपॉइन्ट करते हैं और जो डिसएबिलिटीज़ हैं, वे उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का ट्रस्ट में सहयोग लिया जायगा । इसका स्पेसिफिकली मेन्शन होना चाहिए । मै इसके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि जो कमेटी अपॉइन्ट करेंगे, उसका चेयरमैन वही व्यक्ति होना चाहिये जो ट्रस्ट का रेगूलर मेम्बर हो । यदि बाहर के व्यक्ति को, जिसको एसोशियेटेड मेम्बर कहते हैं, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है खंड १४ में, उसको चेयरमैन बना देते हैं तो यह न्यायोचित नहीं होगा । जो ट्रस्ट का मेम्बर है, वही चेयरमैन होना चाहिए और दूसरा आदमी जिसको अपॉइन्ट किया जाय, वह नहीं होना चाहिए । मैंने इसको बड़े व्यवस्थित ढंग से रखा है । मैं समझता हूँ कि इसके रीकन्स्ट्रक्शन को देखते हुए इसे स्वीकार करेंगे । मैंने जैसा निवेदन किया कि क्लॉज १५ के अन्दर रखा है एसोशियेटेड मेम्बर, उसमें विधि नहीं रखते हैं । जिस आदमी की असिस्टेन्स लेना चाहते हैं, उसको रखना है तो कम से कम मेजोरिटी की सलाह से लिया जाय । कोई चेयरमैन ट्रस्ट का है उसके हाथ में निरंकुश सत्ता मत दीजिये । ट्रस्ट मेजोरिटी से जिसको चाहे उस को रख सकता है, डिसएबिलिटीज उसमें नहीं होनी चाहिये ।

इसी मंशा से मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है और यह आपके इस लम्बे क्लॉज को देखते हुए अच्छा रहेगा ।

६ म० पू०

( श्री पूनमचन्द विश्नोई के उत्तर देनेके लिए खड़े होने पर )

# Page No.30



**श्री अध्यक्ष** : एक अमेंडमेंट और है। श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा )** : I have got an amendment. In clause 15 delete part 2.

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ में कमेटीज का कॉन्स्टीट्यूशन कैसे होगा, यह दिया हुआ है। इसमें लिखा है :

The trust may from time to time appoint committees, consisting of a trustee or trustees and such other person of any of the following classes as it may think fit, namely :—

(i) Persons associated with the trust under Section 14.

(ii) Other persons whose assistance or advice the Trust may desire as members of committee."

इसमें पार्ट (२) जिसको डिलीट करने को. लिखा है :

That relates to the persons associated with the Trust under Clause 14.

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि क्लॉज १४ के ऊपर डिस्कशन के दौरान में हमने कहा था. कि एसोशियेट ट्रस्टी नहीं बनाने से भी किसी व्यक्ति को बुलाकर आप राय ले सकते हैं, वह व्यक्ति डिस्कशन में अपनी राय दे सकता है। आपने उधर कहा भी कि अधिकार नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा था कि वोट के मतदान का अधिकार नहीं दें। एक्सपर्ट की राय का, नॉलेज का फायदा उठाने का है वह तो आप बगैर मेम्बर बनाये ही ले सकते हैं, इसका जवाब नहीं दिया गया, ऐसी कौनसी वज़ह है What is the additional advantage. वह मुझे मन्त्री महोदय ने एक्सप्लेन नहीं किया।

क्लॉज १५ में हम कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में इस व्यक्ति को भी रखना चाहते हैं, ३ तरह के व्यक्ति रहेंगे। ट्रस्टी, एसोशियेट ट्रस्टी और एक आ जायगा बाहर का, तो इस तरह मेजोरिटी बाहर के आदमियों की हो सकती है। पोंडरेट करेंगे डिस्कशन को।

कमेटी के फंक्शन्स दिये गये हैं क्लॉज १५ के आगे जाकर :

"The trustee appointed to a committee or where two or more than two trustees are so appointed such one of them as may be nominated, by the Trust shall be Chairman of such Committee."

Then comes Powers of the Committees :-"The Trust may refer to a committee appointed under sec. 15 for inquiry and report, any matter relating to any of the purposes of this Act, and

(b) delegate to such committee by specific resolution and subject to any rules made under this Act any of the functions or Duties of the trust."

यहां उस कमेटी की ड्यूटीज़ एण्ड फंक्शन्स ऑफ दी ट्रस्ट भी डेलिगेट किये जायेंगे ! ऐसी कमेटी बनेगी उसमें ट्रस्टीज़ की मेजोरिटी रहनी चाहिये न कि नॉन ट्रस्टीज़ की। अदर पर्सन्स में से एक रहेगा, ट्रस्टी

( श्री पी. के. चौधरी )

रहेगा और एसोशियेट ट्रस्टी रहेगा। तो मैं कहता हूं कि कमेटी में लोगों को लेने के लिये जो ट्रस्टी नहीं हैं, मेम्बर नहीं हैं, उसको मेम्बर की स्टेटस देने के लिये क्लॉज १४ में गवर्नमेंट ने एसोशियेट मेम्बर का रखा है। यह ठीक नहीं है। इस कमेटी में ट्रस्टीज़ की मेजोरिटी होनी चाहिये न कि नॉन ट्रस्टीज़ की। अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज १५ में जो प्रोविजन है वह अन्हैल्दी है इसको डिलीट कर दिया जाय। यह बैक डोर से उनको लेने का रखा है।

पहले यह समझ में नहीं आया कि यह प्रोविजन क्यों बनाया। क्लॉज १४ में एसोशियेट ट्रस्टी रखने का प्रोविजन रखा फिर क्लॉज १५ को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ट्रस्ट की कमेटीज बनती हैं उनमें एसोशियेट ट्रस्टी को रखने का प्रोविजन किया है तो मेरी समझ में आया कि क्लॉज १४ में ऐसा प्रावधान रख कर कमेटीज में रखने के लिये प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कई पोजिशन हो सकती हैं। डेवलपमेंट की, विकास की स्कीम इम्प्लीमेंट करने का सवाल है, किस ढंग से करना चाहिये, इसके लिये ट्रस्ट की तरफ से कमेटी बनाई जायगी। गवर्नमेंट की तरफ से रखा जायगा : Most of them will be technicllv qualified. टेक्निकल एक्सपर्ट होगा और दो आदमी रहेंगे म्युनिसिपैलिटी के इलैक्टेड पर यह प्रोविजन रखा है उसका मिस्यूज हो सकता है। जिस एरिया में प्लान बनाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं तो उस एरिया के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को मेम्बर बना दें, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिये कमेटी बनायें तो उसमें बैक डोर से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को रख दें इस ट्रस्ट के फंक्शन में उसकी वोइस को वेटेज देते हैं और उसको मौका देते हैं कि जिस तरह वह चाहे उसी तरह उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराये, इस चीज़ की बहुत गुंजाइश रहती है। जब ट्रस्ट गवर्नमेंट की तरफ से बनता है :

Without having any legal vias...

वहां ट्रस्ट काम करेगा, एसोशियेट मेम्बर लेंगे, लोकल आदमी लेंगे, इलेक्शन से नहीं लेंगे सरकार की तरफ से नोमिनेशन होगा तो इसमें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के बैक डोर से एन्टर होने की गुंजायश रहती है, उस कमेटी में उनको लेते हैं तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का ज्यादा वेटेज होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मेरा अमेंडमेंट है :

To delete the associate members from the committee. Should be accepted.

क्योंकि १४ के दौरान में यह भी कहा है कि उनको राय लेने के लिये बुलायें तो इस का मतलब यह नहीं होता कि वे लोग इन कमेटीज में भी शरीक हों। ये दोनों कन्ट्राडिक्टरी हैं।

Something upto apprehensions...

एप्रिहेन्सन रहता है इसलिये मैंने अमेंडमेंट रखा है कि उनको कमेटीज में नहीं लिया जाय।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें समर्थन इस बात का करता हूं कि १५ में रखा है उसको १४ में कहा है वे मेम्बर जिनको ट्रस्ट एसोशियेट करता है। फिर थर्ड में कर दिया :

Other persons whose assistance or

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

advice the Trust may desire as members of committee. तो आप पहले persons associated with the committee रख रहे हैं। इस कमेटी के सदस्य दूसरे में other persons whose assistance or advice the Trust may desire as members of committee. फिर ट्रस्ट और भी सदस्यों को नियुक्त कर सकता है और इस धारा के बाद provided that no committee shall consist of less than 3 members. और आप ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि तीन सदस्यों से कम नहीं हो। तो जनतन्त्र के तरीकों से जो आप कमेटी बनायेंगे और उस का जो निर्णय होगा वह जनतान्त्रिक तरीकों से नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है Persons associated with the committee under sec. 14...

क्लॉज १४ में आपने यह रखा है कि उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होगा और आपने क्लॉज १५ में यह किया है कि तीन आदमियों की कमेटी किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये होगी। एक व्यक्ति आपने क्लॉज १४ में यह लिखा है कि वह मत नहीं दे सकता। जिन लोगों को क्लॉज १४ के अनुसार मत देने का अधिकार नहीं होता क्या उन लोगों को जो मीटिंग में आवेंगे वे अपना मत क्लॉज १५ में जो मीटिंग होगी उसमें दे सकेंगे और क्या उनको ऐसा करने का अधिकार होगा और फिर ट्रस्ट उन आदमियों को मुकर्रर कर सकती है जो कमेटी में हों या दूसरों को बुलाने का आपने प्रावधान किया है। मगर इसके लिये यह होगा कि वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अब आपने other persons whose assistance or advice the Trust may desire as members of committee... तो यह तो मैं निवेदन करूंगा कि जो दयाकृष्ण जी विजय ने संशोधन रखा है उसमें साफ लिखा है कि ट्रस्टी होगा वही चेयरमैन होगा। "The Chairman of a Committee shall be appointed by the Trust from amongst the trustees." तो जो ट्रस्टी आपने अपॉइन्ट किया है वही चेयरमैन होगा। यहां प्रश्न यह है कि कमेटी के सदस्यों को नियुक्त करते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और ट्रस्टी होगा वह चेयरमैन होगा। वही अधिकारी होगा कि निर्णय....

**श्री अध्यक्ष** : निर्णय का प्रश्न नहीं है। सभापति ट्रस्टी को बनावेंगे। अगर किसी एक्सपर्ट की विशेष रूप से राय लेनी है तो उसमें सदस्यों को ले सकते हैं आप। यह समझते हैं कि बाहर के लोगों को लेना चाहिये किसी राय के लिये तो ले सकते हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : Clause 15 reads: 'the Trust may from time to time appoint committees, consisting of a trustee or trustees and such other person of any of the following classes as it may think fit, namely' that means it visualises that each committee shall consist of...

**श्री अध्यक्ष** : Over-all control is of the Trust. अगर किसी बाहर के एक्सपर्ट की जरूरत हो तो उसे बुला सकते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : ट्रस्टीज की कमेटी मुकर्रर की जावे वह कमेटी जो आप मुकर्रर करते हैं उसी कमेटी को अधिकार दिया जावे कि वह कमेटी किसी एक्सपर्ट को बुला कर

( श्री पी. के. चौधरी )

एडवाइज़ लेना चाहें तो ले लें लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर से थोप रहे हैं। जो कमेटी आप बना रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं यह साफ नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : ( उप-मंत्री महोदय की तरफ संकेत करते हुए ) आप उत्तर दें।

**श्री पूनमचंन्द विश्नोई** ( उपमंत्री स्वायत्त शासन विभाग ) : अध्यक्ष महोदय, पहला अमेंडमेंट कोटा से आने वाले माननीय सदस्य का है। उन्होंने यह कहा है कि धारा १५ की जो भाषा है वह इस बिल में व्यवस्थित रूप से नहीं है। इसलिये उन्होंने विस्तार के साथ अमेंडमेंट पेश किया है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो विस्तार के साथ बातें कही गई हैं वे, ट्रस्ट में रूल्स बनेंगे उसमें पॉवर्स दिये गये हैं उसमें आ गई हैं यह रूल्स में रखा है। एक्ट में बेअर आउट लाइन ही दी हुई है। मैं समझता हूँ कि जितना डिटेल्स माननीय सदस्य ने दिया है वह भी काफी नहीं है और जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने दिया है उसके बाद में भी काफी जरूरत रहती है। इसमें १५ सेक्शन दिया हुआ है इसलिये इसकी जरूरत नहीं है।

दूसरा संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का है। उन्होंने खंड १४ में एक संशोधन पेश किया था कि एसोशियेटेड सदस्य नहीं होना चाहिये. और सब-क्लॉज (१) के पार्ट (२) को डिलीट कराना चाहते थे मगर चूंकि वह धारा पास हो चुकी थी और वे उस पर नहीं बोल सके इसलिये उन्होंने इस पर बहस शुरू करदी जो मेरे ख्याल से रेलेवेन्ट नहीं है। ट्रस्ट चाहेगा तो कमेटी बनावेगा लेकिन ट्रस्टी एक या एक से ज्यादा भी होंगे। चेयरमैन उनमें से एक ट्रस्टी होगा और उसके बाद में जो डाइरेक्शन ट्रस्ट देगा उसका वे पालन करेंगे। उनको शंका यह हुई कि वह धीरे धीरे १४ से १५ में आवेगा तो मेरा निवेदन यह है कि खंड १५ की भाषा का अर्थ तो बिल्कुल साफ था :

'The trust may from time to time appoint committees, consisting of a trustee or trustees and such other of any of the following classes :' ट्रस्ट है उनके सदस्य की हैसियत दी है इसमें यह लिखा है कि 'or other persons of the following catagories or such other persons...'

इसलिये उनकी यह शंका है कि निरन्तर एक धारा से दूसरी धारा में ज्यादा पॉवर दे रहे हैं और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं। आपने १४ में अमेंडमेंट रखा था और वह पास हो गया। इसलिये उन्होंने ऐसा किया। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इसको विथड्रा करेंगे।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : Sir, If I am permitted to say something I would submit that when I heard the Hon'ble Minister-in-charge of Bill I thought that he would probably accept the amendment moved by an Hon'ble member from Kotah. But now he does not look to accept it. He should not be slow to accept the suggestion. I, would like to request him to read and consider the particular provision...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : Only the

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

Hon'ble member concerned can reply and no other member can reply.

**डॉ० बहादुरसिंह** : यह वकालत हो रही है।

**श्री अध्यक्ष** : आपके कहने का मतलब यह है कि ५.१ में नहीं बना सकते।

**श्री अर्जुनदास** : १५ वाली बात नहीं आ सकती।

I could go through Section 31 and I don't find anything covering Sec. 15 which you are discussing today. If we could find any provision in Section 5...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : It is very clear Sir, from the provision, made in Section 52 which read as follows :—

Every Trust may from time to time make consistant with this Act and with any rules made under this Act by the State Government :—

(a) for fixing the amount of security to be furnished by any officer and servant of the Trust from whom it may be deemed expedient to require security, for associating members with the Trust, for appointing persons to be member of Committees under Sec. 15...

जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि आधी मेजोरिटी से होना चाहिये। इसके लिये रूल्स में ज्यादा प्रोविजन हो सकेगा। उसके अपॉइन्टमेंट के बारे में ही ऐतराज़ है।

**श्री अर्जुनदास** : The Chairman shall be appointed by the Trust from amongst the members of the Trust...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : The Hon'ble member is arguing without having any brief. Clause 15 as it exists is quite clear, Sir. It so appears that he has not read it, I am sorry.

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

**श्री दयाकृष्ण विजय ( छबड़ा )** : माननीय अध्यक्ष, संशोधन में नई बात नहीं है। बाकी १५ ए में संशोधन के अलावा अलग अलग बातें दी गई है :

It may constitute such committees for the purpose of exercising such powers discharging such duties...

"ए" में दिखाया है उसको मैंने शामिल कर दिया है। यह एक ही में सारा आ जाता है। इससे कन्सोलिडेटेड धारा बनती है। कोई दुसरी बात नहीं है। आप ने लिखा है कि तीन आदमी रखेंगे यह बात मैंने व्यवस्थित रुप से दी है। मैं समझता हु कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं समझता हु कि भाषा की दृष्टि से ठीक करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं इसको वापिस लेना नहीं चाहता।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

( श्री अध्यक्ष )

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

**श्री पी. के. चौधरी :** I beg to withdraw my amendment.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my amendment.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज १५, १५ (ए) और १६ को स्वीकार किया जाय?

( स्वीकृत )

क्लॉज़ेज १५, १५ ए और १६ को स्वीकार किया गया।

**क्लॉज़ १७**

श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा ) :** अध्यक्ष महोदय, In clause 17, my amendment is that "in sub-clause (2) part 1 insert the following words: 'in writing' between the words 'inform' and 'the' and also delete the words 'if the person presiding at the meeting considers it inexpedient that he should do so." These are the two amendments.

अध्यक्ष महोदय Clause 17 relates to the trustees and associated members of Trust or Committee not to take part in proceedings in which they are personally interested. इस क्लॉज़ में ट्रस्ट की किसी प्रोसिडिंग्स जिसमें ऐसे विषय पर विचार हो रहा है जिसमें ट्रस्ट, असोसियेटेड मेम्बर्स, या कमेटी के सदस्य हों उसको पार्टिसिपेट करना चाहिये या नहीं। सब-क्लॉज़ (१) में दिया है: "A trustee who has directly or indirectly, by himself or by any partner, employer, or employee any such share or interest as is described in sub-sec.(2) of sec. 10 in respect of any matter, or" उसके क्लॉज़ १० सब-सेक्शन (२) में इन्ट्रेस्ट किया हुआ है कि उसका इन्ट्रेस्ट हो तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिये। क्लॉज़ २ में है वह इस तरह से है: "A person shall not be deemed for the purpose of sub-sec (1) to acquire, or continue to have, any share or interest in a contract or employment by reason only of his-

(a) having a share or interest in any lease, sale or purchase of land or building, or in any agreement for the same provided that such share or interest is acquired before he becomes a trustee, or

(b) having a share in a joint stock Co., which shall contract with, or be employed by or on behalf of the trust ऐसे इन्ट्रेस्ट जिनके हो उनको पर्टिकुलरी उसमें वे आवेंगे तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिये। सेकिन्डली Any trustee or associate

# Page No.36



( श्री पी. के. चौधरी )

members of the Committee or a member of the committee who has got any relation to any person having therein such share that trustee or Associate member will not be allowed to participate यानी कोई प्रोफेशनली किसी आदमी को रिप्रेजेन्ट किया हो तो भी अब सब-क्लॉज़ (२) में प्रोविजन यह रखा गया है "If any trustee or any person associated with the Trust under sec. 14 or any other member of a committee appointed under this Act has directly or indirecty any beneficial interest in any land situated in any area comprised in any Improvement scheme framed under this Act, or in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act-he shall before taking part in any proceeding at a meeting of the Trust or any committee relating to such area, inform the person presiding at the of the nature of such interest" इसमें रखा है कि नेचर ऑफ सच इन्ट्रेस्ट क्या है ? वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्टीमेट करेगा । मेरा अमेन्डमेन्ट यह है That he shall inform in writing the person presiding at the meeting about the nature of such interest. अध्यक्ष महोदय, राइटिंग में इन्टीमेट करने का प्रोविजन इसलिए रखना चाहिये कि वह सबसिडिंग क्लॉज़ में आता है He shall not take any other part in any proceeding at a meeting of the Trust, or any committee relating to such area if the person presiding at the meeting considers it inexpedient that he should do so. इसमें इन्डाइरेक्टली The person has the option that if the trustee or a member appointed on the committee has got intimate relation wherever according to the existing rules, that he has an interest that may be because clauee 3 reads. "He shall not take any other part in any proceeding at a meeting of the Trust, or any committee relating to such area if the person presiding at the meeting considers it inexpedient that he should do so." उसमें ऑप्शन रहता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर को मना करने का और नहीं करने का । इसलिए मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर प्रोसिडिंग में इन्ट्रेस्ट है तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर को वर्बली न कह कर उसको राइटिंग में दे जिससे आगे जाकर बंगलिंग न हो । किसी कमेटी के मेम्बर ने पार्ट लिया, आपका असोशियेटेड मेम्बर होगा या कमेटी का मेम्बर होगा, आपको जितनी जानकारी है उसकी असोशियेटेड मेम्बर को डिटेल्ड में उसकी जानकारी नहीं सकती । यदि वह कमेटी मेम्बर किसी पर्टिकुलर प्रोसिडिंग्स में पार्ट लेता है, वह किसी ट्रान्जेक्शन का निर्णय लेता है या एरिया के डवेलपमेन्ट का निर्णय लेता है या और कोई निर्णय लेता है जिसमें वह इन्ट्रेस्टेड है उसने प्रेसाइडिंग ऑफिसर को नहीं बताया what interest he has got. उसमें इन्ट्रेस्टेड है वह बात प्रेसाइडिंग ऑफिसर को नहीं बतायी, मान लीजिये कि स्कीम इम्पलीमेन्ट हो जावेगी और उसके बाद यह चीज़ नोलेज में आती है कि उसकी वहां जमीन थी, उसने वाटर पाइप वहां से निकलवाने का सजेशन रखा था, कमेटी प्रोसिडिंग्स को इन्फ्ल्यूएन्स किया था, जब ऐसा सवाल आयगा तो He has got a plot of land there or a particular road. पार्ट ३ में रखा गया है

( श्री पी० के० चौधरी )

लूपहोल कि यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मना नहीं करता है तो पार्ट ले सकता है। वह यह भी कह देगा कि मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कह दिया था, He has allowed इसलिए यह जरूरी है कि इन्ट्रेस्ट हो, कमेटी मेम्बर हो या असोसियेटेड मेम्बर हो, उनको इस प्रकार के इन्ट्रेस्ट के लिए इन राइटिंग में देना चाहिये।

दूसरी बात ऐसे व्यक्ति को किसी मीटिंग में where the Presiding officer likes or dislikes... इसलिए मैंने पार्ट ३ में डिलीशन के लिए अमेन्डमेंट रखा है, इसलिए रखा है कि Then he shall not take part in the proceedings. उस एरिया के सम्बन्ध में प्रोसिडिंग्स में पार्ट नहीं ले सकेगा, मुमानियत हो जावेगी। नहीं तो ओप्शन दे रखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, पर्टीकुलर प्लाट के लिए बात नहीं करे, लेकिन राइटिंग में नहीं देता है तो वह यदि उस एरिया में उसका प्लाट आता है तो वह पार्टिसिपेट कर सकता है। न तो एरिया के लिए पार्टिसिपेट करे और न खुद के प्लाट के लिए। दोनों चीजें नहीं होनी चाहिये। पार्ट ३ में जो व्यवस्था है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उसको डिलीट करें।

६.३० म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री **दयाकृष्ण विजय** ( छबड़ा ) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १७ में मैंने संशोधन यह दिया है कि Clause 2 be deleted इस बात पर जोर दूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सब-क्लॉज़ (१) और (२) ट्रस्टीज़, असोसियेटेड और कमेटी मेम्बर से सम्बन्ध रखता है।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चार बातें जानना चाहता हूं। क्लॉज़ १७ का जो बी भाग है उसके अन्दर आपने लिखा है "Has acted in relation to any matter" एक वकील है, वकालात करता है किसी मुकदमें की पैरवी करता है ऐसा हो सकता है कि उसको बोर्ड असोशियेट कर लेता है लेकिन वह चूंकि पैरवी करता है इसलिए उसको डिबार कर देते हैं। आखिर जो उसके पास वकालतनामा है उसे चाहे जब वह छोड़ सकता है। वह म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर बनना चाहता है वह बनने से पहले अपने पेशे का रेजिगनेशन दे देता है। वकालतनामा को विथड्रा कर लेता है। फिर भी इसको आप इतना संकुचित कर देते हैं जिससे कोई वकील के पेशे से संबंधित है, न्याय के मामले से संबंधित है, उसके लिये कैसे होगा ?

श्री **पूनमचंद विश्नोई** (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग) : On a point of order, sir. He has not tabled any amendment on this sub-clause. He cannot discuss.

श्री **उपाध्यक्ष** : But he has a right to discuss the whole clause. Though he has not tabled any specific amendment but he has a right to support and oppose the whole clause.

श्री **मूलचंद डागा** : मैं इसको अपोज

# Page No.38



( श्री मूलचन्दडागा )

कर रहा हूं। तो, मैं यह समझता हूं यह जो प्रोफेशनल किया है वह ठीक नहीं है। कई मामलों में हम लोग, वकीलों के लिये, जो लोग हर मुकदमें की पैरवी करने जाते हैं, मेम्बर नहीं बन सकेगा। मैं समझता हूं उसका रेजिगनेशन आने के बाद उसको मेम्बर बनने की छूट होनी चाहिये।

**श्री पुनमचन्द विश्नोई** : On a point of order Sir. हमने क्लॉज़ १० पास कर दिया है उसके अन्दर वकील वगैरह सदस्य हैं। वकील मेम्बर ही नहीं रहेगा इस सजेशन को जहां ओवर राइट करना होगा वहां इन कोन्सिसटेन्सी होगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: That is a sound argument.

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मेरा निवेदन यह है कि ट्रस्ट्रीज़ के साथ असोशियेटेड मेम्बर्स को भी जोड़े देते हैं तो दो क्लॉज़ इस तरह से रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये असोशियेटेड मेम्बर्स के लिये अलग क्लॉज़ रखते हैं तो यह एक तरह से रिपीटिशन मात्र है। आप उसी के साथ यह जोड़ दें जो इसकी हैड लाइन दी हुई है Trustees and associated member of Trust or committee not to take part in proceedings in which they are personally interested." जैसा कि आपने पहले क्लॉज़ में दिया है उसीमें आप असोशियेटेड मेम्बर्स को भी लगा दीजिये। यह संशोधन मैंने रखा है वह इसी भावना से रखा है कि यह रिपीटिशन मात्र है असोशियेटेड मेम्बर होने की वजह से अलग से इसको डिफाइन किया गया है इसको डिलीशन के लिये, अमेंडमेंट रखा है। पहले क्लॉज़ का जो ए और बी भाग है वह स्पेसिफिक है वही असोशियेटेड मेम्बर्स पर लागू होगा। ट्रस्ट्रीज़ के लिये जो बातें लागू होंगी वे ही सब असोशियेटेड मेम्बर के लिये भी लागू होंगी। असोशियेटेड मेम्बर प्लाट खरीदता है या किसी केस में इन्ट्रेस्टेड है वह उसमें पार्टीसिपेट नहीं करेगा इस तरह से आप एक ही क्लॉज़ में यह भावना भी प्रगट कर सकते हैं। इसलिये क्लॉज़ को लम्बा करना उपयुक्त नहीं। क्लॉज़ को जहां अच्छा बनाना चाहते हैं सारी बातें आ जायं और दोनों बातें एक क्लॉज़ में रख सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं इस संशोधन को माननीय मन्त्री महोदय को स्वीकार करना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : What about any person associated with the Trust.

आपके अमेंडमेंट के माफिक तो चला जायगा। इससे तो आपको पहले वाला बढ़ाना चाहिये था।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (उप-मंत्री): आपके अमेंडमेंट के माफिक इसको हटा देते हैं तो ट्रस्ट्रीज़ की लिमिटेशन हो जायगी।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मैं तो यह भी चाहता हूँ कि उसमें भी बढ़ा दीजिये।

**श्री मूलचन्द डागा** : थर्ड रीडिंग पर आप इस पर गौर फरमालें।

राजस्थान में जो लीगल एडवाइज़ मिलती है वह खत्म हो जायगी।

# Page No.39



**श्री उपाध्यक्ष** : It will have no scope so far as the amendments are concerned.

**श्री मूलचन्द डागा** : तीसरी बात यह है....

If the person presiding at the meeting considers inexpedient that he should do so.

यहां एक आदमी भी एसोशियेटेड नहीं होना चाहिये। जिसको सभापति कहेगा वह बैठ सकता है। इसको डिलीट करना वाजिब है जैसा कि पी० के० चौधरी ने अमेंडमेंट रखा है।

**श्री आबिद्अली** ( सवाई माधोपुर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : सुनने में नहीं आ रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Better you stick to some other mike.

**श्री आबिद्अली** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज १७ है इसकी जो हैड लाइन है उस हैड लाइन में ट्रस्ट्रीज़ एन्ड असोशियेट मेम्बर दोनों एक जगह कर दिये जांय। इसका क्लॉज़ वन का सब-क्लॉज़ ए कहता है "A trustee who has directly or indirectly by himself or by any partner, employer, or employee any such share or interest as is described in sub-sec. 2 of sec. 10 in respect of any matter, or" तो होना यह चाहिये कि सब-क्लॉज़ ए और सब-क्लॉज़ टू को एक जगह कर देना चाहिये....

**श्री उपाध्यक्ष** : That has already been suggested by Shri D. K. Vijay, I hope.

**श्री आबिद्अली** : इस बात का सपोर्ट कर रहा हूं रिपीटिशन हो गया है इससे अच्छा फेअर लुकिंग प्रोवीज़न नज़र नहीं आता जब कि मतलब दोनों का एक है। कुछ डिफ्रेन्स नहीं किसी भी सब क्लॉज़ेज को एलेबोरेट करते हैं उसका पर्पज़ यह होता है कि दोनो के अन्दर कोई डिस्क्रिमीनेशन होना चाहिये। इसमें हमें डिस्क्रिमीनेशन मालूम नहीं पड़ता इसलिये जहां दोनों का एक मतलब है वहां एक ही क्लॉज़ रखने में खूबसूरती होगी। लॉ हेल्दी हो जाता है। सब-क्लॉज़ेज अलग अलग करने में इसको समझने में दिक्कत होगी सोचेंगे कि क्या रीज़न थे जिसके कारण दोनों सब-क्लॉज़ेज को अलग अलग किया गया। इसलिये मिनिस्टर महोदय से निवेदन है कि वे इस तरह का अमेन्डमेन्ट लावें।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : This clause may be deferred, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : So Clause 17 as a whole is deferred. Then we come to Clause 8, 9 and 20.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : १८ पर बोलना है। क्लॉज़ १८-१६ और २० साथ ले लें तो इन तीनों में आवश्यक सर्विसेज़ के सम्बन्ध में जो प्रावधान हैं बोर्ड के सम्बन्ध में, इसे ओटोनोमस कहें तो गलत नहीं होगा। म्युनिसिपल बोर्ड और सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में बहुत अन्तर है। म्युनिसिपल बोर्ड चुना हुआ है और इस कारण किसी के प्रति जिम्मेदार है। ट्रस्ट

# Page No.40



( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सरकार द्वारा मनोनीत है इस कारण यह सीधा राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है इस कारण यह प्रश्न आवेगा कि इसकी सर्विसेज़ के किस प्रकार की होंगी। जब हम नगरपालिका विधेयक में सर्विसेज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यह देखते हुए कि जनता के प्रतिनिधि नियन्त्रण करेंगे इसलिये वे इन सर्विसेज़ में अधिक हस्तक्षेप न करें और सर्विसेज़ उनसे अनसिक्योर्डनैस नहीं फील करें, तो इसलिये हमने सर्विस के बारे में काफी प्रोविज़न किया है।

अब इसमें ऐसा है कि सेक्रेटरी का इसमें जिक्र है पर यह जिक्र नहीं कि सेक्रेटरी सरकार लोन देगी या क्या करेगी ? यह कहीं कुछ मेंशन नहीं है। अन्दाज़ भी लगावें तो अब तक की परम्परा के अनुसार सरकार द्वारा ऑन डेपूटेशन पर आवेगा। पर बाकी क्लर्कों का और दूसरी सर्विस का क्या होगा ? कौन उनको अपॉइन्ट करेगा, कौन वेतन निर्धारित करेगा, ग्रेड देगा किस तरह उनकी अपील होगी। इस सम्बन्ध में इस में स्पष्ट नहीं है।

इसमें जो प्रोवीज़न दिया गया है उसके अनुसार राज्य सरकार भी मन्जूरी से रख सकेंगे। तो ट्रस्ट के अधिकार में उसके हाथों में इस प्रकार के अधिकार देना क्या उचित होगा। हालांकि राज्य सरकार की मन्जूरी लेनी होगी फिर भी क्या ऐसे अधिकार इनको देना उचित है, यह देखना है। जब आज हम छोटी छोटी बात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाते हैं वहां ट्रस्ट को यह अधिकार दें कि वह मर्जी आवे उसको रखें निकाले तो यह सर्विसेज़ के साथ अन्याय होगा। सर्विसेज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिये।

यह जगह झगड़े की जगह है। किसी की दर्ख्वास्त आई, किसी की दर्ख्वास्त को नीचे लगा दिया, किसी को ऊपर लगा दिया, किसी को पहले दे दिया, किसी को नहीं दिया। तो ऐसे झगड़े होंगे। जब झगड़ा होगा तो शिकायत आवेगी। उसमें पक्षपात चलेगा। कोई उस का पक्ष लेगा कोई उसे निकालने की कहेगा। बोर्ड का कोई ट्रस्टी है वह अपना काम उससे करवाना चाहता है, कोई दूसरा उससे कुछ करवाना चाहता है अगर किसी का नहीं किया तो वह नाराज़ होकर उसे निकालने की कोशिश करेगा। अब धारा ५१, ५२ में जो रूल्स बनाये हैं उसमें यह नहीं है कि अगर ट्रस्ट किसी को निकालता है तो अपील कहां होगी उसकी तो इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं। उसके प्रोवीडेन्ट फण्ड, पेन्शन आदि के बारे में कुछ नहीं है। जैसे म्युनिसिपल में है कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑफीसर या बोर्ड निकालना चाहता है तो डिपार्टमेंट में वह जा सकता है। उसकी सर्विसेज़ सिक्योर्ड और सेफ है। तो वही इसमें होनी चाहिये।

आज हम देखते हैं नजूल के पॉवर जहां बोर्ड में दिये हैं वहां नजूल के कर्मचारियों के प्रति सभी जगह शिकायतें होती थी या रिश्वतें दी जाती थी। अब नजूल के जितने पॉवर पहले म्युनिसिपल के पास थे वे सब इस ट्रस्ट को आवेंगे। तो विचारणीय विषय होगा कि इस प्रकार के झगड़े के मामलों में उन कर्मचारियों की गरदन ट्रस्ट के अधिकारियों के पास हम दे देते हैं। तो यह

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

कहां तक ठीक होगा। ट्रस्ट का अधिकारी चुना हुआ नहीं होगा। मनोनीत होगा। एक तरफ सरकार द्वारा मनोनीत यानि सरकार का गुलाम और उस गुलाम के नीचे काम करने वाला कर्मचारी उस गुलाम का भी गुलाम। तो उन कर्मचारियों की ज्यादातर अवस्था ऐसी हो जावेगी। ऐसी स्थिति में उनको सर्विस की सिक्योरिटी देने के लिये इन, धारा १८, १६ और २० पर गम्भीरता से हमें विचार करना चाहिये। ज्यादा अच्छा यही होगा कि वे सारे गवर्नमेंट सर्विस में से ही हों। इनकी सर्विस भी चूंकि यह सरकार द्वारा ही मनोनीत बोर्ड है, सरकार की ही सर्विस समझी जाय तो आपत्तिजनक नहीं होगा। इस प्रकार के नियम हम बनावें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिये इन तीनों धाराओं को रीराइट करने की आवश्यकता है।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्लॉज़ १८ में जो पॉवर बोर्ड को दिये गये हैं वे उचित नहीं हैं जैसे कि....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, इन क्लॉज़ेज को डेफर कर दिया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : Clause 18 is also deferred.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : १८, १६ और २० तीनों।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : डेफर करने से पहले माननीय सदस्यों के इन पर विचार तो सुन लिये जावें ताकि इनकी लाइट में इन पर विचार किया जा सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : उस वक्त विचार सुन लिये जावेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : अभी विचार नहीं सुना और फिर कुछ उसमें रह गया तो फिर डेफर करने जैसी स्थिति आवेगी। इसलिये यह अच्छा होगा कि पहले विचार सुन लिये जावें और इसके बाद में उनकी लाइन में इनको रिड्राफ्ट किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : माननीय सदस्य चाहें तो असेम्बली के टाइम के बाद में बैठकर आज ही इन पर विचार करलें तो फिर सबके बारे में कह सकेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह सुझाव ठीक सा है। इसके बाद ही आप माननीय उप-मन्त्री के साथ बैठ जावें और इस पर विचार विनिमय कर लें इसके बाद यदि उचित समझेंगे तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरी खुद की भावना नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: हाउस से मेरा मतलब है।

**श्री भैरोंसिंह** : सदस्य अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस अभी कर दें। फिर डेफर कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैं मानता हूं कि वे भाषण अपना तैयार करके आये हैं और उसे यहां बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझे ही बता दें वे बैठकर तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम उनको सदन के बाद में एक जगह बैठ कर कन्सीडर कर लेंगे, यह जरूर

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

है कि आज आपका रोज का बोलने का कोटा पूरा नहीं होगा। फिर भी मेरे ख्याल से इसका पहले जल्दी पास करने की दृष्टि से देख लें और बाद में यहां ले आवें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं पहले यह समझता था कि माननीय सदस्य आपको जानते हैं किन्तु अब आप भी जानने लग गये हैं। Is it agreeable ? So we defer clauses 18, 19 & 20, 20A. We come to clause 21.

**श्री दयाकृष्ण विजय ( छबड़ा ) :** इस क्लॉज़ २१ में क्लॉज़ एक और दो को खत्म कर दिया जावे। काफी पॉवर रख दिये हैं। जिस कागज़ को चाहे मंगा सकता है। इस प्रकार की रिपोर्ट की कापी यहां भेजी जा सकती है और कोई भी डॉक्युमेंट उनको भेजा जा सकता है। ऑर्डर की तामील पहले जल्दी की जावेगी। यह दूसरे वाला तो रिपीटीशन मात्र है। इसमें लिखा है :

"(2) If the State Government so directs in any case, the Chairman shall forward to it a copy of all papers" और इसी के अनुकूल इसके अन्दर तीसरे के (सी) में है : A copy of any document in charge of the Chairman. यहां भी इसी प्रकार से है 'कापी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट' इससे आप क्या मतलब निकालते हैं। केवल मात्र एक रिपीटीशन है। जैसा कि मेरा चार्ज है कि इस बिल के अन्दर बहुत रिपीटीशन है और ज़बरदस्ती इसको बढ़ाने के लिए क्लॉजेज़ रखे गये हैं। हां, भाषा अच्छी हो और छोटी हो और उसमें सारी बातें आ जायें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में दूसरा क्लॉज़ है : "If the State Government so directs in any case the Chairman shall forward to it a copy of all papers तो 'ए कापी ऑफ डाक्यूमेंट' भेज दी जायेगी then (3) The State Government may require the Chairman to furnish it with a copy of any document दोनों ही एक सी बात है। केवल रिपीटीशन मात्र है और तीसरा यह है। मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जो भी कार्य अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड करेगा वह एक ऑटोनोमस बॉडी होगी इसकी एक एकमात्र सील होगी और इतनी पॉवर्स हमने इसको दी है उसके बाद में भी यदि स्टेट गवर्नमेंट यह कहती है कि जो प्रोसीडिंग्स आप करते हैं उसकी कापी हमारे पास भेजो, जो भी आप कदम उठाते हैं उसकी कापी भेजो और जो भी कार्य करते हैं उसकी एक कापी भेजो। तो इस तरह का हाथ जो सरकार इन ऑटोनोमस बॉडी पर रखती है और उसको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देना चाहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हरएक चीज में अपनी नाक फंसाना चाहती है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह की कार्यवाही किसी भी जनता की संस्था के ऊपर नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपने उसको ऑटोनोमस बाडी बनाई है और उसमें गवर्नमेन्ट के नोमीनेटेड आदमी होंगे। फिर तो वह पूरी तरह से गवर्नमेन्ट बॉडी हो गई। क्योंकि उसके अन्दर आपके द्वारा रखे हुए आदमी होंगे और आपके पिछलग्गू आदमी होंगे। वह आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। क्योंकि मुझे याद है कि कोटा अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इस प्रकार का कहीं प्रोविज़न नहीं है और उसमें साफ है कि जो कुछ भी इम्प्रूव-

( श्री दयाकृष्ण विजय )

मेंन्ट ट्रस्ट कर देगा वह फाइनल होगा लेकिन उसके बावजूद भी जब किसी की जबरदस्ती की अपील आई, हालांकि उसका प्रॉविज़न नहीं है लेकिन अपील के सारे कागजात को मंगाया और जिस ज़मीन की कीमत तीस रुपये की हो सकती है या ८ रुपये की हो सकती है, मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने उन ज़मीनों को कांग्रेसियों को ४ आने गज के हिसाब से दी है...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब बहस इससे रिलेवेन्ट नहीं है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : स्वायत्त संस्था एक चीज़ को ठीक समझती है, ट्रस्ट को इससे ज्यादा पैसा आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में ऐसी सत्ता उस एक्ट के तहत नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आप नाजायज तरीके से सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं आज भी उस ट्रस्ट का मेम्बर हूं। एक बार हमने इस प्रकार का रेज़्योल्युशन पास किया कि गवर्नमेंट भी इस प्रकार की फाइल मंगाती है तो नहीं भेजी जाये। क्योंकि गवर्नमेंट को दखलन्दाज़ी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने दखलन्दाज़ी की है और अनुचित तरीके के आपने ऑर्डर्स ज़ारी किये हैं और जो भी मन्शा ट्रस्टी की है वह उसके खिलाफ जाती है। लेकिन जब आप नगरपालिका के लोगों को लेना चाहते हैं उनको आप ट्रस्टी कहते हैं तो उन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, उनकी हर प्रोसीडिंग्स के ऊपर विश्वास करके चलना पड़ेगा। यह नहीं कि आप हर बात की प्रोसीडिंग्स मंगाये और उस पर भी यह रखा है कि दस दिन के अन्दर आ जानी चाहिए। इस तरह से आप स्वायत्त संस्था के ऊपर कन्ट्रोल रखेंगे तो ट्रस्टीज़ आप इस प्रकार से अपॉइन्ट करके उनका उपहास करेंगे और उनको अपॉइन्ट करना केवल मजाकमात्र रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप ट्रस्टी अपॉइन्ट करना चाहते हैं तो उनके ऊपर ऐसा कन्ट्रोल नहीं रखिये। इसलिए मैंने रखा है कि पहले क्लॉज़ में जो है कि हर बात की प्रोसीडिंग्स की कापी आप मंगाये, इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते है तो कोई कागज़ मंगा सकते हैं, कोई डाक्यूमेंट आप मंगा सकते हैं, उसके विषय में खोजबीन कर सकते हैं लेकिन हर प्रोसीडिंग्स आपके पास भेजें तो यह मेरी समझ में आवश्यक नहीं है। आपने ३ (स) में जो पॉवर्स ले रखी हैं कि चेयरमैन से चाहे जिसकी कापी मंगा सकते हैं जब यह है तो दूसरे क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि आप उसको स्वतन्त्र रूप से काम नहीं करने देना चाहते हैं। इसको हटाना चाहिए। क्योंकि ३ (स) में उसकी नकल आ जाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। क्लॉज़ ३ अपने आप में कम्पलीट है और जैसी पॉवर्स गवर्नमेन्ट अपने पास में रखना चाहती है वह तीसरे क्लॉज़ में सफीशियेन्ट है। तो मैं समझता हूं कि यह पहला और दूसरा अननेसेसरी है रिमूव कर देना चाहिए और तीसरा क्लॉज़ है वह सफ़िशियेन्ट है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, Hon'ble Minister.

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, इस-पर छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का यह अमेन्डन्ट है कि सब क्लॉज़

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

( १ ) और ( २ ) को डिलीट कर दिया जाये। मेरा निवेदन यह है कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि सरकार बोर्ड के कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगी। इसमें सिर्फ बात इतनी कही गई है कि जब मिनिट्स साइन कर देंगे तो दस दिन के बाद मिनिट्स की कापी राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी। यह ऑटोनोमस बॉडी है तो इसकी कार्यवाही से भी सरकार को अवगत रहना जरूरी है क्योंकि यह अगर डिपार्टमेन्ट की तरह काम करता तो सरकार का उस पर कन्ट्रोल रहता लेकिन यह एक ऑटोनोमस बॉडी है तो उसको केवल राज्य सरकार मिनिट्स मंगाती है इसलिए कि वह इस बात से अवगत रहे कि क्या कार्यवाही वहां हो रही है। मिनिट्स आने के बाद में यह जरूरी समझेंगे कि पेपर्स जिन पर फैसला करना होगा जो ट्रस्ट के सामने रखे गये हैं उनको भी मंगाया जा सकेगा, यह दूसरा प्रोविज़न है और तीसरे को तो माननीय सदस्य ने कहा दूसरा क्लॉज़ और तीसरे का (सी) एक ही चीज़ हैं मैं कहता हूं कि ३ (सी) इस प्रकार है: a copy of any document in the charge of the Chairman." और दूसरा है : copy of all papers which were laid before the Trust for consideration at any meeting यह दोनों अलग अलग बातें हैं और अलग अलग स्थिति का मुकाबिला करने के लिए हैं और तीसरे के लिए तो वह भी सहमत हैं। यह जो दो पहले वाले हैं वह जरूरी हैं क्योंकि जो भी बोर्ड की कार्यवाही हो उससे राज्य सरकार अवगत रहे इसलिए इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

**श्री उपाध्यक्ष :** Shri Dayakrishna Vijay, stressing or withdrawing ?

**श्री दयाकृष्ण विजय ( छबड़ा) :** मैं समझता हूँ कि यह अनडेमोक्रेटिक है कि एक संस्था की हर चीज़ को आप देखें that is undemocratic.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ पर जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाये ?

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ को स्वीकार किया जाये ?

( स्वीकृत )

क्लॉज़ २१ विधेयक का अंग बना।

**क्लॉज २२**

श्री पी० के० चौधरी।

There is an amendment.

**श्री पी० के० चौधरी :** Yes.

१०. म० पू०

In clause 22, my amendment is that in sub-clause (2) - (i) Part (d) be retained as it was in the Bill as introduced.

(ii) In part (i) delete the words 'or any... ...area.'

( श्री पी. के. चौधरी )

(iii) In part (k) insert the words 'Parks, play grounds' between the words 'markets' and 'and'

(iv) In part (11) insert the words 'and other' between the words 'residential' and' purposes'.

(v) In part (m) delete the words 'or of any...scheme.'

(vi) In part (o) delete the words 'the provision...population.'

उपाध्यक्ष महोदय, पार्ट (डी) में मेरा जो अमेंडमेंट है वह बिल के ओरीजिनल प्रोवीज़न को इन्क्लूड करने के लिए है। This clause 22 deals with schemes and matters to be provided therein. इम्प्रूवमेंट स्कीम कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या चीजें रखना चाहिए।

अब उसकी सब क्लॉज़(२)में कहा गया है कि "Such schemes may provide for all or any of the following matters. namely... उस स्कीम में हमने स्पेसिफाइड किया है कि नीचे दिये हुए तमाम विषयों या उसमें से कुछ विषय उसमें रहेंगे। अब उसमें से पार्ट (डी) में यह है कि "(d) the formation, construction and alteration of streets. यानी बैक लेन्स के लिए वह स्कीम नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि formations construction and alteration of streets and back lanes. होना चाहिए। ओरीजिनल बिल में यही था। सिलेक्ट कमेटी ने उसमें यह रखा गया है कि जो स्कीम रहेगी उसमें formation, construction and alteration of streets and backlanes. रहेगी लेकिन बैक लेन्स में कोई आल्टरेशन नहीं होगा, यानी कोई बैक लेन्स के लिए स्कीम में प्रोवीज़न नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं कि कोई भी स्कीम आप बनायेंगे, वहां पर रोड्स ले आउट करेंगे अगर स्ट्रीट्स से आउट करेंगे तो उसकी बाई-लेन्स कैसे रहना चाहिये। उसमें बैकलेन्स रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिए। यानी आज जो स्ट्रीट्स है, उनकी बैक लेन्स हैं उनमें आल्टरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसका प्रोवीज़न नहीं रखा है। मैं समझता हूँ कि यह इन्इमेजिनेटिव स्कीम होगी। जब प्लान के आधार पर स्कीम बनायेंगे, स्ट्रीट्स को आलटर करेंगे या नई स्ट्रीट के ले आउट करेंगे तो उसके आधार पर यह जरूरी हो सकता है कि बैकलेन को ले आउट देने का या जो एक्ज़िस्टिंग बैकलेन खराब हो जायं, उनको साइन्टीफिकेली स्ट्रेटन करते हैं तो उनमें आल्टरेशन करने का अधिकार रहना चाहिए ट्रस्ट को, यानी जो स्कीम बनाता है उसमें एक प्रोवीज़न रहना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ओरीज़िनल प्रोपोज़ल था बैकलेन के आल्टरेशन या नई बैकलेन के कन्स्ट्रक्शन के लिए स्कीम में प्रोवीजन होना चाहिये, वह ज्यादा साइन्टीफिक है और ज्यादा मौजूं हैं। इसलिए मेरा अमेंडमेंट है कि ओरीजिनल बिल में जो बैकलेन सम्मिलित करने का प्लान है, मैं चाहता हूं कि वह उसमें रखा जाय।

दूसरा अमेंडमेंट मेरा है:—"(1) the open spaces for the benefit of the area comprised in the scheme or any adjoining area ... उसमें एडज्वाइनिंग एरिया को मैंने डिलीट किया है, और वह इसलिए डिलीट किया है। इसमें जो प्रोवीज़न रखा है उससे यह मालूम

( श्री पी. के. चौधरी )

नहीं पड़ता है कि यह जो आप ओपन स्पेस रखना चाहते हैं तो जहां तक स्कीम एरिया का सवाल है उसमें तो रख सकते हैं, लेकिन जो एरिया इम्प्रूवमेंट स्कीम में नहीं है उस एडज्वाइनिंग एरिया में ओपन स्पेस का प्रोवीज़न कैसे रख सकते हैं ? How are you authorised to do it ?

जब वह एरिया अन्डर कन्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें अगर रखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप यह होता है कि उस एरिया को स्पेसीफाइड करें। तब जाकर लीगल ऑथोरिटी होती है कि उस एरिया के लिए ऑर्डर्स, स्टेट्यूटरी वे में या कॉंस्टिट्यूशनल वे में इश्यू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 'ऑर एनी एडज्वाइनिंग एरिया का प्रोवीज़न रखा है वह इल्लीगल रहेगा कि आपकी स्कीम एरिया तो यहां पर हो उसके आगे जाकर बैकस्पेस रखने की ऑथोरिटी कम से कम इस एक्ट में नहीं है, और इस एक्ट के प्रोवीज़न में जहां उस एरिया के लिए जो आपकी स्कीम में नहीं है उसके लिए ट्रस्ट ऑर्डर्स या इन्जेक्शन्स इश्यू नहीं कर सकता है। तब आगे जाकर 'ऑर एनी एडज्वाइनिंग एरिया' इसके लिए प्रोवाइड करेंगे स्कीम में तो मैं समझता हूं वह उचित नहीं होगा। That can be challenged in any court of law even if you keep it here.

तीसरा अमेंडमेंट, उपाध्यक्ष महोदय, पार्ट (के) में है। उस स्कीम में प्रोवीज़न रखा गया है "the establishment and construction of markets and other places of public requirement or convenience. उसमें public requirement or convenience. उसमें प्लेग्राउन्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें यह स्पेसिफिक प्रोवीजन रखा जाय। मार्केट का एक स्पेसिफिक प्रोवीज़न रखा है तो पार्क और प्लेग्राउन्ड्स का भी स्पेसिफिक प्रोवीज़न रखना चाहिए।

चौथा पार्ट (एलएल) का जो प्रोवीज़न दिया है कि इस स्कीम एरिया को प्लाट्स में डिवाइड करने की बात आप प्रोवाइड कर रहे हैं "the division of any land into plots for the erection of buildings for residential purposes:" लेकिन मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं रहता है वहां केवल रेसीडेन्शल के लिए ही प्रोवीज़न नहीं है आप मारकेट भी रखेंगे तो चिल्ड्रन के लिए पार्क भी रखेंगे। मार्केट्स रखेंगे तो प्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। मार्केट के लिए और दुकानों वगैरह के लिए प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोवीज़न नहीं रखा है प्लॉट प्रोवाइड करने के लिए। आपने मार्केट के लिए एरिया दिया है लेकिन प्लॉट्स प्रोवाइड करने का प्रोवीज़न नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति ज़मीन खरीद करता है तो कैसा भी चाहे प्लॉट बना सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रेसीडेन्शल एन्ड अदर पर्पजेज़ रखा जाय। तो वह इस तरह से होना चाहिये "(II) the division of any land into plots for the erection of building for residential and other purpose; ताकि रेजिडेन्शल बिल्डिंग के लिए प्लान ले आउट कर सकते हैं और मान लें कि स्कूल के लिए बिल्डिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट का अलाटमेंट नहीं कर सकते हैं। या हॉस्पिटल रखना चाहते हैं तो "ऑर अदर पर्पजेज" इन्क्लूड कर देंगे तो ज्यादा वाइडर रहेगा। और जो स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं या

( श्री पी. के. चौधरी )

जो लोग स्कीम बनाते हैं उनको लेटीट्यूड रहेगा कि वह जिस ढंग से चाहें प्लॉट अलॉट कर सकते हैं। ऐसे केस के लिए स्कूल बिल्डिंग के लिए या रहने वालों के लिए स्टेबल हो, उसके लिए प्लॉट अलग कर देना चाहिए। हॉस्पिटल के लिए कर देना चाहिए, और किसी स्कीम के लिए कर देना चाहते हैं तो उसका प्रोवीज़न इसमें आना चाहिए। रेजीडेन्शल एण्ड अदर पर्पजेज़ रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और जो लोग स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको सहूलियत रहेगी।

मेरा चौथा अमेंडमेंट है पार्ट ( एम ) में। इसमें प्रोवीज़न किया गया है। (m) the construction of buildings for the accommodation (including shops) of the poor and the working classes or of any other class of the inhabitants of the area comprised in the scheme..

मेरा अमेंडमेंट है;-"or of any other class of the inhabitants of the area comprised in the scheme." उसको डिलीट करने का। अगर उसको स्वीकार कर लिया जाय तो यह क्लॉज़ इस प्रकार से रहेगी:—"(m) the construction of buildings for the accommodation (including shops) of the poor and the working classes including such classes as are likely to be displaced by the execution of the scheme." 'एनी अदर क्लॉस रखते हैं any other class of inhabitants of the area तो हमारी सेक्यूलर स्टेट में दो ही क्लासेज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं। एक तो पुवर वर्किंग क्लॉज़ को रिकगनाइज़ करते हैं और दुसरी रिच यानी जो पैसे वाले हैं उन्हीं को रिकग-नाइज़ करते हैं। दूसरी कोई क्लास हमारी सेक्यूलर स्टेट में नहीं है Either they are poor and have nots or rich and haves. दो ही क्लॉसेज़ को रिकगनाइज़ कर सकते हैं। "any other class" अगर रखते हैं तो उसमें कंजरों की अलग बस्ती होगी, हरिजनों की अलग बस्ती होगी, ब्राह्मणों की अलग बस्ती होगी। तो 'ऐनो अदर क्लॉस' से क्या लेना चाहते हैं। यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह सेक्यूलर बेसिस पर न होकर किस बेसिस पर है ? रिलीजस बेसिस पर है या और किस बेसिस पर आ सकती है ? मान लें कि एक कमेटी बना दी। इम्प्रूवमेंट के ट्रस्ट के लोगों ने तय किया कि ब्राह्मणों का मोहल्ला यहां पर होना चाहिए, कायस्थों का मोहल्ला यहां पर होना चाहिए यानी 'एनी अदर क्लाज़' को प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी बात हो सकती है। अगर वह कर देते हैं it implies that हरिजनों के लिए रखना चाहते हैं तो वह पुवर क्लाज़ में रख सकते हैं। हरिजन कंजर या और कोई हो उनको अलग लोकेलिटी अलॉट करते हैं तो यह हमारी पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके लिए भी मिक्स्ड लोकेलिटी हो और हरिजन और सवर्ण लोग उसमें एक साथ रहें। इसलिए मेरा यह अमेंडमेंट है मान लें कि हरिजन हैं तो उनको इस तरह से रख सकते हैं कि म्युनिसिपल अपने वर्कर्स के लिए अलग कोलोनी बनाती है उसमें हम हरिजनों को एकोमोडेट कर सकते हैं। 'एनी अदर क्लॉस' का रखते है तो पुअर वर्किंग क्लॉस में उसको इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो सकता है तो It will not be a secular class, but it will be a caste class. तो वह कम्युनल क्लॉस रहेगी। सेक्यूलर क्लॉस नहीं रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं it is in bad taste

( श्री पी. के. चौधरी )

to have such a classification इसलिए मैंने अमेंडमेंट ने रखा कि 'एनी अदर क्लॉज़' को डिलीट कर दिया जाय, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे स्कीम बनाने में या तैयार करने में।

फिफ्थ जो है वह पार्ट (ओ) में है:—
"(O) the reclamation or reservation of land for gardens afforestation, the provision of fuel and gnass supply and other needs of the population;" इसमें रखा है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेंडमेंट रखा है कि:- "the provision of land and grass supply and other needs of population;" इसको डिलीट करने के लिये रखा है क्योंकि टाउन में पोपुलेशन को ग्रास सप्लाई की या फ्यूल सप्लाई की, नीड नहीं होती है और मुझे लगता है कि यह प्रोवीज़न बिल्कुल वेजा है इसलिये मैंने इसे डिलीट करने के लिये संशोधन रखा है। आप पोपुलेशन के लिए ग्रास सप्लाई करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : What is the point pertaining to population ?

**श्री पी० के० चौधरी** :-The provision of fuel and grass supply and other needs of the population: पोपुलेशन को ग्रास सप्लाई करने का है as if the population is grass eater, carnivorous. Actually it is for cattle... कैटल पोपुलेशन के लिए उनका मतलब होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम मास्टर प्लान तैयार करेंगे उसमें पाश्चरलैंड कभी नहीं रखेंगे। शहरों में जो ग्रास सप्लाई होता है वह ड्राई फोडर होता है। पाश्चर लैंड को टाउन इम्प्रूवमेंट की स्कीम में नहीं रख सकते और फ्यूल सप्लाई के लिए भी क्या शहर में फोरेस्ट एरिया रखेंगे ? It is a very funny provision. इसलिये मैंने यह रखा है कि इसको डिलीट कर दिया जाय वरना कोई इसे पढ़ेगा तो हंसेगा और कहेगा कि अर्बन पोपुलेशन के लिये ग्रास सप्लाई का प्रोविज़न न रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Is it applicable to human population ?

**श्री पी० के० चौधरी** : It can't be Sir. It is for cattle. What he meant is for cattle population... कैटल पोपुलेशन के लिये होती है लेकिन टाउन इम्प्रूवमेंट एरिया में पाश्चर लैंड प्रोवाइड करना फ्यूल के लिये फोरेस्ट रिज़र्व एरिया रखना यह इम्पोसिबल है। शेखचिल्ली की बात है। इसलिये मैं कहता हूँ कि यह क्लॉज़ सुपरफ्ल्यूअस है। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : Hon'ble minister in-charge.

**श्री भैरोंसिंह** (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : I thought you were busy with conversations.

**श्री भैरोंसिंह** : I was vigilant also Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा पर बहस हो रही है उससे ऐसा लगता है कि कई

( श्री भैरोंसिंह )

धाराओं के विपरीत इसमें कुछ कार्यवाही हो सकती है, इस प्रकार का मुझे कुछ संदेह है और वैसी स्थिति में मैं यह उचित समझूंगा बिना कुछ कहे, माननीय उप-मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस धारा को भी यदि डेफर करदें तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन ऐसा लगता हैं कि बिना कुछ कहे सुने यह स्थिति आने वाली नहीं है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इसके ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

**उपाध्यक्ष** : बिना कहे ही ऐसी स्थिति आ सकती हो तो May I refer to the Hon'ble Deputy Minister ?

**श्री भैरोंसिंह** : वे मानलें तो बहुत अच्छा होगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (उप मन्त्री) : It may be deferred.

**उपाध्यक्ष** : So it is deferred. Then clauses 23, 24, 25, 26, 27.

**श्री भैरोंसिंह** : फिर तो आप कहेंगे कि यह अतिशयोक्ति हो रही है, क्लॉज़ २२ डेफर हो जाती है तो बाकी की जो क्लॉजेज़ कोरेस्पोन्डिंग है वे सब डेफर होंगी।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इससे दूसरी क्लॉज़ों का सीधा ताल्लुक नहीं है, अगर उनका ताल्लुक ध्यान में ले आवें तो मैं इनको भी डेफर कर दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : This means 23, 23A and 23B.

**श्री भैरोंसिंह** : २३ और २३. दोनों का सम्बन्ध इसलिये आता है कि मास्टर प्लान एक तरफ बनाया है, दूसरी स्कीम्स बनाई है और यह कोशिश की है कि दोनों में कोई कांट्रोवरसन हो उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस संबंध में धारा २३ और २३. में प्रावधान किया जा सकता है और आगे की धारा २३ (बी) है जो मास्टर स्कीम बनाती है, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते है उससे इसका सम्बन्ध आता है इन चारों धाराओं का इतना सम्बन्ध है कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। क्लॉज़ २४ को आप अलग ले सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्लॉजेज़ २३ 23A, and 23B.

**श्री भैरोंसिह** : दोनों को डेफर कर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : They are deferred.

**क्लॉजेज २४, २५ और २६.**

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : २६ पर कुछ कहना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २४ और २५ स्वीकार किये जांय।

**( स्वीकृत )**

क्लॉजेज़ २४ और २५ विधेयक के अंग बने।

**क्लॉज २६**

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : यह तो डिलीट हुई है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** सिलेक्ट कमेटी ने इसे डिलीट कर दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** I take clauses 27 and 28.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्लाज़ २७ को पहले ले लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, धारा २७ में किसी स्थानीय निकाय की निर्धारण पुस्तक के उद्धरणों की प्रतिलिपियां के दिये जाने के सम्बन्ध में है ये दोनों संस्थाएं आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं चाहे गवर्नमेंट की हों चाहे लोकल बोडिज़ हों, हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि इन सारी संस्थाओं का आपस इस प्रकार का सम्बन्ध है। अगर आपने इस प्रकार से एक दूसरे से शुल्क लेना प्रारम्भ करवाया तो बड़ी कठिनाई होगी। इसमें दिया हुआ है कि "म्युनिसिपल बोर्ड का सभापति, न्यास के सभापति को, उसकी प्रार्थना पर निर्धारण सूची की प्रतिलिपि या उसके उद्धरण ऐसे शुल्कों का भुगतान करने पर जो ( नियम द्वारा ) निर्धारित किये जावें, देगा। आपका एक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है यदि वह नगर विकास से सम्बन्धित कोई कागज जो महत्वपूर्ण है और जिनके बिना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की कोई योजना नहीं चल सकती उनकी नकल अगर लेना चाहेगा तो नगरपालिका को उसे शुल्क देनी पड़ेगी। नगरपालिका और ट्रस्ट को एक दूसरे के कागजों की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट जो योजना बनायेगा उसका नगरपालिका से सीधा सम्बन्ध है और दोनों ही नागरिकों की भलाई के लिये काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इन्टर रिलेटेड हैं। अगर कागजों के लिये नगरपालिका वाले इससे पैसे मांगेंगे तो यह अनुचित बात होगी। इसलिये शुल्क की भुगतान करने के बारे में जो प्रोविज़न है उसे डिलीट किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** Is there any amendment to this effect?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन मन्त्रीजी स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** Then it does not need any reply.

प्रश्न यह है कि Clause 27,28 is to be opposed.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

खंड २७ विधेयक का अंग बना।

**क्लॉज़ २८**

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर के बोलने के लिये) खड़े होने पर)

There are obstacles at every stage.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, 'क्लॉज़ २८ के अधीन जितनी सुधार सम्बन्धी योजनायें बनेंगी, इनके सम्बन्ध में जितनी पिछली धारायें हैं, उनके सम्बन्ध में आपत्ति वगैरह को माने जाने या न माने जाने के लिए ट्रस्ट तय करेगा, कि किस योजना को लेना चाहिए, किस योजना का परित्याग करना चाहिए, योजनाओं का परित्याग करने के बाद किस योजना की राज्य

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सरकार के पास भेजना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि ट्रस्ट को किसके सम्बन्ध में फाइनल ऑथोरिटी बनायें। हमने देखा है कि नगरपालिका जो विधेयक हमने पास किया उसमें जो योजनायें थी, किसी के मकान को तोड़ने के, किसी को मकान बनाने के सम्बन्ध में इजाज़त देने के, यहां तक कि, जो छोटे छोटे मामले आते हैं, उन मामलों पर पहले नगरपालिका विचार करती है, जनता के प्रतिनिधि विचार करते हैं उसके सम्बन्ध में कि यह आपत्ति गलत है या सही है और उसके द्वारा निर्णय लेने के बाद अपील करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को रहता है। किसी के व्यक्तिगत मकान को तोड़ने, किसी को मकान बनाने की पर्मीशन देने या न देने के इस प्रकार के जितने मामले आते हैं, उनके लिए इस प्रकार का प्रावधान रखा है कि सम्बन्धित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को नुकसान होता है, जिस व्यक्ति पर नगरपालिका के निर्णय से असर पड़ता है, वह अपील कर सकता है, उसको अपील करने का अधिकार दिया है। लेकिन इसको देखें तो इसमें २८ एक है :

२८ (१) किसी भी योजना के सम्बन्ध में क्लॉज़ २४ की सब क्लॉज़ (२) के पार्ट (क) में निर्दिष्ट तारीख तथा क्लॉज़ २५ द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद न्यास उसके अधीन प्राप्त कोई भी आपत्तियों सुझावों तथा प्रतिवेदनों पर विचार करेगा और उन सब न्यासियों को जिन्होंने आपतियां, सुझाव अथवा प्रतिवेदन निवेदन किये हों सुनवाई की एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् न्यास या तो योजना का परित्याग कर सकेगा या राज्य सरकार को योजना को ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो सहित, जो तथा आवश्यक समझे, मन्जूरी के लिए आवेदन कर सकेगा।" इसमे भी इस प्रकार का अधिकार होता कि यदि वह चाहे और उसके अन्दर कोई परिवर्तन उपयुक्त समझे क्योंकि इसमें केवल एक मकान को या एक व्यक्ति के मकान को तोड़ने का प्रश्न नहीं, अगर ट्रस्ट देखे कि यहां से रास्ता निकालना है और उसमें १० मकान, ५ मकान आते हैं, तो उन सबको तोड़ने का ट्रस्ट ऑर्डर दे सकता है। या कोई सड़क इधर से निकालनी है या किसी स्कीम में सारे मोहल्ले को हटा कर फिर बसाना है, इतने बड़े बड़े लम्बे चौड़े डिसीजन ट्रस्ट ले सकता है। इसके बाद उसके पास आपत्तियां आती हैं, मोहल्ले वाले आपत्ति करते हैं कि यहां से सड़क निकाल रहे हैं, इधर से निकालने के बजाय इधर से निकाल दीजिये, इन मकानों को तुड़वाने के बजाय उन मकानों को तोड़ दीजिये, ऐसा करने के बजाय वैसा कर दीजिये, कोई आल्टरनेटिव स्कीम ट्रस्ट के सामने रखता है, उसके बाद ट्रस्ट को देखना होगा कि इस स्कीम को मानें या नहीं मानें, जिन लोगों ने आवेदन दिये हैं, आवेदनकर्ताओं ने जो योजना रखी है, उसके अनुसार अपनी योजना बदल दे, नहीं भी बदले और उस स्थिति के अन्दर सारी की सारी योजना को राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दे। लेकिन इसके साथ साथ, जिन लोगों ने ट्रस्ट के सामने आवेदन दिये है कि आपने जो योजना बनाई है, वह गलत है, इससे नुकसान होगा, इस योजना के इस प्रकार रहने से लाभ नहीं होगा, आप इस योजना में यह परिवर्तन कर दें, तो इस क्षेत्र के लोगों को अधिक लाभ हो सकता है, इस प्रकार आवेदन करने वाले लोगों के पास

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

ट्रस्ट के अतिरिक्त और कहीं अपील करने का अधिकार नहीं है। जहां एक और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, वहां अपील करने का अधिकार दिया है, व्यक्तिगत नुकसान के लिए अधिकार दिया है कि यदि एक मकान तोड़ दिया गया तो अपील करने का अधिकार दिया गया है। यहां एक बड़ी योजना ट्रस्ट बनाता है और एक मोहल्ले को समाप्त करता है, एक मोहल्ले की शक्ल बदलता है, ट्रस्ट एक सड़क बनाता है, उससे इतने बड़े मोहल्ले की शक्ल बदलने जा रहा है, और उससे सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को अपील करने का अधिकार नहीं दिया है, इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया नहीं दियाजा रहा है, यह गलत बात है। मेरा निवेदन है कि २८ (ए) के बाद २८ (बी) जोड़ दिया जाय कि इस ट्रस्ट के द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित व्यक्ति की आपत्ति है, वह राज्य सरकार के सामने, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धारा २६ आने वाली है, उसके अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रावधान जरूर है : "राज्य सरकार, उसे धारा २८ के अधीन प्रस्तुत की गई (सुधार) योजना की या तो परिवर्तन सहित या उसके बिना मंजूरी दे सकेगी या मंजूरी देने से इन्कार कर सकेगी या पुनः विचार के लिए लौटा सकेगी।" राज्य सरकार के अन्दर ये शक्तियां निहित की हैं, यदि राज्य सरकार चाहे तो योजना को स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार करे, या किसी प्रकार का संशोधन करे। इस प्रकार की शक्तियां राज्य सरकार को दी हैं लेकिन राज्य सरकार ये सारी बातें मर्जी के साथ कर सकती है। जब कि नगरपालिका विधेयक में जो टैक्सेशन का प्रोवीज़न था, यहां इस प्रकार का प्रावधान किया था कि अगर कोई नगरपालिका टैक्सेशन लगाती है, रूल्स बनाती है, तो उस पर कोई आपत्ति आती है तो उन सबको राज्य सरकार के पास भेज देगी, इसके सम्बन्ध में जो आपत्ति मिलेंगी, उनको राज्य सरकार के पास भेज देगी। लेकिन यहां पर जो ट्रस्ट की आपत्ति मिलेगी, उन सारी आपत्तियों का निराकरण ट्रस्ट स्वयं कर देगा और प्रतिवेदन या आवेदन राज्य सरकार के पास नहीं आयेंगे। अब राज्य सरकार जो निर्णय करेगी, जो स्कीम ट्रस्ट ने भेजी है, उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए या उस स्कीम में संशोधन करना चाहिए यह वह किस आधार पर करेगी। वह स्वयं मौके पर आकर बैठने वाली वाली नहीं है, राज्य सरकार के अधिकारी मौके पर आकर बैठने वाले नहीं हैं तो कम से कम जो लोग आपत्तियां भेजें, जिनके लिए २८ में अधिकार दिया है, ट्रस्ट को इतना बड़ा अधिकार दिया है कि उन सबको एक कलम के झोंके से उन सारी आपत्तियों को, प्रतिवेदनों को निरस्त कर दे और जो योजना है उसे राज्य सरकार के पास भेज दे। जहां इस धारा के तहत इतनी बड़ी योजना बनाने जा रहे हैं, और राज्य सरकार को अधिकार दे रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी इच्छा से सारी योजना का परित्याग कर दे, उसको निरस्त कर दे, स्वीकार कर सकते हैं। इतने बड़े अधिकार धारा २६ में देने वाले हैं और धारा २८ में इतना प्रावधान करें और अगर वहां अपील करने का अधिकार नहीं दे तो जितनी आपतियां मिलती हैं, जितने सम्बन्धित क्षेत्र से आपत्ति आती हैं, उनको सरकार के पास न भेजें...

# Page No.53



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (उप-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सेक्शन का पूरा अच्छी तरह से पढ़ा नहीं और बहस कर रहे हैं। इसमें प्रोवीज़न कर रखा है कि जो आपतियां आयेंगी वे स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजी जायगी। वह है, मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर दू :

"(c) a statement of objections, if any, received under section 24."

All these shall be sent to the State Government and the State Government shall consider all these and then either modify, reject or add something and then send it back.

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा है, मैं भी पढ़ कर सुनता हूँ : किसी भी योजना ....हिन्दी में है।....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, एक गलत बात माननीय सदस्य पकड़ लेते हैं और पांच मिनट बहस करने पर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, यह बात गलत हुई है। इस तरह से कानून पास करेंगे तो मुश्किल हो जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : I think the Hon'ble Deputy Minister ought to have been vigilant at the previous stage.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार जयपुर) : He himself lacks vigilance.

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : इसमें ऐसा है : "The Trust may either abandon the scheme or apply to the State Government for sanction to the scheme with such modifications if any as the Trust may consider necessary." इसमें कहा लिखा है कि आपत्तियों को सरकार के पास भेजेंगे। इसमें ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय. "After the expiry of the periods respectively prescribed by clause (a) of sub-section (2) of section 24

(श्री भैरोंसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : Hon'ble Member please be enlightened more......

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : He is saying that it is no where mentioned. It is here in sub-clause 2

(2) Every application submitted under sub-section (1) shall be accompanied by-

(a) a description of and full particulars relating to the scheme, and complete plans and estimates of the cost of executing the scheme;

(b) a statement of the reasons for any modification made in the scheme as originally framed;

(c) a statement of objections (if any) received under section 24;

(e) any representation received under section 25;"

(e) means on behalf of public and (d) is on behalf of the Municipal Board. All these facts are to be

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

specified in the application submitted to the Government and thereafter the State Government shall either reject or modify the scheme.

**श्री उपाध्यक्ष :** I hope this satisfies the Hon'ble Member.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** खैर, इतना है, पर अपील का प्रोविज़न नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** अपील का नहीं है that is all. yes, Hon'ble Minister.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य का खास एतराज यह है कि अपील का प्रोवीज़न होना चाहिये। इसका मतलब तो यह हुआ कि भाखरा डेम स्कीम बने, चाहे भिलाई प्लान्ट लगे, कोई सड़क बने, हर चीज की लम्बाई चौड़ाई के लिए अपील करने का अधिकार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रोवीज़न न हुआ है, न हो सकता है और न इससे किसी प्रकार का विकास हो सकता है। कायदा यह है कि जिस व्यक्ति का किसी तरह से इन्ट्रेस्ट क्लेश होता है तो उसको कम्पेन्सेशन देने के लिए और एतराज करने के लिए लैंड एक्वीजिशन और असेसमेंट में अपील का प्रोवीजन रखा हुआ है। आपके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की दो फीट ज़मीन आ जायगी तो जो भाखरा डेम की स्कीम है, वह....

**श्री मदनसिंह :** भाखरा का उदाहरण तो दे दिया लेकिन कहीं आपको थोड़ी मोटर अड्डे, वह जगह तुड़वा दी जायगी। इसलिए मकान के तोड़ने की ऐसी बात है कि इसके लिए अपील की गुंजाइश होनी चाहिये।

**श्री पूनमचंद विश्नोई :** मैंने निवेदन किया कि जहां इन्ट्रेस्ट क्लेश करता है, उस हद तक स्कीम को रद्द कर सकते हैं लेकिन जनरल स्कीम को कोई व्यक्ति रद्द करा दे, यह प्रोवीज़न नहीं दे सकते।

( घंटी )

क्योंकि इससे स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि एक मौहल्ले के व्यक्ति एक लाख अपील फाइल कर दें तो उन सब पर निर्णय नहीं हो सकता। तो कानून में रखा यह जाता है कि जितनी भी इन्डीविजूअल, किसी भी व्यक्ति की ज़मीन थी, उस पर उसका एक रहता है तो उसके बारे में कम्पेन्सेशन दिया जाता है, उस पर एतराज सुना जाता है और सब कुछ हो सकता है। अगर स्कीम बुनियादी रूप से गलत है तो इसमें रख रखा है कि मोडिफिकेशन किया जा सकता है पर एक आदमी अपील कर के सारी स्कीम को रद्द करा दे, यह नहीं हो सकता।

**उपाध्यक्ष :** So I take clause 28 together with clauses 29 and 30

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८, २६ और ३०....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार जयपुर ) : Just one clarification about clause 29.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉज २८ स्वीकार किया जाय।

( श्री उपाध्यक्ष )

( स्वीकृत )

क्लॉज २८ स्वीकार किया गया।

क्लॉज २६।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बज़ार, जयपुर) : One point of clarification. Clause 29 relates to power to sanction, reject or return the scheme.

इसमें जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है २६ के सम्बन्ध ये सब-क्लॉज़ (१) "The Committee feels that in view of the provisions contained in sub-clause (2), a scheme shall be republished only when it is returned by the State Government for reconsideration; and is modified by the Trust' So it will be re-published only when it is returned fof re-consideration and is modified by the Trust, otherwise not.

इसमें जिक्र किया है कि मोडिफिकेशन गवर्नमेंट करेगी। तो मैं समझता हूं मोडिफिकेशन करने का गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : That is the clarification you want.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : "...but when the State Government has sanctioned it with very substantial modifications, it will not be necessary to re-publish it. This, in the opinion of the Committee is not proper in as much as the inhabitants of the area...must be apprised again of the modifications. I cannot understand why it has been retained here. There is no power with the State Government. to modify a scheme.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष, इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें कोई वर्ड कट गया है, जिसके कारण इतनी गलतफहमी हुई है। इसमें लिखा है। "The Committee feels that in view of the provisions contained in sub-clause (2), a scheme shall be republished only when it is returned by the State Government for reconsideration, and is modified by the Trust, but when the State Government has sanctioned it with very substantial modifications, it will not be necessary to re-publish it. This in the opinion of the Committee is not proper in as much as the inhabitants of the area from whom objections were invited in respect of the original scheme, must be apprised again of the modifications made in the scheme by the State Government and for that purpose the scheme should be republished as if it had been notified by the Trust."

So there is no contradiction in the views of the Committee and the amended section.

**श्री उपाध्यक्ष** : This is alright then.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : Yes, "The Committee further feels that whenever the Government intends to modify any scheme it had better return it to the Trust for reconsidera-

# Page No.56



( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

tion rather than itself making such modification.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This clause deals with two things. One is with regard to modifications and the other is with regard to the publications of modified schemes. Clause 29, as it is, provides that the State Government can sanction a scheme or refuse to sanction it or send it for re-consideration. The Government has no power to modify it. The Committee report says:—This, in the opinion of the Committee is not proper in as much as the inhabitants of the area from whom objection were invited in respect of the original scheme, must be apprised again the scheme should be republished as if it has been notified by the Trust" इसमें कमेटी की रिपोर्ट में दिया है तो यह दिया है कि मोडिफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी । तो यह क्लीयर कर दिया जाय कि गवर्नमेंट को मोडिफिकेशन के पॉवर है कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है उनको एक ऑर्डर में नहीं रखना चाहिए । सेक्शन क्लीयर है और कमेटी के व्यूज क़्लीयर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ३० स्वीकार किया गया ।

क्लाज़ ३० ए । श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, My amendment is that insert the words 'by one year' between the words 'period' and 'and' in sub-clause (3).

अब क्लाज़ ३० दिया हुआ है "(3) The state Government may in consultation with the municipal board concerned either refuse to extend or may extend the period and the fact of such refusal or extension shall be notified in the official Gazette." अब मैंने जो अमेंडमेंट दिया है । "refuse to extend or may extend the period by one year."

एक्स्टेन्शन कितने अर्से के लिये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, इसकी कहीं पर पाबन्दी नहीं है, कहीं पर समय निर्धारित नहीं किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को पढ़ेंगे तो : Period for execution of a scheme...एक स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिये कितना पीरियड होना चाहिये तो वहां लिखा है । "(1) While notifying the sanction of a scheme under section 3o,' the state Government shall also specify in such notification the period within which the scheme so sanctioned is required to be exscuted by the Trust. (2) If the Trust fails

( श्री पी. के. चौधरी )

to complete the execution of the scheme within the period specified under sub-section (1) it shall make an application to the state Government setting forth the reasons for which the scheme could not be executed within the specified period and praying for its extension.

(3) The state Government may in consultation with the...

श्री उपाध्यक्ष : Why read the whole clause ?

श्री पी. के. चौधरी : होल क्लॉज़ इसलिये पढ़ रहा हूं कि यह जो स्कीम्स गवर्नमेंट सेक्शन करेगी तो गवर्नमेंट को लेटिट्यूड दिया है कि कितना समय दिया गया है इसके एग्जीक्यूशन के लिये...

( १०. ४६ म०पू० )

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इतना समय देंगे। तीन साल की जरूरत हो तो तीन साल दे सकते हैं, ५ साल की जरूरत हो तो ५ साल दे सकते हैं और १० साल की जरूरत हो तो १० साल का पीरियड दे सकते हैं....It depends upon the nature of the scheme. नेचर ऑफ दी स्कीम देख कर गवर्नमेंट गज़ट में स्पेसिफाई करेगी। यह क्लॉज़ इसलिये रखा गया है कि अक्सर देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स जहां जहां फंक्शन कर रहे हैं, स्कीम मंजूर हो जाती है पर ट्रस्ट की तरफ से ढिलाई रहती है। विदिन टाइम कोई स्कीम कामयाब नहीं होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अब यह रख रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नहीं तो लेप्स करना पड़ेगा। जहां स्कीम में इन्क्लूड किया जाता है तो प्रीवियस राइट्स थे उन पर रेस्ट्रिक्शन्स डालते हैं, उस एरिया के लोगों की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालते हैं।

जो ऑर्डिनरी प्रोपर्टी राइट्स हैं उसके साथ साथ एडिशन्स एन्ड आल्ट्रेशन्स करने के सारे के सारे राइट्स पर असर डालती है। Temporarily you deprive the person from exercising these rights. आप इसका पीरियड कितना रखना चाहते हैं। अगर आप किसी को ले कर खड्डे में डाल देंगे तो ५ साल क्या १० साल तक भी वह स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए आपको, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय मुकर्रर होना चाहिये There must be a compulsion that they must implement the scheme within specified time. नहीं कर सकें then the scheme lapses और वह कौन सा प्रोपर्टी होल्डर है then he must be at perfect liberty to use his property and land in any manner and for any purpose. तो मैं समझता हूं इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यह है कि ट्रस्ट को इम्प्लीमेंट करने की ऑथेरेटी है, उसको करने या ज्यादा लंबा समय बढ़ाने का। नॉरमल फंक्शन्स हैं प्रोपर्टी को आल्टर करना या डिस्पोज ऑफ करना है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय एक साल का सेंक्शन करने का रख सकते हैं। आप यह रख सकते हैं कि पांच साल में एक स्कीम पूरी होनी चाहिये और उसके बाद यदि वह पूरी नहीं होती तो एक साल और आपको एस्टेन्ड करने के लिए मिलेगा।

# Page No.58



( श्री पी. के. चौधरी )

इसलिए मैंने यह बात रखी है।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर)** : सभापति महोदय, धारा ३० ए में सरकार जिस पक्ष की अब तक उपेक्षा करती आयी है उस पक्ष को लेकर सरकार यहां आई है State Government may in consulation with the municipal Board concerned either refuse to extend or may extend the period and the fact of such ...Gazette." आज जितनी स्कीमें सरकार बनाती है उनको बनाते समय म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं पूछती है और जितनी भी स्कीमें बनती है....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को पता नहीं है। इसलिये यह कहा जाता है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को पूछा नहीं जाता। मैं यह कहूंगा कि बराबर पूछा जाता है और कन्सल्टस करके स्कीमें बनाते हैं।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : बाद में पूछा होगा जब काम म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया होगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैं यह कहूंगा कि यहां इसमें पूछा है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। Then all proceeds and asets come to the Municipal Board concerned;

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : एक स्कीम जो पूरी नहीं होती तो.....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : वह वापिस म्युनिसिपैलिटी को रिवर्ट होती है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आपने स्कीम के लिये टाइम लिमिट कायम कर दी। तो क्या क्या सेपरेट स्कीम भी म्युनिसिपैलिटी को जा सकती हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जितनी स्कीम में हैं उनको डवेलपमेंट ही करेगा। एरिया तो दोनों ही हालतों में म्युनिसिपैलिटी में जावेगा। अर्बन इम्प्रूवमेंट में किस तरह रहेगा। सभापति महोदय, इसमें यह सुझाव है कि एक्सटेन्शन के लिए एक साल का समय ज्यादा से ज्यादा रखा जावे। हमारे देश में जितने सुधार के कानून है उनमें राजस्थान में सबसे पहले यहां रखा हैं कि अगर हम उसको समय में पूरा नहीं कर सके तो स्कीम लेप्स हो जाती है। मगर कहीं दूसरी जगह ऐसा कानून नहीं है। सभी जगह दूसरे वर्ष में डाल दी जाती है। मगर यहां पर ऐसा है। कई दफे ऐसा होता है कि म्युनिसिपैलिटी के कब्जे से एरिया चला जाता है और स्कीम पूरी नहीं होती इसलिये हमने यह नया प्रोवीज़न रखा है। मगर आपने यहां पर यह कहा है कि एक साल से ज्यादा एक्सटेन्शन का समय नहीं दिया जावे तो इसका मतलब यह होगा कि अगर कोई काम इनकम्पलीट रहा है तो इस कानून के अन्तर्गत वह स्कीम पूरी नहीं हो सकती। मैं निवेदन करूंगा कि मान ले कि शहर में पानी की स्कीम है, सप्लाई पाइप करने की स्कीम है अगर वह ८ महीने में या १२महीनों में पूरी होगी तो वह फिर इस एक साल के समय रखने से पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसा होता है कि सामान समय पर न आये और उसमें समय लग जाए, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह सम्भव नहीं है और माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस लें।

**श्री पी० के० चौधरी :** मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३० 'ए' पर श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा की जाए।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my amendment.

**श्री सभापति :** प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३० ए स्वीकार की जाए।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ३० ए स्वीकार की गई।

**क्लॉज़ ३१**

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ 31. "Alteration of scheme after sanction at any time after an improvement scheme has been sanctioned by the State Government and before it has been carried into execution, The trust may alter it;" अब चेयरमैन महोदय या तो इसको हम बिल्कुल प्रारम्भ न करें तब इसका अर्थ लिया जाता है। अगर थोड़ी सी स्कीम बाकी है ऐसे मामले में before it has been carried into execution..... अगर वह फुल कम्पलीट नहीं होगी और ट्रस्ट देखेगा कि यह अधूरी है और वह ५० हज़ार की है, एक बार प्रारम्भ में आल्टर किया और वे देखते हैं कि आल्टर कर दिया फिर भी उसका कम्पलीट एग्जिक्युशन नहीं होता है और वह फिर उसको लेटर स्टेज़ में आॅल्टरेशन कर सकती है। वह किसी भी स्टेज़ में ऐसा कर सकेगी। आखिर में करेगी या शुरू में कर सकेगी क्या है यह साफ नहीं है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (उप-मन्त्री) : इससे एक un-executed scheme है उसको रिवाइज़ कर सकेगा। यह आवश्यक है कि इतना बड़ा एक काम हाथ में ले, ५०–२५ हज़ार का काम हाथ में ले तो उसको गवर्नमेंट के पास एप्रोच होना होगा। इसलिये यह प्रोविज़न होना ज़रूरी है।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३१ स्वीकार की जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ३१ स्वीकार की गई।

**क्लॉज़ ३२**

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३२ स्वीकार किया जावे।

**एक माननीय सदस्य :** सभापति महोदय, कोरम पूरा नहीं है फिर भी क्लॉजेज़ पास किये जाते हैं यह उचित नहीं होगा।

( गणपूरक घंटी के पश्चात पुन: )

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ३२ स्वीकार किया गया।

# Page No.60



( श्री सभापति )

क्लॉज ३२ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ३३

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज ३३ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३३-ए

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)**: सभापति महोदय, क्लॉज़ ३३ ए सब क्लॉज़ ४ में मेरा अमेन्डमेन्ट है Insert the words "subject to its being available for the purpose the State Government wants it back between the words Government and upon"

सभापति महोदय, क्लॉज़ ३३ ए के सब क्लॉज़ ४ में स्टेट गवर्नमेन्ट को नजूल लैंड जो ट्रस्ट को किसी स्कीम के लिये दे दी गई हो, इम्प्रूवमेन्ट परर्पज़ के लिए उसको वापिस लेने का प्रोवीजन किया है।

Sub-Clause (4) reads as under :-

"(4) If any Nazul land Placed at the disposal of the Trust under sub-section (1) is required at any time thereafter by the State Government, the Trust shall, by notification in the official Gazette, replace it at the disposal of the State Government, upon such terms and conditions as may be agreed upon between that Government and the Trust."

इसमें मेरा अमेन्डमेन्ट है : "...replace it at the disposal of the State Government subject to its being available for the purpose and the State Government wants it back, upon such terms and conditions as may be agreed upon between that Government and the Trust."

सभापति महोदय, जो नजूल लैंड है उसको एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेन्ट को दे दिया और मान लीजिये कि उस लैंड को लेने के बाद ट्रस्ट ने कोई स्कीम बनायी, मान लीजिये कि वह स्कीम रेजीडेन्शियल क्वार्टर्स के लिए है, चिल्ड्रन पार्क के लिए है, या मार्केट के लिए है, स्कीम ट्रस्ट ने बना दिया, सेंक्शन हो गयी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेन्ट कहती है कि यह जमीन हमको चाहिये। इसमें ऑफिस बिल्डिंग खड़ा करेंगे। मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसका मकसद यह है कि यह जो नजूल लैंड है जिसको स्टेट गवर्नमेन्ट ने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दे दिया और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने उसको किसी पर्टिकुलर स्कीम में इनक्ल्यूड कर लिया या तो रेजिडेन्शियल पर्पज के लिये या चिल्ड्रन पार्क के लिए या पब्लिक प्लेस के लिए जिसमें गार्डन्स या मार्केट भी हो सकते हैं, उसके लिए दे दिया लेकिन स्टेट गवर्नमेन्ट उसको वापिस लेगी तो यह कन्डीशन होनी चाहिए कि जो जगह इनक्लयूड किया गया है स्टेट गवर्नमेन्ट वापिस लेकर उसमें दफतर न खोल दें। रेस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिये। मेरा अमेन्डमेन्ट है 'subject to its being available for the purpose,.

माननीय मंत्री महोदय इसको मंजूर करेंगे।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर)** :

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सभापति महोदय, जो अमेन्डमेन्ट फुलेरा से आये हुये माननीय सदस्य की ओर से आया है वह वास्तव में बहुत महत्व का है। सरकार नजूल लैंड डिक्लेयर कर दे। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट उसको इम्प्रूव करता है, वह उसमें प्लाट्स बनाता है। वह जमीन, पार्क्स, प्ले-ग्राउन्ड वगैरह के लिए निर्धारित कर दी जाती है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेन्ट देखे कि ऊबड़ खाबड़ जगह थी और इसको इम्प्रूव कर दिया तो इस बिल के इस प्रोवीजन से वह उसको वापिस गवर्नमेन्ट की डिक्लेयर कर सकती है। डिक्लेयर करने के बाद वह उसको बेच सकती है अथवा उसको ऑफिस के लिए भी उपयोग कर सकती है। इससे तो ट्रस्ट और गवर्नमेन्ट के बीच में झगड़ा होगा। ट्रस्ट में केवल गवर्नमेन्ट के ही सदस्य नहीं होंगे किन्तु नगरपालिका के भी सदस्य होंगे। वे यह चाहेंगे कि जिस जमीन को इम्प्रूव किया, है उसको रेजीडेन्शियल पर्पज़ के लिए देना चाहिये लेकिन गवर्नमेन्ट चाहेगी कि उसको वह इस क्लॉज़ के अन्तर्गत वापिस लेने का अधिकार है और वह उसको ऑफिस के लिए उपयोग करेगी अथवा जिस ढंग से वह चाहेगी उसके लिए वह उसका उपयोग करेगी। इसमें यह दिया है: "(1) The State Government may by notification in the official Gazette and upon such terms and conditions as may be agreed upon between it and the Trust" अगर गवर्नमेन्ट और ट्रस्ट के बीच में कन्डीशन एग्री नहीं होती है क्योंकि यह जरुरी नहीं है कि जो गवर्नमेन्ट कन्डीशन ले डाउन करे उसको सारी की सारी को ट्रस्ट माने ही, लेकिन ट्रस्ट यह सोचता है कि इस जमीन को गवर्नमेन्ट को देने के बजाय पब्लिक युटिलिटी के लिए बेच दिया जाय तो इसका ज्यादा उपयोग होगा, इस दृष्टि से दोनों में दो दृष्टिकोण हो सकते हैं और जब आपस में दोनों दृष्टिकोण टकरायेंगे तो आपस में दोनों के झगड़े होंगे। जो कन्डीशन, यदि उसको डिज़ोल्व नहीं होना है, तो गवर्नमेन्ट जिसको रखेगी उसको ट्रस्ट को मानना पड़ेगा। ट्रस्ट मजबूर होगा और नहीं होगा तो ये शब्द रखे हैं 'upon such terms and conditions as may be agreed upon' यह नहीं होगा। सब-क्लॉज़ ४ है वह एनोमलस क्लॉज़ और इसको ठीक करना चाहिये। वरना जिस जगह गवर्नमेन्ट की मर्जी हुई वह उस जगह को ले लेगी। ट्रस्ट को कन्डीशन मानना पड़ेगा और नहीं मानता है तो उसको गवर्नमेन्ट डिज़ोल्व कर सकती है। गवर्नमेन्ट का हमेशा ट्रस्ट के ऊपर डंडा लटका रहेगा। यह ठीक नहीं है और इसलिए अमेन्ड करना चाहिये।

**श्री पूनमचंद विशनोई** (उप-मंत्री): चेयरमैन महोदय, इसमें अमेंडमेन्ट यह है: Subject to its being available for the purpose the State Government wants it back" यह इसमें रख दिया जाय। कहने का मतलब यह है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने जिस काम के लिए डिमार्केट कर रखी है उस काम के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट उसको दे। यह चीज़ बराबर बैठ नहीं सकती। स्टेट गवर्नमेन्ट का उसको लेने का पर्पज़ हो और लेना चाहे तो वह वैसा पर्पज होना चाहिये जो बोर्ड ने निर्धारित किया हो। यह हो नहीं सकता। पब्लिक के लिए जरूरत हो तो ट्रस्ट का काम है। लेकिन ट्रस्ट कहे कि इस पर्पज़ के लिए हो सकता है तो ये दोनों बातें बैठ नहीं सकती हैं। इसमें इस प्रकार की बंदिश रखना कि मान लीजिये कि मकान बनाना है इस-

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

लिए सरकार मकान बनाये, मानलीजिये कि शफाखाना बनाने की जरूरत है तो फिर क्या हो। मेरा यह निवेदन है कि ये दोनों चीजें एक साथ बैठ नहीं सकती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जमीन चली गई, स्टेट गवर्नमेंट ने डाइवेस्ट कर ली है, वापिस नहीं मिल सकती मैं इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकता और माननीय सदस्य इसको वापिस ले लें।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : I may be permitted to withdraw my amendment.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेंट श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी. के. चौधरी** : I withdraw my amendment.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि कलॉज ३३ ए, ३४, ३५, ३६, ३७, ३७ ए, ३६, ४३, ४४ स्वीकार किये जांय ?

कलॉज़ेज ३३ ए, ३४, ३५, ३६, ३७, ३७ ए, ३६, ४३, ४४ स्वीकार किये गये।

कलॉज़ ४५

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : सभापति महोदय, इस कलॉज ४५ पर मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है : Substitute the words' one month for the woods in the notice' in sub-clause (2) यह कलॉज कम्पलसरी रिक्वीजिशन ऑफ लेंड के लिए जिस भूमि की उस ट्रस्ट को आवश्यकता होगी तो उसको किसी प्रकार कम्पलसरी ले सकता है। लेकिन जिन लोगों से जमीन लेगा उनको कुछ टाइम के लिए नोटिस दिया जावेगा लेकिन यहां यह स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर वह टाइम कितना होगा ? इस अमेन्डमेन्ट द्वारा मैंने यह निवेदन किया है कि आखिर उसको टाइम दिया जावे कि भूमि की ट्रस्ट को आवश्यकता है और ट्रस्ट उसको चाहता है। टाइम निर्धारित न करने के कारण ट्रस्ट कम समय देगा। १ महीने का समय काफी पर्याप्त होगा एक व्यक्ति को जवाब देने के लिए ताकि उसको कोई रिप्रेजेन्टेशन करना है या कुछ कहना है। यह आवश्यक है कि कम्पलसरी लैंड के एक्वीजिशन के लिए एक महीने का समय दिया जावे और मैं समझता हूँ, माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

११ म. पू.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : (उप-मंत्री) चेयरमैन महोदय, इसमें जो उप खंड पांच है वह साफ है "(5) Where any land is vested in the State Government under sub-section (4) the State Government may, by notice in writing, order any person who may be in possession of the land to surrender or deliver possession thereof to the State Government or any person duly authorised by it in this behalf within 30 days of the service of notice." नोटिस का मतलब हमेशा रिज़नेबल नोटिस से होता है। केवल तीस दिन भी रखना सफिशियेन्ट नहीं है। रिज़नेबल नोटिस दिया जाता है...

डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) आप नोटिस कितने दिनों का देना चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जैसी भी परिस्थितियां हों छोटे काम के लिये एक दिन का नोटिस भी हो सकता है। ऐसे भी मामले हैं जिसके अन्दर एक दिन के नोटिस से काम नहीं चल सकता वहां ज्यादा दिन का नोटिस देते हैं। एक महीने से तो किसी भी हालत में कम नोटिस नहीं होगा।

श्री सभापति : परिस्थितियां देखकर ही वेरीएशन हो सकता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें ऐसा है कि एक महीने से कम की व्यवस्था नहीं होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मुझे अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाज़त प्रदान की जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री बहादुरसिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ को स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज ४५ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ४५ ए

श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा ) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४५ के सब क्लॉज़ १० में मेरा अमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार है :

In sub-clause (10) substitute the words'six months from the date of such acquisition' in place of the words' such time as may be prescribed'-

सभापति महोदय, ४५ ए. में Compensation for compulsory acquisition of land है जिसमें कम्पनसेशन का प्रावधान है। ४५ ए. के सब-क्लॉज़ १० में दिया हुआ है 'the time by which the amount of compensation has to be determined.'

The clause reads :-

"(10) The Collector shall dispose of every case referred to him under sub-section (3) for determination of compensation as expeditiously as possible and in any case within such time as may be prescribed."

यानी such time prescribed' की जगह पर 'within six months from the date of such acquisition' रखी है।

पिछले दिनों में हमने देखा है, कि गवर्नमेन्ट जिस किसी की जमीन को एक्वायर करती है, वर्षों गुज़र जाते हैं किन्तु कम्पनसेशन तय नहीं होता है। केनाल एरिया के ऐसे केसेज़ हमारे सामने हैं जिनको चार पांच साल हो गये एग्रीकल्चर की ज़मीन एक्वायर कर ली किन्तु उनका कम्पनसेशन का अमाउन्ट

( श्री पी. के. चौधरी )

तय नहीं हुआ। जागीरदारी रिज़म्शन कानून के अन्तर्गत जागिरदारियां ली गई लेकिन उनके कम्पनसेशन के मामले भी काफी दिनों तक चलते रहते हैं। जिसके पास ज्यादा प्रोपर्टी हो उसका कम्पनसेशन का मामला ज्यादा दिन भी चले तो उसको सब्र हो सकता है but they are not big people छोटी छोटी जिनके पास प्रोपर्टी होती है उसके कम्पनसेशन के अमाउन्ट को भी आप छः महीने तक तय नहीं कर रहे हैं। कम्पनसेशन अमाउन्ट तय कर देते हैं तो सवाल इतना है to determine the amount of compensation to which they may be entitled... हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि गवर्नमेन्ट के ऊपर यह छोड़ देते हैं तो they should determine the compensation at heir sweet will तो यह हो जाता है कि चार साल में भी गरीब काश्तकारों का कम्पनसेशन का अमाउन्ट न तय होता है न उनको मिल पाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर किसी प्रकार का लेटीट्यूड गवर्नमेन्ट को नहीं देना चाहिये। कम्पनसेशन तो एक्वायर करने के साथ साथ ही तय कर दिया जाय उसका असेसमेन्ट कर लिया जाय अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो he must determine the compensation within six months. इतना लार्ज एरिया तो है नहीं म्युनिसिपल एरिया में यह होगा जो दो स्क्वायर माइल या तीन स्क्वायर माइल से ज्यादा एक्वायर करने वाले नहीं। आप एक्वायर तो कर लेते हैं कम से कम उसका कम्पनसेशन तो साल भर बाद करते हैं तो मेरा जो संशोधन है कि छः महीने में अमाउन्ट तो फिक्स कर दिया जाय Then the question of payment to him will come. I will say there should be immediate payment. किसी की प्रोपर्टी आप एक्वायर करते है we should make payment immediately. गवर्नमेन्ट के इमीडियेट पेमेन्ट का सवाल नहीं। यहां उसका अमाउन्ट कितना है यह डिटर्मिन करने का सवाल है छः महीने के अन्दर होना चाहिये यह बहुत रीज़नेबल है In fact I have been very much liberal towards the Government and the Hon'ble Deputy Minister should accept it.

**श्री सभापति** : इसके सब-क्लॉज़ १ ए में है ज्योंही कम्पनसेशन ड्यू हो जायगा; जब तक उसको गवनमेन्ट नहीं देगी; उसको सिम्पल इन्टरेस्ट पे करना पड़ेगा, नेचुरली वे जल्दी डिसाइड करेंगे।

**श्री पी० के० चौधरी** : सभापति महोदय, वे तो सिक्स पर्सेन्ट इन्टरेस्ट देंगे मेरे लिये मान लीजिये I am a poor Person मेरे पास जो प्रोपर्टी थी वह ले ली गई।

**श्री सभापति** : मेरे कहने का मतलब यह है कि छ महीने में या तो कम्पनसेशन निर्धारित कर ही देगी नहीं तो उसका इन्टरेस्ट गवर्नमेन्ट पे करेगी।

**श्री पी० के० चौधरी** : इन्टरेस्ट का इतना सवाल नही। अगर मान लीजिये मेरे पास एक हज़ार की प्रोपर्टी है उसको गवर्नमेन्ट ले लेती है और उस पर छः पर्सेन्ट इन्टरेस्ट देती है उससे होगा क्या छः पर्सेन्ट से मुझे क्या फायदा मिलेगा। it is ? issue, छः महीने तक टालते रहेंगे।

**श्री सभापति** : छः महीने तक टाल दिया तो उसका इन्टरेस्ट देना पड़ेगा।

**श्री पी० के० चौधरी :** I am no satisfied with interest. मान लीजिये मैं टाल चलाता हूँ। उस जगह पर लकड़ी का व्यापार करता हूं। उस ज़मीन का अगर हजार रुपया भी मुझे मिल जाता है तो मैं उस रुपये से दूसरा बिज़ीनेस स्टार्ट कर सकता हूं। आपके एक्वायर करने के बाद you have deprived me from my means of livelihood. You have taken away my profession. उसके बाद भी आप हमारा कम्पनसेशन डिटर्मिन नहीं करते और छ परसेंन्ट इन्टरेस्ट देते हैं तो उससे होता क्या है, आपने साल भर के साठ रुपये दिये। अगर एक हज़ार रुपया मिल जाता है, हम किसी बिज़ीनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। छः महीने के अन्दर amount of compensation should be determined.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, यह क्लॉज़ बड़े महत्व का है। रेवेन्यू के जितने भी केसेज़ हमने देखे हैं, सड़कें बनती हैं, लेन्ड एक्वीजीशन हो जाता है लेकिन जहां तक उनके कम्पनसेशन का सवाल आता है, तीन तीन चार चार वर्ष हो जाते हैं ज़मीन एक्वायर कर लेने के बाद लगान वसूल होने लग जाता है लेकिन कम्पनसेशन नहीं दिया जाता। इस बारे में सदन मे कई बार प्रश्न भी उठाये गये हैं। माननीय अध्यक्ष ने भी कई बार चेतावनी दी है। लोगों की जमीन तो ले ली जाती है लेकिन समय पर आप कम्पनसेशन नहीं देते, यही बात यहां पर भी आयगी।

जैसा कि सभापति महोदय, फरमा रहे हैं उनको इन्टरेस्ट दिया जायगा इससे कोई फायदा नहीं। असल रकम नहीं मिलेगी, सिक्स परसेंन्ट ब्याज से किसी आदमी को सन्तोष हो नहीं सकता। किसी की आप ज़मीन लेते हैं, उसके लाभ से उसको डिप्राइव करते हैं जमीन का लाभ उसका ब्याज नहीं उसकी कीमत है। तो जब हम किसान की ज़मीन लेते हैं, कम्पलसरी एक्वीज़िशन करते हैं, अपने सारे पॉवर्स अपनी सारी सत्ता का उपयोग करके किसी चीज को लेते हैं तो जहां देने का प्रश्न आता है वह राजसत्ता का उपयोग नहीं करते अपनी मर्जी चाहे उतनी वेल्यूएशन करके जितना चाहे कम्पनसेशन आप दें उसमें देने का सवाल है वहां आप चुप हैं। सड़के बनाने के लिये जितनी जमीन एक्वायर की, उनमें ६० प्रतिशत केसेज़ डिसाइड नहीं हो पाये हैं। सारे के सारे केसेज इसी प्रकार पड़े हैं और सदन के अन्दर भी इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। दस दस, पांच पांच साल से कम्पेन्सेशन पड़े हैं। आपने नहीं दिये। तो विभाग अपने आप जल्दी से काम करेगा यह अपेक्षा इन उदाहरणों को और विभाग के अब तक के कारनामों को देखते हुए, विभाग से नहीं की जा सकती। इसलिये जरूरी है कि टाइम फिक्स कर दिया जावे और फिक्स्ड टाइम पर अगर सरकार कम्पेन्सेशन नहीं देती है तो उसको अपनी जमीन वापिस लेने का अधिकार दिया जावे। तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह महत्व का है और सरकार के कार्यों से जो अनुभव मिला है उसके आधार पर यह संशोधन रखा है। इसलिये पुराने अनुभवों से सीखकर कुछ सरकार आगे अपने को सुधारे, यही मेरा निवेदन है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग) : चेयरमैन महोदय, मेरा ख्याल है कि टाइम फिक्स करने के बजाय कम से कम समय में इस तरह प्रेस्काइब कर दिया

जावे। छः महीने के लिये देखना पड़ेगा कि छः महीने, नौ महीने, एक साल कितना टाइम लगता है और फिर अगर कुछ टाइम मजबूरियों से ज्यादा लग जाता है तो उसका इन्टरेस्ट तो पार्टी को मिलेगा। लैंड एक्वीजिशन एक्ट में प्रोवीजन है इसलिये यह टाइम प्रेस्क्राइब करने का मसला लागू नहीं होगा, कम से कम टाइम प्रेस्क्राइब करें। हो सकता है गवर्नमेन्ट छः महीने का समय प्रेस्क्राइब कर दे। जहां जितना जरूरत होगा, सरकार प्रेस्क्राइब कर सकती है। छः महीने से कम भी किसी मामले में कर सकती है। इसलिये इस अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। सरकार प्रेस्क्राइब करते समय खयाल रखेगी। इसलिये प्रार्थना करता हूं कि वे अपना संशोधन वापिस लेने की कृपा करें।

**श्री सभापति** : श्री पी. के. चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : I may be Permmited to withdraw my amendment.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ ए में जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है वह उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी. के. चौधरी** : I withdraw my amendment.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ ए स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४५ ए स्वीकार की गई।

**क्लॉज़ ४५ बी।**

**डॉ० बहारदुसिंह** (धौलपुर) : इसमें मेरा एक संशोधन है। वह इस प्रकार है : "Substitute 'ninty days' for 'sixty days'. प्रश्न यह था कि जो अपील क्लेक्टर के यहां की जावेगी वह कितने दिन बाद की जावेगी। आज यह तो सभी जानते हैं कि क्लेक्टर के यहां अपील करने के समय कागज़ों की नकल देने में काफी समय लगा दिया जाता है और हमारे विधि के सलाहकार हैं वे भी करीब करीब काफी नखरेबाज हैं इस लिये गरीबों को जिसकी ज़मीन जाने वाली है इस कारण समय की आवश्यकता है और यह जो समय बिल में प्रोवाइड किया गया है उससे एक महीना और अधिक मांगा है, ज्यादा नहीं। मैं समझता हूं इससे कोई बाधा या परेशानी होने वाली नहीं है। जिसको अपील करना है उसको इतने समय में काफी सहूलियत हो जावेगी और सरकार को भी इसमें फायदा है। इतने समय में वह भी अच्छी तरह से तैयारी कर लेगी। आज लम्बे लम्बे कागज़ चलते हैं। गवर्नमेन्ट हार गई तो उसको भी इतने समय में पैसा मिल जावेगा तो यह दोनों पार्टियों के लिये है। आज हम देखते हैं सरकार के दफ्तरों में कागज कितनी धीमी रफ्तार से चलते हैं। इसलिये सोचने का सरकार को भी समय मिल जावेगा और दूसरी पार्टी को भी राहत मिल सकेगी। इसलिये तीन महीने का समय ठीक रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपको ज्यादा फायदा है क्योंकि आपके यहां कागजों में ज्यादा देर लग जाती है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** ( मंत्री स्वायत्त शासन विभाग ) : मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील करने में मुंसिफ के फैसले के खिलाफ तीन दिन प्रोवाइड हैं और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस भी एक ही जगह लोकेटेड हैं इसलिये कोई टाइम अधिक लगने का सवाल नहीं है। फिर भी इसके लिये हमने ६० दिन की अवधि दी है। यह पीरियड आम तौर पर डिस्टेन्स के हिसाब पर होता है। ६० डेज़ देते हैं हाई कोर्ट को। क्योंकि इसमें एक आदमी को बहुत दूर जाना पड़ता है, पर कलेक्टर के यहां से अगर डिस्ट्रिक्ट जज को जाना पड़ता है तो दोनों एक जगह हैं उनके लिये सिक्सटी डेज़ भी ज्यादा हैं। और नकल लेने के लिये समय की बात कही गई तो वह तो समय अलग होता है। नकल लेने के दिन काट कर बाद में ६० दिन मिलते हैं।

इसके बाद इसकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में दी है। जब इसमें ६० दे देंगे तो इसमें फिर कितने दिन देने पड़ेंगे। इसलिये इसमें एनोमोली पैदा हो जावेगी। ऐसी स्थिति में मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेने की कृपा करें।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : जो संशोधन मैंने पेश किया है उसे वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूँ।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ बी में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह जी ने पेश किया है उसे वापिस लेने की उनको आज्ञा प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**डॉ बहादुरसिंह** : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ ४५बी, ४५सी, ४५डी, ४५ई, ४५एफ, ४५जी स्वीकार किये जावें।

( स्वीकृत )

**क्लाजेज़ ४५ बी से ४५ जी तक स्वीकार किये गये।**

**क्लाज ४६**

**श्री दयाकृष्ण विजय** ( छबड़ा ) : इसमें मेरा एक संशोधन है। [ Add a proviso to the sub clause reading as follows :- 'Provided that the Trust shall dispose of the land reserved for residential purposes by allotment or sale at a reasonable rate after affecting necessary improvements such as roads drainage , light and water ) इसमें रखा गया है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी और उसको ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट किस प्रकार डिस्पोज़ ऑफ करेगा। ट्रस्ट डिस्पोज ऑफ करने के नियम बनावेगा और जिस प्रकार ट्रस्ट उपयुक्त समझेगा उस प्रकार से उसको डिस्पोज़ ऑफ करेगा।

मेरा इसमें यह निवेदन है कि जहां हम इस बात के लिये कानून बनाते हैं या हमारे यहां से इस प्रकार की विज्ञप्तियां निकलती हैं कि लो पेड सर्वेन्ट्स को मकान बनाने के लिये सरकार की ओर से लोन दिया जाता है। इसके पीछे यह भावना रहती है कि वे अपना मकान बना सकें तो ऐसे कर्मचारियों के लिये

( श्री दयाकृष्ण विजय )

जो बहुत ही लो पेड हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनकी आय बहुत ही कम है यदि हम स्पेसिफिक प्रोवीज़न रखेंगे उनके लिये और यह भी ध्यान रखेंगे कि उस एरिया में सड़कें बन चुकी हैं, बिजली लग चुकी है, नल पहुँच गया है तब हम उनको अलॉट करें। इस तरह का प्रोवीजन होना चाहिये।

हमने गुमानपुरा में पांच छः साल पहले लो पेड व्यक्तियों को ज़मीन दे दी। सरकार के लोन के आधार पर उन्होंने वहां मकान भी खड़े कर लिये पर आज चार चार, पांच पांच साल होने आये सरकार या ट्रस्ट की ओर से न सड़क दी जा सकी है, न बिजली और न नल दिया जा सका है, उन लोगों ने शिकायत की सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से। पर जब बरसात का समय आया तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया और रिज़ल्ट यह निकला कि बरसात में पानी भर गया और काफी मलेरिया, मच्छरों आदि का प्रकोप रहा। इससे बहुत बीमारियों से भी वे तंग रहे। लोगों को आपने लोन दिया, लोगों ने दस दस हजार रुपया भी खर्च कर दिया। पर बिल्डिंग बनाने पर भी जो दूसरी एमेनिटीज़ होती हैं उनको हम प्रदान नहीं कर सके। सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट केवल एक कमाई करने वाला धन्धा नहीं है। वह केवल लैण्ड बेचकर मनमाने ढंग से भाव को लगाये और कुछ सेठ लोगों के हाथ में ज़मीन बेच दे। इस प्रकार का उद्देश्य सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का नहीं है। वह नगर का सुधार करना चाहता है लेकिन सुधार करने के साथ ही साथ हर तरह के लोगों को सैटल करना चाहता है और हर तरह के आदमियों को हर तरह की सुविधा मिल सके, जिम्मेदारी भी उसी की है। लेकिन जब आदमी ज़मीन खरीदता है तो वह यह चाहेगा कि सारी एमेनिटीज़ उसको उपलब्ध हों। आपने कहा कि जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वह उसके अन्दर कर दी जायेंगी और उसके बाद में जब ट्रस्ट चाहेगा उन नेसेसिटीज़ के काम को करेगा। इस चीज़ को लेकर मैंने एक स्पेशल प्रोवीज़ो रखा है। जब आप अलॉटमेंट करेंगे और अलॉटमेन्ट उन लोगों के लिए करना चाहिए जो कि लो पेड कर्मचारी हैं और वहां हम सारी सुविधायें मुहैय्या करें और फिर उनको अलॉट करें। अगर हम ऑक्शन करके बेचेंगे तो गरीब आदमी आगे नहीं आ सकेंगे और गरीब आदमी अपने मकान नहीं बना सकेंगे। जहां ऑक्शन की पद्धति चलती है वहां ऐसी हालत देखने को मिलती है कि गरीब लोग प्लाटस वगैरह को नहीं ले सकते। आज सेठ लोगों को देखा गया है कि उनके पास एक मकान है, दो मकान हैं फिर भी वह जगह जगह लैण्ड पर्चेज़ करते हैं। यहां तक देखा गया है कि ट्रस्ट के अन्दर कभी स्त्री के नाम से और कभी भाई के नाम से वह जमीन खरीद लेते हैं और जितना पैसा वह दे सकते हैं, देते हैं। इस तरह से जिन सही आदमियों को प्लाट्स मिलने चाहिए वे नहीं ले पाते हैं। गरीब आदमियों को तो प्लाट्स मिलते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने रखा है कि जहां ज़मीन का डिस्पोजल हो वह बाई अलॉटमेंट हो। वहां आप एक रजिस्टर रख सकते हैं। हो सकता है कि अलॉटमेंट के अन्दर जयपुर के अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने अब तक बहुत गड़बड़ियां की होंगी। उसने सरकारी ऑफिसरों को अलॉट किये हैं लेकिन इसको दूर करने का यह साधन हो कि हम ऑक्शन करें यह इसका सही आल्टरनेटिव नहीं है। उस का सीधा सा तरीका यह है कि आप रजिस्टर रखिये और

( श्री दयाकृष्ण विजय )

एप्लीकेशन्स नंबर में लाइये और जिस नंबर से एप्लीकेशन्स आई हैं उसी तरह से उसका डिस्पोज़ल करें। लेकिन जहां तक छोटे कर्मचारियों का संबंध है उनको प्लाट्स अलॉटमेन्ट से दीजिए ताकि वह अपने मकान बनाकर अच्छी तरह से रह सकें और प्लाट्स के अलॉटमेन्ट के पहले ही जो भी नेसेसिटीज हैं जैसे रोड्स, लाइट वगैरह उसको पहले मुहैयया करें। कहीं ऐसा न हो कि उसका मकान तो बन गया और उसका १५-२० हज़ार रुपया खर्च हो गया और बिजली नहीं आई, पानी का कनेक्शन नहीं आया। यह मेरे प्रत्यक्ष का अनुभव है कि आज गुमानपुरा में और कई जगह ऐसी हालत है कि वहां पर बिजली नहीं पहुंचाई गई है। आपने यह लिखा है कि : undertaking or carrying on after such improvements as it thinks fit." यह मत रखिये। स्पेसिफिकली इस बात को रखिये कि आप इस तरह का डिस्पोज़ल करेंगे तो जो नेसेसिटीज हैं उसका पहले प्रबंध करेंगे और मैंने लिखा है : such as roads, drainage, light and water. आप कॉमर्शिय बेसिस पर चाहे कहीं पर भी आपको शॉप्स वगैरह बेचनी हो तो उसको ऑक्शन से बेचें ताकि उसको सेठ लोग खरीदेंगे जो कि दुकान वगैरह चलाना चाहते हैं। वहां से आप पैसा भी कमा सकते हैं लेकिन आप किसी बस्ती का निर्माण करना चाहते हैं उसको भी कमाई का धंधा मत बनाइये। जहां आदमी निवास करना चाहते हैं और जहां रहने के लिए मकान बनाना चाहते हैं वह रीज़नेबल रेंट्स पर मिलनी चाहिए और सारी एमीनीटीज़ उसको पहले मिलनी चाहिए। हो सकता है कि दुकान पर बिजली नहीं पहुंचे तो दुकान वाला तो लड़ झगड़ कर ले आयेगा परन्तु रेज़ीडेन्शियल क्वार्टर्स के अन्दर जहां परिवार रहते हैं सब को पानी और बिजली की आवश्यकता रहती है, वहां आपको ऐसी नेसेसिटीज़ पहले देनी चाहिए। मैंने यह अनुभव करते हुए प्रोवीज़ो रखा है जो कि इसके अन्दर जोड़ दिया जाये वह ऐसे है : "Provided that the Trust shall dispose of the land reserved for residential purposes by allotment or sale at a reasonable rate after affecting necessary improvements such as roads, drainage light and water." इन सारी बातों को करके ही अलॉटमेन्ट करिये और रीज़नेबल रेट्स पर कीजिए ताकि लो पेड़ कर्मचारी और छोटे आदमी रेज़ीडेन्शियल पर्पज़ के लिए मकान बना सके और अच्छे ढंग से रह सकें। इसके लिए मैंने यह संशोधन पेश किया है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** ( मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग): चेयरमैन महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसके दो पर्पज़ बताये। एक तो माननीय सदस्य ने यह बताया कि अलॉटमेन्ट से गरीब आदमियों को जमीन आसानी से मिल जायेगी इसलिए इसके लिए अलॉटमेन्ट का प्रोवीज़ो रखा है और दूसरा पर्पज़ यह बताया कि इम्प्रूवमेन्ट हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस अमेन्डमेन्ट से दोनों ही पर्पज़ सर्व होने वाले नहीं हैं। जो अमेन्डमेन्ट है वह सिर्फ इतना ही है : 'Provided that the Trust shall dispose of the land reserved for residential purposes by allotment or sale at a reasonable rate after affecting necessary inprovement such as roads drainage, light and water' अलॉटमेन्ट में फिर गड़बड़ियां होंगी और रीजनेबल रेंट्स

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

पर दिया जाये तो इसके बारे में तो अब भी शिकायत थी। इसके बारे में इसलिए हमने मास्टर प्लान बनाने का प्रोवीज़न रखा है और यह पॉइन्ट अन्डर कन्सीडरेशन है कि अलॉट-मेन्ट और ऑक्शन का कैसे तालमेल बैठ सके जिससे गरीबों को प्लॉट्स मिल जायें और ऑक्शन भी हो जाये जिससे कि शिकायत न रहे। आपका अमेन्डमेन्ट आने से फिर भी उनकी मर्ज़ी पर रहेगा कि किसी को अलॉट करें। दूसरी बात जो इम्प्रूवमेन्ट की है वह इम्प्रूवमेन्ट तो अन्डरस्टुड है। यह कन्डीशन पहले से ही है कि जो प्लाट्स दिये जाते हैं उसमें इम्प्रूवमेन्ट इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड करायेगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** :बाद में कराता है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह तो बाद में ही करायेगा क्योंकि मान लीजिए कि एक आबादी के निमाण के लिए तय किया और पहले उसका इम्प्रूवमेन्ट कर दिया और उसके अन्दर प्लाट्स लेने वाले न हों तो इम्प्रूवमेन्ट तो हमेशा फॉलो करता हैं। यह तो सब जगह का कायदा है कि जहां कहीं भी इम्प्रूवमेन्ट्स होते हैं सब जगह यही है कि इम्प्रूवमेन्ट फोलो करता है। आप जयपुर का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले गांधीनगर आबाद हुआ उसके बाद में रोड्स और लाइट वगैरह का प्रबंध किया है। यह तो इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जो इम्प्रूवमेन्ट कराने के हैं वह तो कराने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस अमेन्डमेन्ट से कोई भी पर्पज़ सर्व नहीं होगा। अतः मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : मैं इसके लिए व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूं कि मकान बस्ती में बन गये हैं और लोग तकलीफ उठा रहे है। यदि पहले से सारी चीजें हो जायें और जो पुराना सिटी इम्प्रूवमेन्ट एक्ट है उसमें ऐसा है कि पहले इम्प्रूवमेन्ट करायेंगे और फिर प्लाट्स सेल करेंगे। इसलिए मैंने इस आधार यह संशोधन रखा है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अगर आप बतायेंगे तो हम खास तौर से और हिदायत दे देंगे अगर नहीं हुआ है तो।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह कि जो संशोधन क्लॉज़ ४६ पर श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ स्वीकार किया गया।

(क्लॉज़ ४७ प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया )

क्लॉज ४८

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८ स्वीकार किया जाये ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : सभापति महोदय मुझे इस पर कुछ कहना है।

**श्री सभापति** : Do you want to say some thing ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** yes Sir.

सभापति महोदय, क्लॉज़ ४८ के द्वारा इम्प्रूवमेन्ट फण्ड स्थापित करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेन्ट फण्ड के अन्दर कौन कौन सी राशियां ऐसी हों कि जो उसमें निहित की जा सकें, जिसके द्वारा इम्प्रूवमेन्ट फण्ड होगा। यह ऐसा है : There shall be credited to this Fund:—(i) Such sums as may be placed by the State Government at the disposal of the Trust, from time to time, either by way of loan or as subsidy ;

(ii) such contribution from the Municipal Board as may from time to time be ordered by the State Government to be made, after considering the relief or addition to the resourcs of such board accruing or likely to accrue from the schmes undertaken by the Trust :

तो इसके अन्दर जहां उप-धारा (२) है कि म्युनिसिपल बोर्ड को स्टेट गवर्नमेन्ट डाइरेक्ट करेगी कि अपने फण्ड में से इतना रुपया इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दे। तो यह आपस के अन्दर झगड़ेबाज़ी पैदा हो जायेगी। अगर स्टेट गवर्नमेन्ट को फण्ड ही क्रियेट करना है तो स्टेट गवर्नमेन्ट अपने पास से दे लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड टैक्सेज़ वसूल करता है और जो उसके कुछ फंशन्स हैं उनको पूरा करने में भी उसको पार नहीं पड़ती है और जहां म्युनिसिपल बोर्ड को कहा जाता है कि और टैक्स लगाइये और अपने फंक्शन्स को पूरा करिये तो वहां पर इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड को कुछ फंक्शन्स दे रहे हैं उससे उसको आमदनी होगी, वह इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के ट्रस्ट के फण्ड में जायेगी और आमदनी तो ट्रस्ट लेगा और उसके फंक्शन्स को कैरी आउट करने के लिए म्युनिसिपल बोर्ड के फण्ड्स को डाइवर्ट करके इधर लाते हैं तो वह ठीक नहीं होगा। जहां म्युनिसिपल बोर्ड अपना काम पूरा नहीं कर पाता है और इससे जो लाभ होने वाला है अब इसमें दिया हुआ है कि कितना लाभ होगा और आगे जाकर कौन से लाभ होने वाले हैं उसके हिसाब से ट्रस्ट को दे। यह कौन डिसाइड करेगा कितने रिसोर्सेज़ हैं फण्ड्स सरप्लस हैं या नहीं इन सारी बातों को देखे बिना ही गवर्नमेन्ट अपने डाइरेक्शन्स से डाइरेक्ट कर दे कि इतना रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को देना पड़ेगा यह बिलकुल गलत चीज़ होगी। यह इस ढंग से बोर्ड के फन्ड से ट्रस्ट को देना किसी प्रकार से उचित नहीं है। बेटर तो यह है कि इसमें यह प्रावधान किया जाय कि बोर्ड से कन्सल्ट किया जाय तो उचित होगा। यह सारी कोई ठीक बात नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से यह तय कर दिया जाय कि बोर्ड को इतने हज़ार रुपये देने पड़ेंगें। मैं सोचता हूं कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है क्योंकि बोर्ड का ट्रस्ट पर कोई नियन्त्रण नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ट्रस्ट को रुपया देती है तो स्टेट गवर्नमेंट का नियन्त्रण है। लेकिन बोर्ड जो रुपया देता है तो ट्रस्ट पर बोर्ड का कोई नियन्त्रण नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से दिलाती है और बोर्ड की उसको देने की कोई स्वीकृति नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और उसको कह दिया जाता है कि इतना रुपया देना चाहिए। इन सारी बातों के होते हुए स्टेट गवर्नमेंट डाइरेक्ट करती है और बोर्ड से रुपया दिलाती है तो

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

वह गलत बात होगी, अवैधानिक बात होगी। वह किसी प्रकार से डेमोक्रेटिक बात नहीं होगी। इसलिए यह प्रावधान उसी प्रकार से गलत है। इस प्रकार से इसके अन्दर यह अधिकार देदें कि वह एग्रीमेंट से या बोर्ड की स्वीकृति से वह बात हो जाय तो कुछ समझ में आने वाली बात है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छा से रुपया दिलाती है तो यह गलत बात है। मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको डिलीट कर दिया जाय। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से रुपया बोर्ड से दिलवाना चाहती है, यह बिल्कुल गलत बात है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (मंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : सभापति महोदय, यह जो प्रोवीज़न रखा गया है उसमें इतनी सी बात है कि इम्प्रूवमेंट स्कीम से बोर्ड को रिलीफ मिलता है या उसकी इनकम में एडिशन होता है तो उसको कन्सीडर करके यह बात होगी।

यह जो कहा गया है कि ट्रस्ट को नहीं देना चाहिए और म्युनिसिपैलिटी के पास रहना चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए तो म्युनिसिपैलिटी और ट्रस्ट एक सार है। अगर गवर्नमेंट लेती तो माननीय सदस्य को आब्जेक्शन होना चाहिए था। किसी स्कीम से म्युनिसिपैलिटी को फायदा हुआ तो उसका शेयर ट्रस्ट को मिल जाना चाहिए। और ट्रस्ट और म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट के लिए तो एक सा है, गवर्नमेंट के लिए तो दोनों बराबर हैं। इसमें कोई ज्यादती का सवाल पैदा नहीं होता है कि एक के साथ ज्यादती गवर्नमेंट ने कर दी है, ऐसी भावना नहीं है। कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो उसको फायदा होगा तो शेयर देना चहिए। इम्प्रूवमेंट करता है ट्रस्ट और इससे फायदा म्युनिसिपैलिटी को हुआ तो उस फायदे का एवजाना देने का प्रोवीज़न रखा है। फन्ड से देने का प्रोविज़न नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह प्रोवीज़न ठीक रखा गया है और जैसा रखा गया है वैसा पास किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४८ स्वीकार किया गया है।

**क्लॉज़ ४८ ए।**

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४८ के पार्ट बी में मेरा एमेंडमेंट है वह इस प्रकार से है :—

Add the words 'or the actual cost of improvements made, whichever is less' at the end and also add the following proviso to this sub-clause:-

Provided that in the case of an area relating to a Municipality having a population of 50,000 and over, the betterment charges shall be an amount equal to 50% of the appreciation in value of the land'.

सभापति महोदय, यह जो चेप्टर है, चेप्टर ७, यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के फन्ड का है, उसके फाइनेन्सेज़ के लिए है। अब क्लॉज़ ४८ में उसके फाइनेन्सेज़ के क्या क्या

# Page No.73



( श्री पी. के. चौधरी )

ज़रिये हैं वह दिये गये हैं । गवर्नमेंट से फन्ड मिलेगा और कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ से मिलेगा और कुछ रेन्ट्स, प्रोफिट्स और सेल प्रोसीड्स से मिलेगा, और कुछ sume borrowed by the Trust .. कुछ चार्जेज से उसको मिलेगा । सभापति महोदय, यह एक्ट जो है उसमें यह प्रावीज़न रखा गया है, ४८ ए वह है :—

"Where as a consequence of any scheme having been executed by the Trust in any area, the value of any property in that area, in the opinion of the Trust, has increased or will increase, the Trust shall, with the sanction of the State Government be entitled to levy upon the owner of the property or any person having interest therein a betterment charge in respect of the increase in value of the property resulting from the execution of the scheme.

(2) Such betterment charge shall be an amount equal to one-fourth of the amount by which the value of the property on the completion of the execution of the scheme, estimated as if the property were clear of building exceeds the value of the property prior to such execution estimated in like manner."

सभापति महोदय, यहां पर इम्प्रूवमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेन्टेशन होने की वज़ह से जो लैण्ड या प्रोपर्टी की वेल्यू एप्रिशियेट करती है उसके ऊपर कुछ बेटरमेंट चार्जेज़ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के फन्ड के लिए प्रोवाइड किया जाता है । जहां तक ओरीजिनल बिल है उसमें रखा गया है कि यह जो वेल्यू एप्रिशियेट करेगी या ओरीजिनल वेल्यू थी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इम्प्रूवमेंट इन्क्लूड किये हैं, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब यह है कि कोई रास्ता डाल दिया है, रास्ता बनाया है ड्रेनेज़ प्रोवाइड की है, वाटर कनेक्शन्स दिये या बिजली के कनेक्शन दिये, रोड्स वगैरह प्रोवाइड की हैं । इन सारी बातों के होने से आबादी का जो एरिया होता है उसकी वेल्यू एप्रिशियेट कर जाती है। जिस आबादी एरिया में एमीनिटीज़ नहीं हैं वहां पर एमीनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो आस पास के एरिया की कीमत बढ़ जाती है और उसका फायदा प्रोपर्टी ओनर्स को मिलता है । जिस ज़मीन की कीमत ट्रस्ट की स्कीम के आने से पहले ८ आना गज़ थी उस ज़मीन की कीमत ट्रस्ट एरिया में आने से ६, ७ रूपये गज़ हो जाती है तो अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यह तो नहीं है कि किसी एरिया को डवेलप करे और उसके लिए जो खर्चा हो वह दूसरे इलाके से ले । नेचुरल जस्टिस तो यह है कि जिस एरिया के लिए डवेलपमेंट करता है उसी एरिया के लोगों से अमाउन्ट रिकवर करना चाहिए । उस दृष्टि से इस बिल में सरकार की तरफ से जो प्रोवीज़न रखा था वह यह है कि २५ पर्सेन्ट उसकी वेल्यू एप्रिशियेट करेगी वह वहां के जो प्रोपर्टी ओनर्स हैं उनसे रिकवर की जायगी । लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो युनिफार्म रेट सरकार ने रखी है उसको रिकवर करने की यह इनइक्विटस है और इनइक्विटस इसलिए है कि जो बड़े शहर हैं वहां पर आज जो एसेसमेंट होगा, क्योंकि अमाउन्ट रिकवर किया जायगा वह स्कीम

( श्री पी. के. चौधरी )

के कम्प्लीशन के बाद, वहां पर जाकर बड़े शहरों में एसेसमेंट करेंगे तो उस एरिया की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। छोटा शहर जो होता है वैसी जगह विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, एसेसमेंट के बाद। जैसे एक छोटा शहर है नापासर, जिसका कि नाम मंत्री महोदय ने कहा था कि नापासर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं किये जा रहे हैं। वहां पर अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसके बाद में उस एरिया की, जो एस्टीमेटेड इन्क्रीज्ड वेल्यू लेगें १०, १५ साल में तो वह एस्टीमेटेड वेल्यू कोई ज्यादा नहीं पड़ने वाली है, लेकिन जयपुर या जोधपुर में एस्टीमेटेड वेल्यू जो लगायेगें तो उसमें १० साल में सौ या दो सौ गुने का वेरियेशन उसमें हो सकता है। इसलिए मैने जो प्रोवीज़न रखा है कि जो ५०,००० के अन्दर की आबादी का एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट की एक्चुअल कास्ट जो है या २५ पर्सेन्ट ऑफ दी एप्रिसियेशन इन वेल्यू दोनों से जो कम होती उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि हमेशा जो कोस्ट होती है वह एप्रिसियेशन ऑफ वेल्यू से कम रहती है, काफी कम रहती है। जो इम्प्रूवमेंट के लिये रोड आदि पर खर्चा होता है और टोटल एरिया जो डवेलप होता है उसकी वेल्यू को एप्रिशियेट किया जाय तो काफी ज्यादा एप्रिशियेट करते हैं तो कोस्ट हमेशा एप्रिशियेटेड वेल्यू के १।१२ से भी कम रहती है। सरकार ने उसमें २५ पर्सेन्ट रखा है। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये कहता हूं कि बड़े से बड़े शहर के इम्प्रूवमेंट को लीजिये, बाम्बे वगैरा में ५० पर्सेन्ट रखा है लेकिन छोटे शहरों में ऐसा नहीं कर सकते। बाम्बे में भी पहले उन लोगों ने एक्च्युअल कोस्ट रिकवर करने का रखा था, जितना इम्प्रूवमेंट करने पर ट्रस्ट खर्च करे उस एरिया में डिस्ट्रिब्यूट कर लिया जाय उस एरिया के रहने वालों में, प्रोपर्टी ओनर्स में और जो खर्चा what they have spent on improvement उसको प्रोपर्टी ओनर्स से रिकवर कर लीजिये। आखिर में इम्प्रूवमेंट जो कर रहे हैं वह प्रोफिट मोटिव से नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां के निवासियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिये, उनके लिये हेल्दी अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिये, अच्छी एमीनीटीज़ प्रोवाइड करने के लिये करते हैं So that they may live happily प्रोफिट लेना नहीं चाहते। इसलिये पहले जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनते थे वे अपनी टोटल कोस्ट को डिस्ट्रिब्यूट करते थे और उस एरिया में रहने वाले लोगों से रिकवर करते थे।

अब सवाल यह आता है कि जो हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या नुक्सान रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको कोई नुक्सान नहीं होता। छोटे छोटे शहरों में जो इम्प्रूवमेंट करेंगे उससे वहां के प्रोपर्टी ओनर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। वहां पर डे एण्ड नाइट एप्रिशियेशन की गुंजायश नहीं है। इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट है कि ५० हज़ार से नीचे की आबादी का एरिया है वहां इन्क्लूडिंग ऑल चार्जेज़, ओवर हैड चार्जेज़, एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज़ एण्ड डवेलपमेंट चार्जेज़ आवें उन सब को मिलाकर आप की जो कॉस्ट पड़ती है उसको वहां के प्रोपर्टी ओनर्स में इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करके according to strength कर लीजिये। ५० हज़ार से ऊपर की आबादी के शहर हैं वहां मैं मानता हूँ कि एप्रिशियेशन वेल्यू ज्यादा

( श्री पी. के. चौधरी )

होती है । अर्बेनाइज़ेशन के लिये लोगों की टेन्डेन्सी होता है । बड़े शहरों में लोग ज्यादा जाते हैं और छोटे शहर डी-पोपुलेट होते जा रहे हैं । राजस्थान में भी आप देखते हैं कि छोटे कस्बों से लोग खिसकते जा रहे है और बड़े शहर जैसे जयपुर, कोटा आदि का डवेलपिंग स्टेज़ है । उनकी पोपुलेशन बाइ लीप्स एण्ड बाउन्ड्स बढ़ गई है । ऐसे ऐसे शहरों की एप्रिशियेश वेल्यू लगाते हैं तो ५ साल बाद यह होगा कि वह काफी बढ़ जायगी । जयपुर क पोपुलेशन १० साल पहले २ लाख की थी और आज ४ लाख हो गई है और १० साल बाद शायद ८ लाख हो जायगी । कोटा की पोपुलेशन आज ८० हज़ार की है लेकिन आगे जाकर दो डाई लाख हो सकती है । ५० हज़ार से ज़्यादा आबादी वाले शहर जल्दी बढ़ते हैं । उनमें डवेलपमेन्ट की गुंजायश है, वहां पर इन्डस्ट्रियल एण्ड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज्यादा होती हैं इसलिये कन्सेन्ट्रेशन ऑफ पोपुलेशन वहां पर डीवियेट करता है । वहां पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमारी- दृष्टि से आज की पोज़ीशन और परिस्थिति में जो एप्रिशियेशन वेल्यू ५ साल आगे के लिये लगाते हैं तो ५ साल पहले की एप्रिशियेशन वेल्यू से डबल ट्रिबल हो जाती है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बैटरमेन्ट चार्जेज़ लेने हैं तो कम से कम ५० पर्सेन्ट उनसे लिये जाय जहां ५० हज़ार से ज्यादा की आबादी है और जहां पर ५०,००० से कम की आबादी है वहां पर बैटरमेन्ट चार्जेज़ नहीं लगाये जांय । यदि गवर्नमेंट उन पर चार्जेज़ नहीं लगायेगी तो उनका इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा और कस्बों में रहने वाले लोग विलिंगली इम्प्रूवमेन्ट को लाइक करेंगे और गवर्नमेन्ट को एप्रोच करेंगे और कहेंगे कि हमारे यहां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बनाइये, हम कॉस्ट देने को तैयार हैं । लेकिन अगर आप एप्रिशियेशन वेल्यू लगायेंगे और कॉस्ट वसूल करना चाहेंगे तो लोगों से आपको सहयोग नहीं मिलेगा और न कस्बों की उन्नति होगी और अगर नहीं लगायेंगे तो वहां के सारे लोग इसे पसन्द करेंगे । इसलिये मैं मानता हूं कि सदन मेरे सुझाव को मंजूर करेगा और मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** ( छबड़ा ) : सभापति महोदय, जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके साथ साथ ४८ ए, में जो छोटे टाउन्स पर आपको इतनी बेटरमेंट लेवी नहीं लगानी चाहिये और ५० हज़ार से कम की आबादी वाले शहर में और भी कम करना चाहिये । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । इस ४८ क्लॉज़ में जब आप इम्प्रूवमेंट स्कीम हाथ में लेते हैं और उसके कारण इसमें रहने वाले लोगों के जो हाउसेज़ हैं उनकी वेल्यू किस प्रकार से बढ़ती है तो उनसे कॉन्ट्रिब्यूशन लेने से पहले वहां रहने वाले कंट्रिब्यूटर्स की संख्या उनको बताइये और यह भी बताइये कि यह स्कीम हम केरीआउट करने वाले हैं और उस पर इतना खर्चा पड़ेगा और बाद में गवर्नमेंट इतने रुपये आपसे वसूल करना चाहती है ।

११. ४७. म०पू०

( श्री सतीशचन्द्र, सभापति, पदासीन )

( श्री दयाकृष्ण विजय )

यदि वहां की जनता यह समझती है कि यह हमारे लिये उपयोगी है और हमारी लोकेलिटी के चार चांद लगाने वाली है, यदि वहां की जनता यह अनुभव करती है तो आप उनसे बेटरमेंट के नाम पर वसूल कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले उनकी कंसेन्ट ली है और आपने बता दिया है कि पर्टिकुलर स्कीम आने वाली है और उससे इतनी वृद्धि होने वाली है और इतने चार्जेज़ लगने वाले हैं और वे कहते हैं कि इसे लागू करदो तो जबर्दस्ती से वसूल करने का क्लॉज़ यहां पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हो सकता है कि क्लॉज़ रखना आवश्यक हो तो भी उसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वेच्छा से देंगे। लेकिन आपने यह रखा है कि आप योजना बनायेंगे उसे लागू करेंगे और उससे हाउस ओनर्स को फायदा होगा तो आप उनसे जबर्दस्ती से बेटरमेंट चार्जेज़ वसूल करेंगे। आप उनको ३ महीनों का नोटिस देंगे और उस नोटिस पीरियड में आकर वह हां नहीं करता है तो आप उससे जबर्दस्ती से वसूल करेंगे। तो एक तरफ तो आप जनता को कोन्फीडेन्स में लाते नहीं हैं और उनसे चार्जेज़ लेते हैं तो झगड़ा खड़ा होगा और जनता में असन्तोष बढ़ेगा। यदि आप बेटर-मेंट को रखना ही चाहते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग उसका विरोध करें लेकिन रीज़नेबल मनी सरकार वसूल करती है और उससे किसी की वृद्धि होती है तो यह रीज़ने-बल चार्जेज़ हैं जिसे आपको वसूल करना चाहिये लेकिन वसूल तभी करिये जब कि आप वहां के रहने वाले लोगों को कॉन्फीडेन्स में ले लें। आप उनको अपना एक्स्पेन्डिचर या खर्चा बताइये और लोग कहदें कि हम देने को तैयार हैं, तब लगाये। यदि लोग इन्कार करते हैं और कहते हैं कि यह स्कीम हमको नहीं चाहिये तो मत लगाइये। जबर्दस्ती उन पर मत थोपिये। यदि ज़बर्दस्ती थोपना ही है तो बेटरमेंट चार्जेज़ जैसी चीज़ मत लगाइये। जनता की इसके लिए कंसेन्ट हो तो स्कीम को केरीआउट कीजिये। लेकिन जबर्दस्ती करना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ४८ को भी डेफर कर दीजिये। बाद में इस पर विचार करके इसको रखा जाय। और यदि डेफर नहीं करना है तो यह रखिये कि हम जनता से पूछेंगे और यदि जनता एग्री करती है तो उनकी कन्सेन्ट से बेटरमेंट चारजेज़ लगाइये और नहीं देने की सूरत में उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। लेकिन यदि जनता से पूछे बिना ही ज़बर्दस्ती लागू करदी और कहा कि ज़बर्दस्ती वसूल करेंगे, कुड़की लाकर लोगों के घर का सामान कुर्क करायेंगे तो यह कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। स्कीम लगानी हो तो पहले जनता को बताइये और उनकी राय से लागू करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : सभापति महोदय, यह बैटरमेंट लेवी, बैटरमेंट चार्जेज से आज कल बहुत से लोग परेशान होते हैं। यह शब्द ऐसा शब्द है, जिस शब्द को सुन कर लोग यकायक तैयार नहीं होते कि यह बैटरमेंट चार्ज किस बात का दें। सवाल यह है कि जो ट्रस्ट बन रहा है, उस ट्रस्ट के अन्दर कुछ सरकारी आदमी होते हैं, कुछ गैर सरकारी आदमी होते हैं और ट्रस्ट बन जाता है। अब सवाल यह है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो संस्था चलती है,

( श्री मूलचन्द डागा )

वह संस्था टैक्स वसूल करती है। उसके लिए आपने प्रावधान रखा है क्लॉज़ ४८ के अन्दर कि कुछ तो म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार के कहने से धन राशि देनी होगी।

"Such sums as may be placed, the State Government at the disposal of the Trust, from time to time, either by way of loan or as subsidy," तो एक यह बात है कि एक जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल बोर्ड चल रहा है, उस म्यूनिसिपैलिटीज़ से कुछ पैसा ले लेंगे। अब क्लॉज़ ४८ में आपने ऐसा प्रावधान बनाया है Such contribution from the Municipal Board. तो एक जगह तो म्युनिसिपैलिटी कुछ टैक्स वसूल करके, कुछ पैसा इकट्ठा करके जनता से आपको देगी। फिर आपने ४८-ए के अन्दर रखा है कि जनता के लिए कुछ सुविधायें करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में किसी रूप में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, जो काम मैं समझता हूँ कि कोई औद्योगिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, वह ऐसा काम नहीं है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे लोगों को आर्थिक फायदा पहुँचता हो, आर्थिक लाभ होता हो। सवाल यह है कि जनता को ठीक मकान रहने के लिए देते हैं, अच्छे पानी की व्यवस्था करते हैं, रोशनी का प्रबन्ध करते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि उन लोगों को उससे ज्यादा लाभ होता हो। लाभ के दो मतलब होते हैं, एक तो जो इन्वेस्टमेंट होता है, उससे आदमियों का स्टेन्डर्ड, रहने का तरीका बढ़ता हो। हम जानते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसी जगह हैं, जहां लोगों को रहने की सुविधा देनी है। अभी कल या परसों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी तक ऐसे शहर हैं, ऐसी स्ट्रीट और मकानात हैं, जहा पर लोग रह नहीं सकते। इस तरह जो वहां की म्युनिसिपैलिटीज़ या लोकल बॉडीज़ हैं, उनको ध्यान देना चाहिये। एक तरफ हम चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हो और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि व्यवस्था होने के तुरन्त बाद, जब कि उनका आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है, उससे आमदनी बढ़ नहीं सकती, पर बैटरमेंट चार्जेज लगाये जायेंगे। इससे क्या लोग बैटरमेंट चार्जेज देने के लिए रजामन्द हो जायेंगे। मैं मानता हूँ कि जो जनता की जरूरत की चीज़ें हैं, मकान बनाते हैं, ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, रोड्स प्रोवाइड़ करते हैं, इनको करने के लिए आप दूसरे खर्चों में कमी कर सकते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कम कर दीजिये, दूसरे डिपार्टमेंट्स में कमी कर दीजिये, भत्तों में कमी कीजिये, पर उन जगहों पर कटौती नहीं कर रहे हैं और ज्यों ही एक फैसिलिटी देते हैं, जो कि उसकी जरूरत है, जिसको पाने का वह अधिकारी है। अभी तक लोगों में यह कौन्सियसनैस नहीं आई है कि वे यह अधिकार रखते हैं कि अच्छे मकान में रहें, उनको अच्छी हवा और पानी मिले। अभी अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत पूरी तरह से नहीं आई है। हम आदी हो चुके हैं, हम बिना पानी के रह सकते हैं घंटो तक और जो स्वास्थ्य की जरूरत की चीजें हैं वे पूरी नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। आपने इस तरह एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया, उसमें एक साधन बना दिया कि इस साधन के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है. उसमें आपने अधिकार दिया है बैटरमेंट चार्जेज के लिए। अब जो खर्चा होगा, वह किस लिए होगा, इस खर्चे के होने से कुछ आदमियों की आमदनी बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

( श्री मूलचन्द डागा )

मैं मानता हूँ कि बैटरमेंट लेवी वहां होनी चाहिए, जहां इन्वेस्टमेंट हो, उससे कुछ लाभ हो। यदि एक आदमी दौलत का इन्वेस्टमेंट करता है, तो चाहता है कि उससे कुछ लाभ होवे, कमाई में फायदा होवे। मेरे खयाल में ट्रस्ट के काम से किसी की आमदनी का रोज़-मर्रा कोई फायदा नहीं होता, पैसे का फायदा नहीं होता। उसकी इन्कम वही रहती है और उल्टे उसका खर्चा बढ़ता है। मान लीजिये कि अच्छी जगह रहता है तो उसका खर्चा बढ़ जायगा। अब उससे आप बैटरमेंट लेवी मांगना चाहते हैं। मैं समझता हूं यह बात ठीक नहीं है। बैटरमेंट लेवी वहां लगाई जा सकती है जहां धान की फसल अच्छी होती हो, जो सुविधा दी है उनसे आमदनी बढ़ती हो, जहां पर उसका कुछ अधिकार रहता है। यदि कोई ठीक मकान में रहता है तो उसको कोई फायदा नहीं पहुँच सकता। मैं नहीं समझता फिर बैटरमेंट चार्जेज़ लेना कहां तक ठीक है। राजस्थान में हमें कई कस्बे, टाउन्स ठीक करने हैं, तो वहां बैटरमेंट चार्जेज़ शुरू से ली जायगी तो ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, वह फ्रस्ट्रेट हो जायगा। लोग आपको नोटिस देंगे, अगर आप बैटरमेंट चार्जेज़ मागेंगे तो वे स्कीम को पसन्द नहीं करेंगे। लोगों को फायदा पहुंचाने की मन्शा है तो वहां घर घर से क्लेक्शन कर लें। जैसे कि डवेलपमेंट कमेटी में करते हैं कि एक बटा तीन हम देते हैं और दो बटा तीन गवर्नमेंट दे देती है और वहां इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से जो यहां रहने वाले लोग हैं वे एक बटा तीन इकट्ठा कर दें और दो बटा तीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दे दे, गवर्नमेंट उसे दे दे। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि लोग कन्ट्रीब्यूट करें, लेबर देकर, धन देकर। आप बैटरमेंट लेवी लागू करना चाहते हैं, यह अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि इसके लिए ले डाउन कर दें कि जिस मोहल्ले में काम हो, वहां के व्यक्ति कन्ट्रीब्यूट करें, श्रम के रूप में या दूसरे रूप में। कई लोग श्रम करने में हिचकिचायेंगे, वे श्रम नहीं करेंगे, वे धन दे दें और जो धन देना चाहें वे धन दें दे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बेटरमेंट लेवी के बजाय हमें वालियन्टरी कन्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए।

**श्री भैरोंसिंह** : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

**श्री सभापति :** Yes, shri Bhairon Singh.

**श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४८ ए के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि सरकार जिस एरिया का इम्प्रूवमेंट करें, उस इम्प्रूवमेंट की एवज़ में उस एरिया के ऊपर बेटरमेंट की लेवी इम्पोज़ करके जो सरकार का खर्चा हुआ है, वह सरकार वहां के बासिन्दगान से वसूल कर ले। जो खर्चा हो, इस प्रकार के शब्द यदि इस क्लॉज़ में रख दिये जाते तो कुछ ऐसा समझ में आता कि सरकार जो बेटरमेंट के लिए खर्चा कर रही है, वह खर्चा सरकार वहां के बासिन्दगान से वसूल करना चाहती है। तो सभापति महोदय, फिर केवल इतना प्रश्न रहता है कि सरकार का खर्चा किस प्रकार से सयमित हो सकता है उसकी चेष्टा की जाय लेकिन जिस प्रकार की यह धारा बनाई हुई है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार केवल खर्चा वसूल नहीं करना चाहती

( श्री भैरोसिंह )

बल्कि सरकार ने जो एक इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार ने बेटरमेंट के नाम पर जो खर्चा किया है, उस ख़र्च के कारण से दूसरे की प्रोपर्टी कितनी बढ़ी है, उस बढ़ी हुई प्रोपर्टी के ऊपर सरकार बेटरमेंट लेवी के नाम से प्रोपर्टी का चौथा हिस्सा खर्च के रूप में लेना चाहती है। बेटरमेंट लेवी के रूप में लेना चाहती है, चौथा हिस्सा वसूल करना चाहती है। इसको अब दो भागों में करके देखे तो एक तो यह है कि सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट का मूल रिटर्न नहीं बल्कि रिटर्न्स के ऊपर जो लाभ सरकार को हो सकता है, वह लाभ सरकार बैटरमेंट लेवी के नाम से वसूल कर ले। जहां तक खर्चा वापिस लेने का प्रश्न आता है, वह है दूसरा भाग। खर्चा वापिस ले लिया जाय, इस सम्बन्ध में दो तीन राय हो सकती है। मैंने क्लॉज़ ४८ 'ए' और क्लॉज़ ४८ 'बी' को देखा और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि सरकार जो असेसमेंट करेगी, वह असेसमेंट किस आधार पर होगा।

१२ मध्याह्न

मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉज़ ४८ ए, में, क्लॉज़ ४८ बी, में इसका जिक्र नहीं। आगे की कुछ धाराएं देख पाया हूँ उनमें भी इस बात का जिक्र नहीं है कि असेसमेंट किस प्रकार होगा, जो असेसमेंट होगा इस बात का होगा कि प्रोपर्टी का वेल्यूएशन कितना बढ़ा है, इसका असेसमेंट मार्केट वेल्यू पर होगा या रेन्टल वेल्यू पर किया जायगा या फेसेलिटीज़ को बेस मान कर किया जायगा। जो सड़क बिजली, पानी, सेनिटेशन की व्यवस्था की ड्रेनेज का सिस्टमलागू कर दिया इससे उसकी प्रोपर्टी की इतनी कीमत बढ़ गई इस तरह का भी पर्सेंटेज गवर्नमेंट ने तय नहीं किया है, सिर्फ यही रखा है कि जो गवर्नमेंट तय करेगी वही जनता से वसूल करना है।

मैं कहना चाहता हूँ कि अर्बन इम्प्रूवमेंट के लिये जो स्कीम काम में लाई जायगी उसमें जनता की नाम मात्र की राय ली जायगी। जैसा कि पहले दिया हुआ है अब भी यदि मान लिया जाय कि जनता की इच्छा की जानकारी प्राप्त की गई है तो यह कह देना ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जनता की यह इच्छा थी कि बेटरमेंट लेवी ली जाय।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक खतरे की ओर इशारा किया था कि जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिये ज्यादा से ज्यादा ओब्जेक्शन हम करें, इसका जनता को चान्स दें, पर मेलाफाइड तरीके से ऐसा चान्स देंगे तो वह बुरा है। यह क्लॉज़ यहां रखने का मतलब यह हुआ कि हमने स्कीम बनाई, उसके साथ जनता को जानकारी करा दी कि यह स्कीम इम्प्लीमेंट की गई तो इसको बेटरमेंट चार्जेज जनता को देने पड़ेगे। कम से कम जनता को हम अन्धेरे में न रखें, जो सही वस्तुस्थिति है वह उसके सामने रख दें।

अब देखना है कि बेटरमेंट लेवी लेते हैं वह प्रिंसिपली ठीक है कि नहीं। सड़क पर खर्चा हुआ तो उस सड़क पर चलने वाले सभी लोगों से बेटरमेंट चार्जेज़ वसूल किये जायेंगे, बीजली के खम्भे लगे तो जिसके घर में बिजली लगती है उससे खर्चा लिया जायगा, यह समझने की बात है। जयपुर शहर में म्युनिसिपल एरिया है और अर्बन इम्प्रूवमेंट

( श्री भैरोंसिंह )

एरिया भी है। अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया में रहने वाले और म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले लोग हैं। म्युनिसिपल लिमिट में यदि सामान आता है तो उन्हें ड्यूटी देनी पड़ती है, उस एरिया में उसका मकान है तो उसे हाउस टैक्स देना पड़ता है। दोनों एरियाज के ऊपर म्युनिसिपल बोर्ड समान रूप से लागू रहेगा। अब यदि सरकार कहे कि फोर दी पर्पज़ आफ टैक्सेशन दोनों एरियाज़ को अलग कर दिया जायेगा तो समझ में आ सकता है कि डबल टैक्स नहीं लगेगा। पर कम्पल्सरी टैक्सेशन की व्यवस्था की है। इसके अनुसार अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया में रहने वालों को भी सभी टैक्सेज़ देने पड़ेंगे, जो म्युनिसिपल टैक्सेज़ हैं वे भी देने पड़ेंगे और बैटरमेंट लेवी भी देनी पड़ेगी। इस तरह डबल टैक्सेज़ उसको देने पड़ेंगे। अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया के बाहर का एरिया है वहां बिजली का खम्भा लगता है, सड़क बनती है, नल लगा कर पानी की व्यवस्था की जाती है, ड्रेनेज सिस्टम किया जाता है तो वहां के रहने वालों से बैटरमेंट लेवी नहीं ले सकते। यह कानून में नहीं है पर अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया में रहने वाले व्यक्ति से आप बैटरमेंट लेवी वसूल करेंगे तो इस तरह एक ही जगह रहने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव नीति बरती जायगी। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय इसे महसूस कर रहे हैं।

ऑक्ट्राय ड्यूटी और दूसरे टैक्सेज़ हैं उनका मतलब यह नहीं कि म्युनिसिपल कमिश्नर, एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर को तनख्वाह देना है, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बर्दाश्त करना है, इसलिये बर्दाश्त करना है कि डवेलपमेंट का काम इस एजेंसी से कराया जा सके। हमें सुख सुविधा मिले। सभापति महोदय, सरकार म्युनिसिपल बोर्ड्स को बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट बनाना चाहते हैं, सरकारी धन पर वे आश्रित नहीं हों। इसका सम्बन्ध है म्युनिसिपैलिटी उतना ही खर्चा करे जितनी कि उसकी आमदनी है, पर सामूहिक रूप से जितनी आमदनी सरकार इकट्ठी करती है उतनी म्युनिसिपैलिटीज को नहीं देती। सामूहित रूप से जितना पैसा इकट्ठा होता है उसी के आधार पर शहरों का विकास करना चाहिये पर यहां यह नहीं होता। पैसा कितना वसूल होता है यह यहां नहीं देखा जाता, स्कीम पहले इम्प्लीमेंट कर दी और फिर पैसा वसूल किया जाता है। ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जायं उस समय जनता के सामने यह बात रखी जाय कि सड़क, बिजली, पानी सेनिटेशन की मोटे रूप से व्यवस्था होती है, इसके विकास के नाम पर बैटरमेंट लेवी वसूल कर सकते हैं। तो जौहरी बाजार और गंगापोल गेट के रहने वाले व्यक्ति हैं, गंगापोल गेट का एरिया बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहां पानी का नल जाता है तो वहां के रहने वालों से बैटरमेंट लेवी वसूल की जावेगी। खातीपुरा का एरिया है, उसको अर्बन इम्प्रूवमेंट में शामिल कर दिया तो वहां के लोगों को बैटरमेंट का पैसा देना पड़ेगा पर शहर के दूसरे हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनको यह नहीं देना पड़ेगा। तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे लोग आपको ऑक्ट्राय ड्यूटी नहीं देते, हाउस टेक्स नहीं देते ? तो एक व्यक्ति टेक्स देता है, उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं सुविधाओं के लिये दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भेदभाव की नीति किसी भी प्रकार उचित

( श्री भैरोंसिंह )

नहीं कही जा सकती ।

सरकार कहती है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के पास पैसा नहीं है, इसलिये अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ये काम अपने हाथ में लेता है । होना तो यह चाहिये कि म्युनिसिपैलिटीज़ की जितनी आमदनी है, जितने आमदनी के श्रोत हैं उन्हें सरकार म्युनिसिपैलिटीज़ को सरेंडर करे पर सरकार ऐसा करती नहीं है, इस प्रकार की आमदनी अपने पास रखती है और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सरकार यह कहती है कि म्युनिसिपैलिटीज से शहरों का इन्तजाम नहीं हो सकता, इसके लिये और दूसरी मशिनरी रखी जाय । ताकि हमको आमदनी के श्रोत मिल जायं । मैं चाहता हूँ, सभी चाहते हैं कि विकास हो, विकास से हमें विरोध नहीं पर इसमें इस प्रकार की अनियमितताएं हैं उनका मैं विरोध करता हूं ।

असेसमेंट किस तरह से होगा इसका कोई प्रावधान इसमें नहीं है । मार्केट वेल्यू के ऊपर असेसमेंट होगा या प्रोपर्टी की रेंटल वेल्यू पर असेसमेंट होगा, या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा जिस कीमत में जमीन बेची जाती है, उस आधार पर वेल्यूएशन होगा, इसका कोई उल्लेख इसमें कहीं नहीं किया गया है । अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड अपनी इच्छा से करता है और कहता है कि हमने जो किया है वह सही है । अब अपील का प्रोविजन है, पर जो भी अपील करेगा, किस आधार पर करेगा, किस आधार पर वह आपके निर्णय को चैलेंज करेगा? रेन्टल वेल्यू इस तरह की थी और इस पर लगी है । बाद में गलती को हो लेकिन इसके लिये कोई प्रावधान नहीं हैं सिवाय इसके कि अपील कर दी जावेगी । कैसे गलती होगी, किस जगह गलती होगी मैं समझता हूं कि सारे के सारे बिल में कहीं प्रावधान नहीं है । मैंने सारे के सारे बिल की धाराओं को देखा है मगर इसका कहीं संकेत नहीं । सरकार को चाहिये कि वह एसेट्स का तरीका निर्धारित करे । कौनसे फेक्टर विशेष रूप से एसेट्स को निर्धारित करते समय काम में लायेंगे । मार्केट वेल्यू को कौन तय करेगा, रेन्ट रेट कैसे तैयार होगी पानी बिजली, सड़क आदि का किस तरह एसेट्स करेगी । यदि कहीं एक मील सड़क चली गई है तो उसके टोटल कॉस्ट ऑफ कन्सट्रक्शन से आप मानेंगे या गवर्नमेंट को कोई इन्कम होती है उसके हिसाब से मानेंगे । या ट्रान्सपोर्ट चलता है उसकी इन्कम होती है उसको लेंगे, सारी बातें ये बिल्कुल अन्धेरे में हैं । ऐसी हालत में आप बैटरमेंट लेवी लेना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं होगा । सरकार को चाहिये कि कितने एसेट्स होंगे किन किन फैक्टर के ऊपर यह तय होगा । ऐसा न हो कि लोगों पर दोहरा टैक्स लगाएं । अगर लोगों पर दोहरा टैक्स लगता है तो यह न्यायसंगत नहीं है । लोग ऑक्ट्रोय, हाउस टैक्स आदि देते हैं उनको आप एग्जेम्प्ट करेंगे या नहीं । मैं समझता हूं कि जहां तक सरकार की तरफ से स्पष्ट रूपरेखा नहीं आती हैं तो यह किस हद तक उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर में ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर बिजली नहीं, पानी का नल नहीं है, ड्रेनेज़ का कोई इन्तज़ाम नहीं मगर जौहरी बाज़ार में ड्रेनेज़ का सिस्टम है मगर जहां पर ड्रेनेज़ का सिस्टम है, बिजली और पानी की सुविधा है वहां पर कोई किसी प्रकार का ज्यादा पैसा

श्री भैरोंसिंह )

देना होता हो, यह बात नहीं हैं। जहां पानी नहीं और बिजली नहीं वहां पर भी वही पैसे देने होते और हैं जौहरी बाज़ार में भी वही पैसे देने होते हैं। जयपुर शहर की गलियों में ड्रेनेज़ सिस्टम नहीं है मगर फिर भी पैसा तो सभी से बराबर लिया जाता है। इससे यह होता है कि गरीब लोग इसका फायदा नहीं उठाते और अमीर लोग इसका फायदा उठाते हैं। आप सी स्कीम में जावें तो आपको मालूम होगा कि वहां किस प्रकार की सहूलियतें हैं। वहां पर सरकारी अधिकारी या राजनैतिक कार्यकर्ता रहते हैं। वहां पर मकान खुले हैं। जहां पर पानी की कमी नहीं। जहां जयपुर शहर में लोगों को पीने के लिये खारा पानी भले हो मिले मगर उसके बगीचों को पानी देने के लिये मीठा पानी मिलता है। आप उनसे इतना होते हुए भी बैटरमेंट लेवी नहीं लेते हैं। शहर में जहां पर लोगों को पीने के लिये खारा पानी मिले, वहां कोई विकास नहीं होगा। शहर के बाहर की जितनी भी बस्तियां हैं उनको पैसे टैक्स के रूप में वही देने पड़ते हैं जो शहर में गन्दगी में रहने वाले लोगों को देने पड़ते हैं और जौहरी बाज़ार के लोगों को देने पड़ते है मगर उनको वे सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं जो जौहरी बाज़ार में रहते हैं और बाहर सी स्कीम आदि में रहते हैं और जो किसी प्रकार से सरकारी अधिकारियों के रहने के स्थान हैं या राजनैतिक कार्यकर्ताओं का एरिया है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बैटरमेंट लेवी की धारा है वह बिल्कुल असंगत है और अच्छी तरह से ड्राफ्ट नहीं की गई है। इसके पीछे किस प्रकार के टैक्सेज़ होंगे इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं माननीय उपमंत्री से जी निवेदन करूंगा कि वे इसकी पूरी रूप रेखा तैयार करें और फिर इसको सदन के सामने रखें। अगर वे चाहें तो इसको डेफर कर दिया जावे और इस पर विचार कर लें और अगर इसको डेफर नहीं कर रहे हैं तो मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस धारा का डट कर विरोध करें।

( घंटी )

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (उपमंत्री) : सभापति महोदय, इस क्लॉज में एक अमेंडमेंट है और उसकी मंशा यह है कि Add the words 'or the actual cost of improvements made, whichever is less' at the end. एक तो यह होना चाहिये और दूसरा यह प्रोविज़ो होना चाहिये "Provided that in the case of an area relating to a Municipality having a population of 50,000 and over the betterment charges shall be an amount equel to 50% of the appreciation in value of the land". सभापति महोदय, कोई भी टैक्स हो उसके बारे में तीन बातें होनी चाहिये :

(१) टैक्स-सर्टेन हो।

(२) इक्वीटेबल हो

(३) असेसमेंट होना चाहिए।

जहां तक इस अमेंडमेंट का प्रश्न है इसमें यह बात चाही गई है कि एक्चुअल कॉस्ट या मार्केट वेल्यू पर बैटरमेंट लेवी ली जावे जो भी कम हो। एक्चुअल कॉस्ट को हम देखें तो चाहे तो कोई एरिया बैक लेन में हो या कोई पार्क या हॉस्पिटल के पास हो

# Page No.83



( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

क्योंकि उसके पास ज़मीन है इसलिये इक्वली असेस होगा और बराबर टैक्स देना होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप रोंग इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका जो तरीका है उसी आपके तरीके से असेसस करना है। आपने बताया है...

श्री पी०के० चौधरी : मैंने जो बताया है वह....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने जो २५ प्रतिशत की बात कही है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जो बिल्डिंग्ज़ सड़क पर आई हों और जहां पर लाइट नहीं पहुँचती हो और जो मकान पार्क के पास आये हों, जहां पर सब प्रकार की सहूलियतें हों उन पर बराबर टैक्स हो। दूसरा जो किसी खास बिजनेस लोकेलिटी से फायदा उठाते हों उनसे भी बराबर टैक्स लें तो इसमें वह इक्वीटी पर नहीं आता।

दूसरा यह है कि वह टैक्स मार्केटिंग वेल्यू पर नहीं हो सकता। वह तो कम ज्यादा होती रहती है। किसके पास कितना गज़ ज़मीन है उस आधार पर टैक्स बराबर और हिसाब से पड़ेगा।

श्री पी० के० चौधरी : २५ प्रतिशत किस आधार पर करेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसकी साइट वेल्यू पर रखा है। खास जगह पर कोई बिल्डिंग होगी उसकी कीमत ज्यादा होती है। अगर वह उससे सेटिसफाइ नहीं होगा तो अपील कर सकता है। लेकिन आपके ज़रिये से ....

श्री सभापति : What is there to help the assessors to assess the value ? It will be arbitrary.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : There is no question of arbitrariness.

श्री पी० के० चौधरी : आपने अमेंडमेंट पूरा पड़ा नहीं है "(2) Such betterment charge shall be an amount equal to one fourth of the amount by which the value of the property on the completition of the execution of the scheme, estimated as if the property were clear of building, exceeds the value of the property prior to such execution estimated in like manner or the actual cost of improvements made, whichever is less." दोनों से जो काम होगा वे लोग नहीं लेंगे and for cities with over 50,000 population there will be 50% of the appreciation in value.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं आपके अमेंडमेंट को अच्छी तरह से समझ गया हूं। जब उसको कॉस्ट पर देना होगा उस हालत में मुसीबत आवेगी, मैंने निवेदन किया है। साइट वेल्यू का ध्यान नहीं किया...

श्री पी० के० चौधरी : I would like to infrom the Hon'ble Member that in most of the other Improvement, Trusts previously they used to take it on cost. There are instances where Improvement Trusts have

( श्री पी. के. चौधरी )

recovered betterment charges on actual cost.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Might be. But according to us and according to the views of the Committee this is the better method wherein on actual increase of value we levy the betterment charges. दूसरा यह रखा है कि जो ५० हज़ार से ज्यादा वाली म्युनिसिपैलीटीज़ हैं उनमें कीमत बढ़ेगी वहां ५० प्रतिशत लिया जावे और दूसरों से २५ प्रतिशत लिया जावे। अगर कस्बा छोटा है उसमें कीमत कम रहेगी और जहां ज्यादा आबादी हैं वहां कीमत बढ़ेगी। इसलिए इसमें यह रखना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक जगह तो दो रुपये बढ़े तो उसको आठ आने देने पड़े और दूसरी जगह ५०० रुपये बढ़े तो दो आने ही देने पड़े।

श्री सभापति : कीमत बढ़ी है या नहीं इसको किस प्रकार असेस करेंगे ? It will be on what are the prevalent rent rates there ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चेयरमैन महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है :

" ( 2 ) Such betterment charge shall be an amount equal to one fourth of the amount by which the value of the property on the completition of the execution of the scheme estimated as if the property were clear of building, exceeds the value of the property prior to such execution estimated in like manner."

श्री सभापति : कीमत बढ़ी है या नहीं यह कैसे असेस होगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो जाना जा सकता है और इसीलिए आर्बिट्रेटर और असेसर नियुक्त किया है : Assessor means who assesses the value taking into consideration all the factors.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : किन फैक्टर्स के आधार पर आप असेस करेंगे कि इतनी कीमत बढ़ी है या नहीं। कोई बेसिस भी तो होना चाहिए, रेन्टल वेल्यू बढ़ी है, मार्केट वेल्यू का आधार क्या है ? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर कि उनको रिलाई करना चाहिये।

श्री सभापति : For example one factor can be the housetax. Supposing previously he was paying Rs. 100 as house tax and now the house tax is 150, so this, Rs. 50/ can be the increase in rental value and in the value of the property. This is one of the factors. So what will be the factors for determination of the value of the property that has increased, or would it just be left to the assessors ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : It will be determined according to market trends. Market trends are always ascertainable. It is for this that we have used the word 'assessors'. The assessors will take into consideration the facilities provided and the consequent increase in value of property and then they can come to the conclusion that this is the value of the property.

**श्री सभापति** : Market trend is generally indicated by the rental value.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : वेल्यू ऑफ प्रोपर्टी हो तो। Properties are also sold and purchased.

**श्री सभापति** : Yes, but the value of the property is manifested in an increase in the rent of the property. If the rent of a property has increased, naturally it will fetch a higher price in sale.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : There can be many factors. If there is a buyer and a seller and if they reach an agreement that this is the value of the property, we cannot say that this is not. If the Hon'ble Members can suggest me a way out that they would provide such and such foolproof system of assessment, I will agree.

**श्री भैरोसिंह** : तो कोई भी करले असेस सजेशन कहते हैं तो यह हो सकता है कि जैसे हाऊस टैक्स के लिए एक आधार बनाया था म्युनिसिपल बिल में कि क्या मालियत होगी, रेन्टल वेल्यू क्या होगी, किसको आधार माना है ? इसी प्रकार से इसमें कुछ फैक्टर्स को लेना होगा कि जिन फेक्टर्स पर रिलाई करके असेसिंग अथोरिटी करे। कम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। असेसिंग अथोरिटी की गाइडेन्स के लिए कुछ न कुछ फेक्टर्स तो निर्धारित करने ही पड़ेंगे। जिन के आधार पर असेसिंग ऑथोरिटी असेस कर सके।

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : वेल्यू मुकर्रर करने के लिए कोई आधार नहीं होता है। यह तो डिमान्ड एन्ड सप्लाई के प्रिन्सिपल पर निर्भर होता है। इसके लिए कोई मशीनरी तो हो नहीं सकती कि जिस मशीनरी को आधार माना जा सके। मान लीजिये कि अमुक जगह पर अमुक फेसिलिटी है तो उस दृष्टि से असेसिंग ऑथोरिटी कहेगा कि यहां यह हो सकता है। ज़मीन की कीमत हर जगह एक सी तो होती नहीं, एक जगह एक रुपया है दूसरी जगह दो, चार, पांच रुपया है। इन सारी चीज़ों को कन्सीडर करके ही फेक्टर पर पहुँच सकते हैं।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : इस पर जरा विचार करके देखिये। यहां खड़े खड़े यह नहीं विचारा जा सकता है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इसके लिए बहुत समय पहले ही से दे दिया गया था। लेकिन यहां बहस के वक्त माननीय सदस्यों को इस प्रकार की बातें याद आती हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : आपको भी फेक्टर्स बताने चाहिये कि इन पर एसेस होगा। इस क्लॉज में फैक्टर्सनिर्धारित नहीं किये गये है। इस वक्त नहींकह सकते लेकिन आपको दुबारा अमेंन्टमेंड इस विषय में लाना पड़ेगा जब तक इस क्लॉज़ के अन्तर्गत फेक्टर्स निर्धारित नहीं करते, यह मामला डिस्प्युटेबल होगा और जो असेसमेंट होगा वह इन कारणों पर नहीं होगा, लेकिन किन्हीं कारणों को निर्धारित करने के लिए आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इस प्रकार की परेशानी आपके सामने आगे भी आवेगी जैसी आज आ रही है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : लैंड की वेल्यूएशन के लिए पांच फेक्टर्स हैं उनसे वह असेस हो जायगी, एक ज़मीन तो किसी एक कोने पर है उसकी कीमत ५०हजार रुपया है।

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

और एक ज़मीन उससे हट कर है तो उसकी कीमत २५ हज़ार है। हर एक ज़मीन की अलग अलग कीमत है। यदि एक लाख फेक्टर्स भी लिख दें तो भी इमरजेंन्सी मीट नहीं कर सकेंगे। इसके जो आरबिट्रेटर होगा, असेसर होगा, उन पर ही इसको छोड़ दिया जाय ताकि वे सब चीजों को कन्सीडर करके असेस करे। किसी लोकेलिटी में प्रोपर्टी की क्या वेल्यू हो और किसी में क्या? मार्केट में डिमान्ड एन्ड सप्लाई पर यह निर्भर करता है।

**श्री मदनसिंह दांता** : Why can't you mention these things? आर्बिट्रेटर्स करेंगे। but on what basis the arbitrators are going to fix the amount?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : If we were to mention all the factors, the factors would amount to one lakh and then there would be one lakh and first factor, one factor more may arise and everything will go wrong. Therefore we should leave this to the market trends and the discretion of the arbitrators who may find out the value. For your information I may say that:

**श्री भैरोंसिंह** : हमने जितने असेसमेंट के कानुन बनाये हैं, लैंड एक्वीज़िशन कानून है, म्युनिसिपल कानून बनाया है इन दोनों कानूनों में जहां जहां असेसमेंट आया है उनमें, हाउस ओनर्स में कौन से लिये हैं, लैंड इक्वीजेशन में वेल्यूएशन के किन किन कारणों को लिया है और अन्य किन किन आधारों को मान कर तय किया है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें असेसमेंट का क्वश्चन न हो और उसमें फैक्टर्स डिटमिन्ड न हों। यह आप पहला ही कानून बना रहे हैं जिसमें फैक्टर्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं। पहले के कानूनों को देख लें। प्रोसीजर को देख लें कि किन किन फैक्टर्स पर ऑथोरिटी रिलाई करेगा। वह कैसे असेस करेगा। एक लाख हो जावेंगे, ऐसा नहीं है लेकिन तीन चार होंगे ऐसे फैक्टर्स उनको निश्चित रूप से इसमें रखना चाहिये।

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मार्केट ट्रेन्ड के लिए वेल्यूएशन इतनी यहां होगी, इतनी यहां होगी, यह कहा जा सके।

**श्री सभापति** : मार्केट ट्रेन्ड एग्ज़िबिट होता है वेल्यूएशन पोपर्टी की इन्क्रीज़ के लिए। They are generally manifested in the increase in the rent prevalent there. सी स्कीम में कितनी है, आदर्श नगर में कितनी है, गांधी नगर में कितनी है, बेनीपार्क में कितनी वेल्यूएशन एक प्रोपर्टी की है this can be ascertained by the prevalent rate of rent that is there. This is the basis by which we can come to the conclusion स्कीम के एक्जीक्युशिन से पहले मकान का कितना किराया था, कितना हाउस टेक्स पे किया जाता था और अब कितना किया जाता है। इन्क्रीज़ हुआ है तो वेल्यूएशन बढ़ी है। So some sort of factors should be laid down.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : But how the house rent is decided? It is by bargaining that a transaction is struck.

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

How much is to be paid for this type of accommodation and how much for that type of accommodation, it depends upon many factors which may be unknown. Ultimately the basis for the rent and the valuation of a property is the same. House rent is also flexible and it depends upon so many factors.

**श्री सभापति :** But how are you going to assess unknown factors ? Ultimately it will be the rental value of the land. Why don't you admit it that we should accept the rental value of the land. For example if you introduce a scheme and after the introduction of that scheme the rental value of the properties there increases, then you can assess that these are the facilities provided to the inhabitants of the scheme and this is the consequent increase in rent.

**श्री मदनसिंह :** इस तरह के अधिकार बोर्ड को देना, क्या सिच्युएशन है, क्या उसकी वेल्यू हो सकती है, इसके लिए अच्छा यह हो कि जो तरीका म्युनिसिपैलिटी के अन्दर है वही तरीका आप यहां पर क्यों नहीं रख देते ? इसी प्रकार से दो तीन कानून और हैं उनमें से आप क्यों नहीं ले लेते ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** मैं निवेदन कर रहा था, वेल्यू चाहे रेन्टल वेल्यू हो वह भी अल्टीमेटली डिमान्ड और सप्लाई पर निर्भर करती है और यह भी परिस्थितियों पर, सिच्युएशन पर निर्भर करता है जो हम निर्धारित नहीं कर सकते। आप बैटरमेन्ट लेवी ही को ले लीजिये वह भी आर्बीट्रेटर्स पर रहता है, असेसर के डिस्क्रीशन पर रहता है।

**श्री पी० के० चौधरी :** I object to it, leaving the fate of the people to the goodwill of the assessors. Certain rules or principles will have to be laid down and it cannot just be left to the goodwill of the assessors. It must be guided by certain principles. That in the adjoining area this is the value of the property and in this area the value of the property is higher, therefore, it is because of the facilities provided in this area that the value has increased and then you can assess. You can't leave it...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** By goodwill I only meant discretion and discretion is always a judicial discretion and it is made after taking into consideration all the relevant factors. It is not arbitrary. Ultimately in all decisions it is left to the discretion of the judge to decide a matter taking into consideration all the factors. So by goodwill I mean discretion and there is no question of arbitrariness in it.

**श्री पी० के० चौधरी :** But this assessment is not to be decided by a judge. Hon'ble Minister has got a wrong conception.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** I am perfectly correct and I have no wrong conception. The Hon'ble Member has got a wrong conception. He says

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

that it should be assessed on rental value, but on what factors the rental value is determined ? Is there any written Code that for this type of accommodation, consisting of so many rooms etc. so much will be the rent ?

श्री पी. के. चौधरी : Rental value is decided on the average rent of that area. Supposing in Municipal taxation we have said that house tax will be determined on the rental value of the house, that does not mean the actual rent paid for that house, it means the general average rent paid for a similar type of accommodation in that locality. That is the rental value.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : No, Sir, I would submit that if there is a definiteness about the rent, that about the sale and purchase price also there is some certainty. If the buildings are let out on rent, they are also sold and purchased. The price variation of the properties in one locality and another is always ascertainable. It is not that only rent is ascertainable and the price or value of the property is not ascertainable.

श्री दयाकृष्णविजय (छबड़ा): इतना बड़ा कानून बनाते हैं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है आप दर प्रेसकाइब कर देते हैं तो किसी प्रकार कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। स्पेसीफिक चीजें निर्धारित कर दीजिए। आप चाहते हैं कि लाल फीताशाही के बाद में यह मामला चलता रहे और मर्जी आये जैसे वे करते रहें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रेन्टल वेल्यू का जहां तक सवाल है the property shall be acquired and....ये वर्ड्स आये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : प्लाट्स देते हैं...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्लाट्स की वेल्यू कभी भी इक्वीटेबल हो नहीं सकेगी। बिल्डिंग बनाने पर ही प्लाट की कीमत होती है।

श्री भैरोंसिंह : वही कीमत तो मार्केट वेल्यू होगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Hon'ble Members are laying undue stress on rent, whereas I am stressing on the value or price of property. According to them, only rent is the important thing and I am submitting that there are transactions of purchase and sale of properties and they also indicate the value.

श्री मदनसिंह : फिर तो इसका सीधा तरीका है जैसा कि गांवों में होता है। गांव में चेजारा होता है वह यह मालूम कर लेता है कि इसमें कितना पत्थर लगा, कितना चूना लगा उसी प्रकार का आप यहां कर रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पाया आपको इसमें क्या जिद है। म्युनिसिपल बिल में जो तरीका है उसी को आप यहां क्यों नहीं अपना लेते। आप थोड़ा सा सोच लें इतना कड़ाई से न पकड़ें तो अच्छा है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : रेन्टल वेल्यू के लिये किसी का अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट है सिर्फ कॉस्ट के ऊपर श्री पी. के. चौधरी का।

**श्री भैरोंसिंह** : सभापति महोदय, आप चाहें तो अमेन्डमेंट अब भी आ सकता है आप की ओर से मूव हो सकता है। आप नहीं कर सकते तो हम मूव कर दें। म्युनिसिपल एक्ट में लेन्ड एक्वीज़िशन एक्ट में जो असेसमेन्ट का तरीका है वह आप इसमें क्यों नहीं अपना लेते। अगर वही तरीका अपना लिया जाता है तो झगड़ा खत्म हो जायगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इसमें कोई मनाई नहीं है। ४८ सी साफ कहता है—"The arbitrators shall follow such procedure as may be prescribed in this behalf."

**श्री पी० के० चौधरी** : Why leave it to rules? Why not embody it in the statute? There is no difference between rent and valuation. The price of land ultimately depends upon the rent that it will bring. Rent means profit which the investment in land brings. If a land does not bring a profit, no one is going to purchase it. So ultimately rent is the only factor which comes in. The price depends upon the rent which the land after proper improvements will bring.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : I have never denied that rent shall not be considered in assessing the value of the property or betterment value. What I submit is that it is not the only consideration. There is no bar to the rent being taken into consideration.

**श्री दयाकृष्ण विजय** : आर्बिट्रेटर तो ४८ में था, असेस का तरीका क्या होगा वह तो होना चाहिये। आर्बिट्रेटर की बात तो बाद में आयगी। असेसमेन्ट किस आधार पर करेंगे यह तो बता दीजिये।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : असेसमेन्ट एग्रीमेन्ट पर होगा।

**श्री मदनसिंह** : तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिसको ज्यादा दिलाना चाहेगा तो ज्यादा दिला देगा।

**श्री सभापति** : You are referring to which clause?

**श्री मदनसिंह** : आखिर यह बात जंचती नहीं, इसमें कोई प्रिन्सीपल नहीं।

**श्री सभापति** : You are referring to 48 C? For the determination of the matters referred to in sub-section (4) of section 48 B...

But this is applicable when the Trust deems it proper to declare a scheme as sufficiently advanced and if anybody disagrees, then for it the provision has been made in 48 C. If anybody dis-agrees with the declaration or assessment of the Trust, then there is provision. But so far as 48A is concerned, there is no procedure laid down...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : The Hon-ble Member from Kota said that it should first go to the assessors and then to the arbitrators. My submission is that before the assessors come in, the matter shall be decided by mutual agreement. If the parties agree then we cannot prevent them doing so. It is only when a dispute arises that at that stage the Arbitrator shall come in and then proper procedure shall be prescribed by rules for giving the decision.

**श्री सभापति** : So far as 48 B is concerned, it only provides for an advance determination of betterment charges and if in that case a dispute arises then the matter shall be referred to an arbitrator. But supposing the scheme has been executed fully and betterment charges levied, then there is no provision of appointing an arbitrator. So far as 48A is concerned, when the scheme is fully executed, then if anybody is not satisfied, there is no provision for referring the matter to arbitrators.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : It is for both Sir.

**श्री सभापति** : Have you consulted your Legal Department ? I think it applies only to 48 B; that seems to be the only interpretation.

**श्री पी० के० चौधरी** : I think the Hon'ble Minister should consult the Law Department as advised by the Chairman.

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : I am perfectly clear.

**श्री सभापति** : I simply wished to draw the attention of the Hon'ble Minister-in-charge that so far as 48C is concerned, it makes provision only in case of advance determination provided under 48B, but it does not make any provision for 48 A, i. e. when a scheme has been executed and betterment charge is assessed.

**श्री भैरोंसिंह** : आप इसको डेफर कर दें साहब। यह इतना कॉम्प्लीकेटेड है।....

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** ( मंत्री स्वायत्त शासन विभाग ) : मैं अर्ज करूं ४८ बी और और सी में प्रोसीजर क्या होगा । प्रोसीजर फोलो करना पड़ेगा । इसलिए ४८ बी रखा गया है । दोनों कन्ट्रॉडिक्टरी नहीं हैं । प्रोसीजर फोलो हो जावेगा फिर लेवी ली जावेगी । इसलिए जैसा है वैसा पास कर दिया जावे । मैंने लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लिया है और दिल्ली में ही है वैसा लिया है।

**श्री पी० के० चौधरी** : इसको डेफर कर दिया जावे ।

**श्री सभापति** : So your reply is complete.

**श्री पी० के० चौधरी** : Reply is not complete.

**श्री सभापति** : According to him it is complete. Yes, do you want to withdraw your amendment ?

**श्री पी० के० चौधरी** : Yes Sir.

Page No.91



**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने पेश किया है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : I withdraw my amendment.

**श्री सभापति** : Any other amendment.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८ ए स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : 'ना' पक्ष जीता।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (मंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : आप देखें तो सही!

**श्री भैरोंसिंह** : 'ना' पक्ष जीता है। वह तो अभी पता लग जावेगा।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : हमेशा हां पक्ष जीतता है।

**श्री भैरोंसिंह** : यह बात नहीं है, कभी 'हां' पक्ष हारता भी है।

**श्री सभापति** : You claim division ?

**श्री भैरोंसिंह** : Yes.

(मत विभाजन की घंटी के पश्चात पुनः)

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार विधेयक का क्लॉज़ ४८ ए स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४८ ए, स्वीकार किया गया।

(सरकारी पक्ष से तालियां)

**क्लॉज ४८ बी।**

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : बोलेंगे 'बी' और 'सी' पर।

माननीय सभापति महोदय, असेसमेंट ऑफ बैटरमेंट चार्जेज़ यह है ४८ बी के अन्दर। यह व्यवस्था की जा रही है कि इसका असेसमेन्ट किस तरीके पर होगा। "Where it appears to the Trust that any particular scheme is sufficiently advanced to enable the amount of the betterment charge to be determined..."

So it is in case of advance determination,, 'where it appears to the Trust..." इसकी जो पहले की तीन लाइनें हैं उनको यदि अच्छी तरह से देखा जावे तो इसमें से वह लूप् होल्स निकलते हैं जिनका डिटर्मिनेशन माननीय उपमंत्री के शब्दों में असेसिंग ऑथोरिटी की गुडविल पर डिपेन्ड करती है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग) : डाइरेक्शन।

**श्री भैरोंसिंह** : गुडविल और डाइरेक्शन में रात दिन का अन्तर है। वह शब्द

( श्री भैरोंसिंह )

निकल गया। वापिस नहीं लिया जा सकता। उनकी गुडविल पर डिपेन्ड करता है। वह किस प्रकार से एग्ज़ीक्यूट की जावेगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसा लिखा है। "Where is appears to the Trust any prticular scheme is sufficiently advanced..."

एडवान्स किस रूप में हुआ है, जिस एडवान्समेन्ट से यह असेस किया जा सके कि इतना एडवान्समेन्ट हो गया कि आप किसी की भी प्रोपर्टी के ऊपर बैटरमेन्ट लेवी चार्ज कर सकते हैं। अब सफीशियेन्टली एडवान्स हुआ है इसका असेसमेन्ट किस बेसिस पर होगी। मैं समझता हूं कि सड़क के बारे में एक स्कीम बनाई, एक रफ स्कीम बन गई और रफ स्कीम बनकर स्कीम मन्जुर भी हो गई और स्कीम मन्जूर होने के बाद में सफीशियेन्टली एडवान्समेन्ट हो सकता है कि इस सड़क की स्कीम मन्ज़ूर हो गई और फण्ड्स का अलॉटमेन्ट हो गया और टेन्डर्स इन्वाइट कर लिए गए तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि टेन्डर्स इन्वाइट कर लिए गए हैं तो सड़क तो बनेगी ही। तो उसके काम का जितना एडवान्समेन्ट होना चाहिए था वह हो गया और सड़क बनकर कभी किसी के काम आई या नहीं इसको कोई नहीं देखेगा लेकिन क्योंकि उसके काम में एडवान्समेन्ट हो गया है और एडवान्समेंट ट्रस्ट के मतानुसार वह सेटिस्फेक्टरी एडवान्समेन्ट है तो उसके ऊपर बैटरमेन्ट लेवी इम्पोज़ की जा सकती है। तो इस स्थिति में मंत्री जी यह कहेंगे कि वहां पर बैटरमेन्ट लेवी इम्पोज़ करने के लिए कौन सी विधि काम में आयेगी, कौन से फैक्टर्स काम में आयें तो मैं कहता हूं कि जब तक वह सड़क नहीं बनती है तब तक किसी भी मकान की या किसी भी प्रोपर्टी की रेन्टल वैल्यू नहीं बढ़ती है और न बाकी के फैक्टर्स में किसी प्रकार का इन्क्रीमेन्ट होता है तो उस स्थिति में आपका यह एडवान्समेन्ट भी काफी डिफीकल्टी पैदा करेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं। बिजली के खम्भे यहां से चौमू तक लग गए और चौमू से आगे लगने को हैं। सन् ५२ में यह खम्भे गड़ने आरम्भ हुए थे और आज सन् ५८ है ६ वर्ष का पीरियड निकलने वाला है तो उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि सेटिस्फेक्टरीली सारा काम, एडवान्समेन्ट किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि चौमू तक के लोगों से बैटरमेन्ट लेवी ली जाये क्योंकि वह लोग इस भरोसे से बैटरमेन्ट लेवी दे देंगे कि खम्भे लग गए हैं, बिजली तो आयेगी और सब काम हो जायेगा। तो यह है आपका एक नमूना। अब यदि हम आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है : " (1) Where it appears to the Trust that any particular scheme is sufficiently advanced to enable the amount of the betterment charge to be determined, the Trust may, by an order made in this behalf, declare that for the purpose of determining the betterment charge of the execution of the scheme shall be deemed to have been completed and shall thereupon give notice in writing to the owner of the property or any person having an interest therein that the Trust proposes to assess the amount of the betterment charge in respect of the propery under sec. 48A." सभापति महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि किसी काम की शुरुआत हो गई और उस शुरुआत के बाद में ट्रस्ट इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है कि काम

( श्री भैरोंसिंह )

आरम्भ हो गया है और ट्रस्ट के आज्ञा देने के बाद में It shall be deemed to have been done इस प्रकार का समझने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि काम शुरु हो गया बिजली के खम्बे लग गए और जब खम्भे लग गए तो बिजली आयेगी ही और जब बिजली आयेगी तो उनके ऊपर बैटरमेन्ट लेवी इम्पोज़ की जा सकती है। इस प्रकार समझने के लिए लोगों को ट्रस्ट मजबूर करेगी कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनावों के समय इस प्रकार के आश्वासन दे दिये जाते हैं और लोगों से वोट लेने के लिए पानी के नल लग गए, उन चुनावों के दिनों में, नल लगने के बाद में टूटियां लग गई और उस समय कह दिया जाता है कि इन नलों में कल परसों पानी आ जायेगा और वह कल परसों का समय वापिस नहीं आता है। वह नल ज्यों के त्यों लगे हुए हैं उनमें टूटियां भी लग गई लेकिन पानी नहीं आता और वह टूटियां शूं शूं करती हैं, उनमें आज तक पानी नहीं आया है। आज कहा जा सकता है कि उन पर बैटरमेंट लेवी इम्पोज़ की जा सकती है और इसलिए इम्पोज़ की जा सकती है कि ट्रस्ट की आज्ञा का विश्वास करना पड़ेगा कि टूटियां लग गई तो पानी तो आयेगा और वह टूटियां चाहें आगे पानी दें या नहीं दें या यों ही शूं शूं करती रहें। तो इस प्रकार का एडवान्समेंट हो तो उनके बारे में हमें सचेत होना पड़ेगा। इस विधान सभा में खास तौर से जो अलग अलग क्षेत्र से माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने यहां कई प्रकार के प्रश्न रखे थे कि कब तक फलां काम हो जायेगा, कब तक स्कूल की मरम्मत हो जायगी तो उनको उत्तर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी हो जायेगा। तो उस जल्दी से जल्दी के लिए तो मैं आपको बताऊं कि आज तीन साल हो गए आज तक मरम्मत नहीं कराई गई। तो कई बार यह भी कह दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा होगा तो मरम्मत करा दी जायेगी। उसी तरह से बैटरमेन्ट लेवी की बात की जायेगी। टूटियों में पानी नहीं आये तो ट्रस्ट यह कह देगा कि बैटरमेंट लेवी अभी वसूल नहीं की गई है इसलिए हम वाटर वर्क्स को पानी के लिए नहीं कह सकते हैं इसलिए टूटियों में पानी नहीं आयेगा और टूटियां शूं शूं करती रहेंगी। जिस बेसिस पर आप आर्डर्स इश्यू करवा सकते हैं बैंटरमेंट लेवी के लिए वह आर्डर्स घातक होंगे। अब हमें यह कहना पड़ेगा कि सफीशियेन्टली एडवान्स इसको हम कैसे असेस करेंगे, बोर्ड इसको कैसे असेस करेगा। या तो यह हो कि एक्सपेन्डीचर जो कि उस वर्क पर होने को है यानें जो अलॉटेड फण्ड हो उसका ५० पर्सेंट खर्च कर दिया, उसके टेन्डर्स मंजूर कर दिये हैं और जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है या कुछ खड्डे भरने हैं और अधिकारियों को नौकरी पर रख लिया है, ठेकेदारों ने काम करना शुरू कर दिया है और ५० पर्सेंट काम कर दिया है तो हो सकता है कि हम मान लें कि सफीशियेंटली एडवान्स कर दिया है। लेकिन अभी इस सफीशियेंटली एडवान्समेंट का काम का नमूना देख लिया कि सन् ५२ में खम्भे लगे और आज तक उसमें बिजली नहीं आई और इलेक्शन के दिनों में नल और टूटियां लगीं और पानी आज तक नहीं आया। वह नल लोगों को शूं शूं करके चिढ़ाते हैं कि हम अगले इलेक्शन तक पानी नहीं देंगे। इस इलेक्शन के बीच का समय फिर चुनौती

( श्री भैरोंसिंह )

देता है कि एडवान्समेंट पूरा नहीं हुआ और नैक्स्ट इन्सटालमेन्ट का इन्तज़ार करो और अगर आगे फिर वोट दे दिए तो सफिशियेन्टली एडवान्समेंट फिर हो जायेगा और इस तरह अगले पांच साल का टाइम निकालना होता है।

**श्री मूलचंद डागा** : वह पांच वर्ष का समय तो निकलेगा लेकिन यह पांच मिनट का निकलेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : अभी तो ५ मिनट का ही प्रश्न नहीं है। अगर माननीय उपमंत्री जी मेरी बात को मानते हैं तो मैं समझता हूं कि कल तक वह भी इस पर विचार करके आयेंगे। आपका तुरन्त दुरुस्त होने का स्वभाग है, वह कल तक दुरुस्त हो जायगा। इस स्थिति में मैं कहूंगा कि इसको कल लिया जाये तो अच्छा रहेगा। इस पर आप भी अच्छा तरह से विचार कर लें और यदि आप जिद ही करेंगे तो सारी बातें मुझे फिर सदन के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। पर फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि मैं सारी बातें कहता जाऊं ताकि उपमंत्री जी कल विचार कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका दूसरा क्लॉज़ है :

"(2) The Trust shall then assess the amount of the betterment charges, payable by the person concerned after giving such person an opportunity to be heard and such person shall, within three months from the date of receipt of the notice in writing of such assesment from the Trust, infrom the Trust by a declaration in writing that he accepts the assessment or dissents from it."

यह बात सही है कि बोर्ड ने इस बात की जरूर व्यवस्था की है कि असेसमेन्ट के बाद में उस व्यक्ति से जो व्यक्ति इस असेसमेन्ट में इन्टरेस्टेड है उस को इस बात का मौका दिया है कि वह इतने महीने के अन्दर अन्दर चाहे तो इस सम्बन्ध में आब्जेक्शन ले। अब मेरा प्रश्न यही पैदा होता है कि आब्जेक्शन किस बात का लेंगे। किसी भी कानून में यदि एक कोर्ट में अपील करते हैं तो दो फैक्टर्स सामने आते हैं। एक तो फैक्ट्स के बेसिस पर अपील की जाती है और एक लॉ पाइन्ट्स के ऊपर अपील की जाती है। अगर लॉ पाइन्ट के ऊपर अपील की जाती है तो उसमें डिस्क्रीशन एप्लाई करते हैं। जो गलती की है वह इस प्रकार की है कि जिसके लिए अपील की जा सके तो वह तो लॉ पाइन्ट का क्वेश्चन आ गया। दूसरा फैक्टर केस के फैक्ट्स के उपर डिपेन्ड करता है। उसमें यह कहें कि एवीडेन्स आफ फैक्ट्स को नरेट किया है और कोर्ट ने माना है और जिस प्रकार का डिसीज़न दिया दिया है वह फैक्ट्स के अनुसार नहीं है तो यहां न तो फैक्ट्स हैं और न लॉ पाइन्ट्स हैं और वह फैक्टर्स भी नहीं हैं जिनके ऊपर बैटरमेन्ट लेवी इम्पोज़ की जा सके। अगर यह होता कि रेन्टल वैल्यू के ऊपर असेसमेन्ट होगा तो जो रेन्टल वैल्यू आपने असेस की है और बाकी के जो फैक्टर्स आपने असेस किये हैं वह गलत हैं और इस नाते से गलत हैं कि मेरे पास वाले मकान की इतनी कीमत है और मेरे मकान की सारे बातें सामान्य हैं दूसरे पड़ोस के मकान से....

**श्री मूलचन्द डागा** : On a point of information, Sir, क्या आप और बोलना चाहेंगे। और फिर आप किस घड़ी को

# Page No.95



( श्री मूलचन्द डागा )

मानेंगे इस घड़ी को या उस घड़ी को।

**श्री सभापति :** The Chair is guided by the right watch. आप और बोलेंगे, कितना समय लेंगे ?

**श्री भैरोंसिंह :** मैं तो कल और बोलूंगा ?

**श्री सभापति :** सभा की कार्यवाही कल प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ म. प. पर गुरुवार, दिनांक १४-५-५९ के ८ म. पू. तक के लिये स्थगित हुई )

---

## संक्षिप्त विवरण

( बुधवार, १३ मई, १९५९ )

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नोत्तर** १०८६६

नगरपालिका, पाली का बजट ।

गवां छतरगंज में सहकारी कृषि समिति ।

डिस्ट्रिक्ट मेडीकल एन्ड हैल्थ ऑफिसरों को फ्री रेजीडेंशियल अकोमोडेशन ।

एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग पूर्व व पश्चिम के अधीन मोहर्रिरों का फिक्सेशन ।

नागोर में गुसाइयों की समाधि पर कब्जा ।

सेठ दुर्गा प्रसाद मोर धर्मार्थ हॉस्पिटल नवलगढ़

नगरपालिका जयगंज की सीमा में मकानों का अत्यधिक किराया ।

ग्राम पंचायत, बदनोर के सरपंच के खिलाफ शिकायत ।

सिविल लाइन्स, जयपुर के पास रेल्वे का ओवर ब्रिज ।

बजाज नगर हरिजन बस्ती (गांधीनगर) ।

तहसील पंचायत बड़ोद के सेक्रेटरी के जिम्मे बकाया रकम ।

तहसील सराडा के थाने के सब-इन्सपेक्टर की शिकायत ।

स्कम्भ

ग्राम गांगवां की पंचायत के सरपंच का चुनाव ।

ग्राम पंचायत ३५ जो. बी. तहसील पदमपुर में गबन ।

किशनगढ़ से सैशन्स कोर्ट हटाने के संबंध में ।

धौलपुर के सदर तथा श्री केसर महारानी मेमोरियल होस्पिटल में डाक्टरों तथा नर्सों की कमी ।

जिला टोंक में सड़कों का निर्माण ।

मुकन्दगढ नगरपालिका के चुनाव ।

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भरतपुर की अदालत में प्रथम श्रेणी के मामले ।

जयपुर शहर में आग लगने की घटनाएं ।

निवाई में पशुओं की चराई की दर ।

जिला बोर्ड के सदस्यों को टी. ए. ।

प्रागपुरा पंचायत की रकम का गबन ।

कुशलगढ़ से उदयगढ़ व कुशलगढ़ से बांसवाड़ा की सड़कों का निर्माण ।

# Page No.97



| | स्कम्भ |
|---|---|
| विधायी कार्य। | |
| राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७ | १०६४८ |

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड १४, १५, १५ए, १६, २१, २४, २५, २७, से ३०, ३०ए, ३१ से ३३, ३३ए, ३४ से ३७, ३७ए, ३६, ४३ से ४५, ४५ए से ४५ जी, ४६, ४८ एवं ४८ए बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

(खण्ड २६, ३८, ४० से ४२ एवं ४७ प्रवर समिति द्वारा विलोपित कर दिये गये थे)।

खण्ड १७ से २०ए, २२ एवं २३ से २३बी स्थगित किये गये।

सदन की बैठक १.०० बजे गुरुवार दिनांक, १० मई, १९५६ को प्रातः ८.०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

स्कम्भ

## गुरुवार दिनांक १४ मई, ५० की कार्य सूची

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, ५७

(अग्रेत्तर खंडश विचार विमर्श)

---

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ का उत्तर देखिये )

STATEMENT OF FIRE CALLS FOR MARCH 1959.

| No. of calls booked. | City. | Village. | Address. | cause. | Damage. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 1. | Purana Topkhana Ch. Topkhana Hazuri. | — | Purana Topkhana Ch. Topkhana Hazuri. | Spark. | nil. | Ammunition store. |
| 2. | Hassanpura, back side of Baria House. | — | Hassanpura back side Baria House. | Unknown. | Rs. 400/- | 330 Karvi polas. |
| 3. | Near T. B. Hospital. | — | Near T. B. Hospial | Accidently | 500/- | Forest Fire. |
| 4. | Gandi Mori Ch. Topkhana Desh. | — — | Gandi Mori Ch. Topkhana Desh | Unknown. | 25/- | One Kacha House |
| 5. | Water work record Plans in cup. Board. | — | Jhalana phatak Water work record and Plans in cup. Board. | Ght. Unknown. | unknown. | Record and Plans in cup Board. |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Lal Kothi H. S. Janabi. | — | Lal Kothi H. S. Janabi. | Over flame. | 250/- | one Kacha Home. |
| 7. | Spray prints stores. M. I. Road. | — | Spray prints stores M. I. Road. | Short elc. circut. | 30000/- | Spray prints stores. |
| 8. | Power House store near station. | — | Power House store near station. | Unknown | Approximately 3000/- | Power House store near station. |
| 9. | Birhampuri near Ramplo gotal factory. | — | Birhampuri near Ramplo gotal factory. | " | nil. | Tranching ground. |
| 10. | Sital Niwas Nari ka Naka. | — | Sital Niwas Nari ka Naka. | Over flame | 250/- | One Kacha House. |
| 11. | Station Road near Sadar Police Station. | — | Station road near Sadar Police Station | Unknown. | 50/- | One shop of cold water. |
| 12. | Naiva ka Mohalla Chand Pol Road. | — | Naiva ka Mohalla Chand pole Road. | Unknown. | 1500/- | One Kacha house. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Needar Rave ka Rasta Ch. Topkhana Desh. | — | Needar Rave Rasta Ch. Top Khana Desh. | „ | 25/- | | Narsinghji ka Mandir. |
| 14. | Pannigaron ka Rasta. | — | Pannigaron ka Rasta. | | 5700/- | | Four Kacha House. |
| 15. | P. W. D. Office near Polo Ground. | — | P. W. D. Office near Polo ground. | Ele. short circet. | nil. | | Electric Board |
| 16. | Mohalla Kiyam Khaniyan Ch. Topkhana Desh. | — | Mohalla Kayam Khaniyan Ch. Topkhana Desh. | Unknown | 2000/- | | One kacha House. |
| 17. | Trailor of J. M. C. Shriji ki-Mori. | — | Trailor of J. M. C. Shri Ji Ki Mori. | „ | nil | | Trialor of J. M. C. |
| 18. | Oswal General Store Bapunagar. | — | Oswal General Store Bapunagar. | „ | „ | | Store. |
| 19. | Waliji ka Bag Moti Dungri road. | — | Waliji kaBag Moti Dungri Road. | Accidently. | „ | | Store of medicine. |
| 20. | Soothiliwalon ka Rasta. | — | Soothiliwalon ka Rasta. | Naked light | 100/- | | Lime dealer shop. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Kothi Kolian. | — | Kothi Kolian. | Accidently. | 300/- | One Kacha House. | |
| 22. | Kurban Alli Ka Bag. | — | Kurban Alli ka Bag. | Unknown. | 300/- | Two Kacha House. | |
| 23. | Gandhinagar. | — | Gandhi Nagar. | ,, | nil | grass. | |

## शुद्धि-पत्र

( बुद्धवार १३ मई, १९५९ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १०८९८ | १ | श्र पूनमचन्द विश्नोई | श्री पूनमचन्द विश्नोई |
| १०९०१ | ६ | अकोमोजेशन | एकोमोडेशन |
| १०९१४ | प्रथमत : | (वजय) | (श्री दयाकृष्ण विजय) |
| ,, | २ | ख ो क्य । | (ख) क्या |
| १०९२३ | १६ | श्री मलचन्द डागा | श्री मूलचन्द डागा |
| १०९२४ | ३ | श्री लालूराम टाटवाड़िया | श्री लालूराम टटवाडिया |
| २०९५२ | १३ | spealcial | special |
| १०९५८ | प्रथमत : | श्री पूनमचन्द विश्नोई | (श्री मूलचन्द डागा) |
| ०९६० | ८ | श्री पूनमचंद विश्नोई | श्री पूनमचन्द विश्नोई |
| १०९८५ | १७ | एक्जि स्टिंग | एग्जिस्टिंग |
| १०९८५ | अन्तिम से ६ | (1) The | (1) The forming of |
| १०९८७ | ,, १२ | रेसीडेन्शल | रेजिडेन्शियल |
| १०९९० | ३ | अमेंडमेंट ने | अमेंडमेंट में |
| ,, | १० | gnass | grass |
| १०९९२ | अान्तम से ११ | clauses 23, 24, 5. | clauses 23, 24, 25 |
| १०९९४ | १३ | आपस इस | आपस में इस |
| ११००० | ३ | सेक्शन का पूरा | सेक्शन को पूरा |
| ११००६ | १८ | इगलीमेंट | इम्प्लीमेन्ट |
| ११०२२ | ३ | जागिरदारियां | जागीरदारियां |
| ,, | १८ | at heir | at their |
| ११०२५ | ११ | चुप्प हैं | चुप हैं । |

( २ )

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ११०४० | ६ | Sume | sums |
| ११०४१ | ७ | गस्ता | रास्ता |
| ११०४४ | १२ | जयपुर क | जयपुर की |
| ११०५३ | अन्तिम से ४ | ब्रीजली | बिजली |
| ११०५५ | १० | सामूहित | सामूहिक |
| ११०५६ | १८ | उनका में | उनका मैं |
| ११०६७ | अन्तिम से ८ | एक्जीक्युशिन | एग्जीकूशन |